MMRC

वार्षिक विवरण
2023-24

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Mumbai Metro Rail Corporation Ltd.

MMRC
Mumbai Metro Rail Corporation Ltd.
(JV of Govt. of India and Govt. of Maharashtra)
Colaba-Bandra-SEEPZ Mumbai Metro Line-3
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित
(भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांचा संयुक्त प्रकल्प)
कुलाबा - वांद्रा - सिप्झ मुंबई मेट्रो मार्ग 3

परियोजना की प्रगति

आरे भूमि पुनर्स्थापन

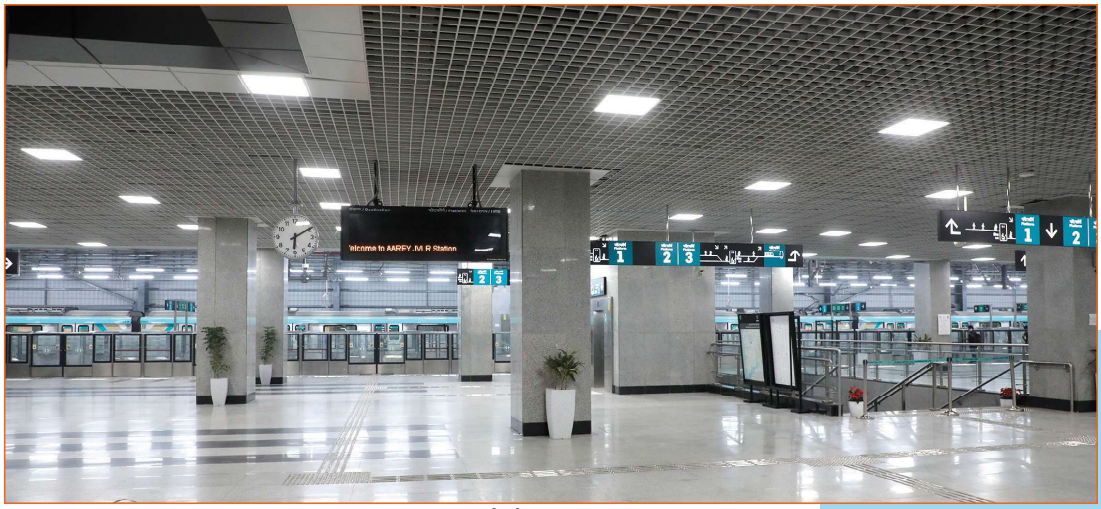

आरे के अंदर का दृश्य

आरे स्टेशन के बाहर

परियोजना की प्रगति

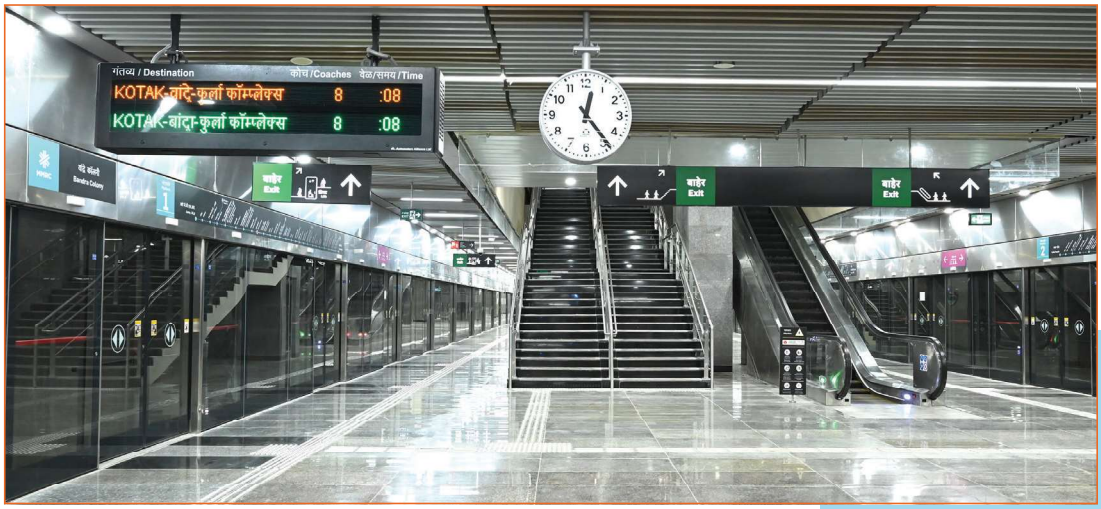

बांद्रा कॉलोनी प्लेटफार्म

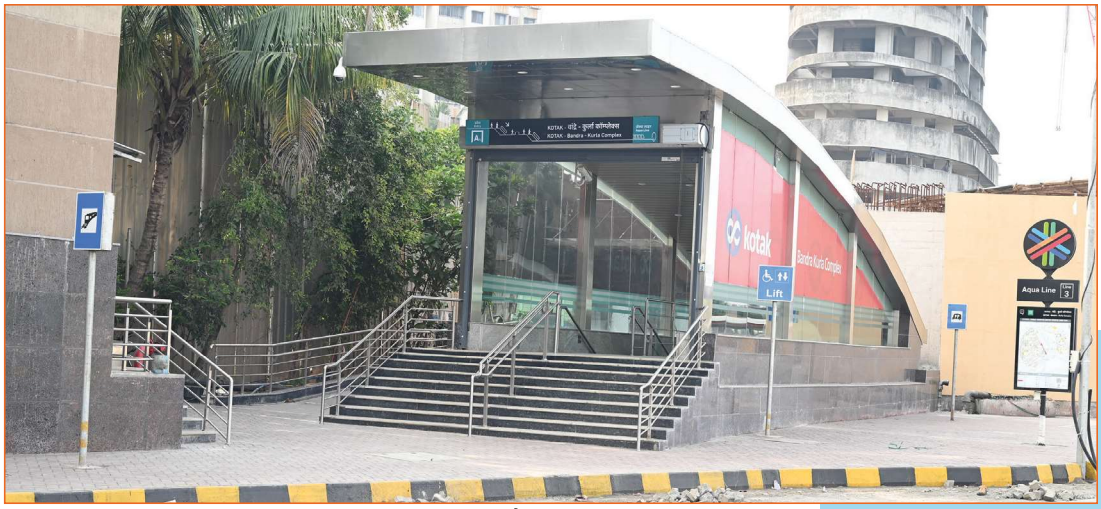

बीकेसी एंट्री a4

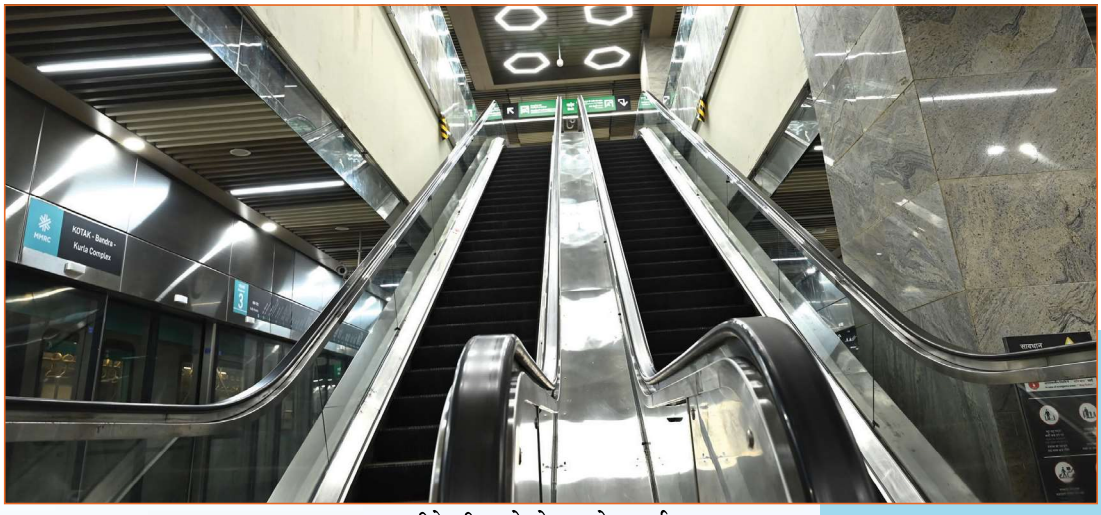

बीकेसी एस्केलेटर प्लेटफार्म दृश्य

परियोजना की प्रगति

मरोल कॉन्स टिकट कार्यालय

मरोल एनएटीएम सीपी

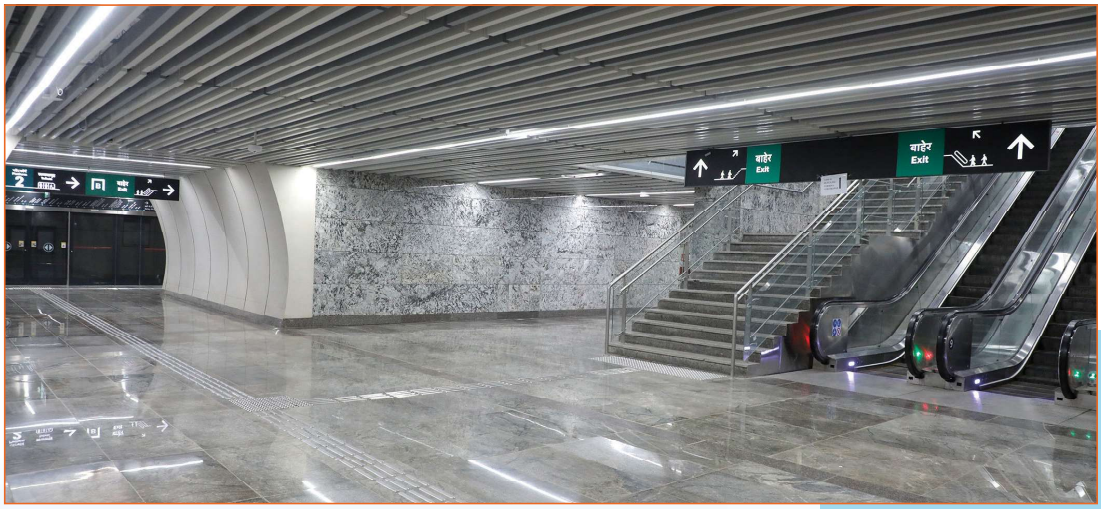

मैरोल प्लेटफार्म एनएटीएम सीपी

परियोजना की प्रगति

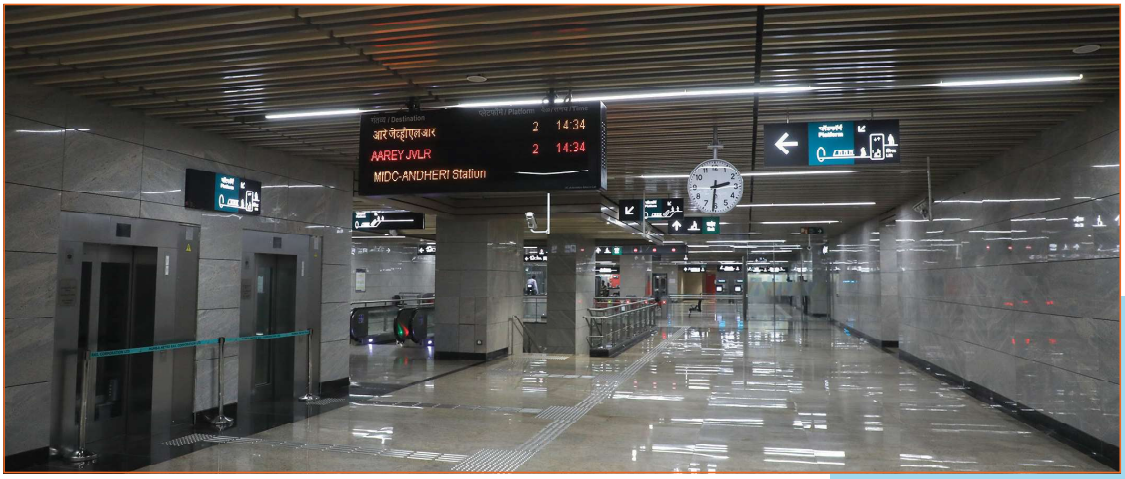

एमआईडीसी कॉनकोर्स

एमआईडीसी पीएलटी

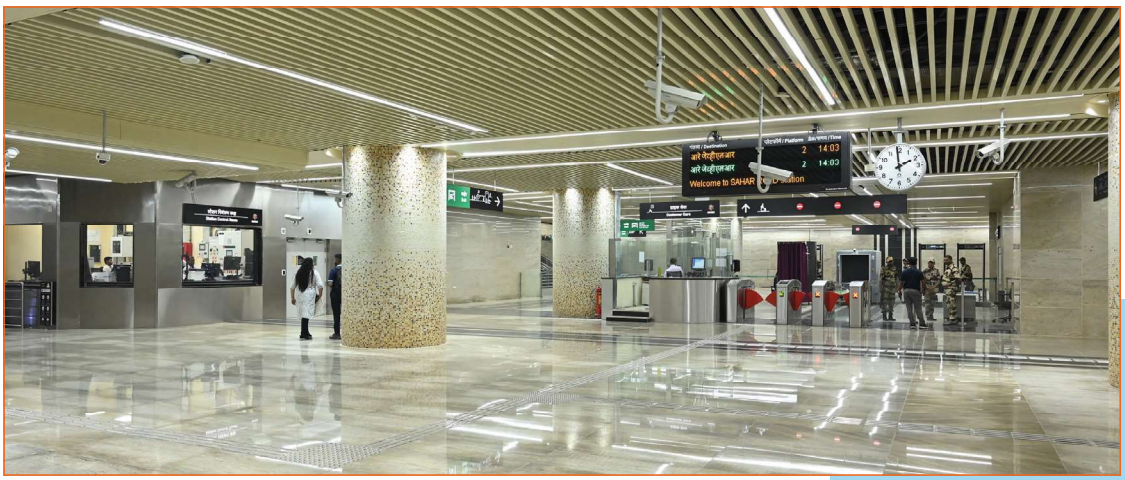

सहर कॉनकोर्स

परियोजना की प्रगति

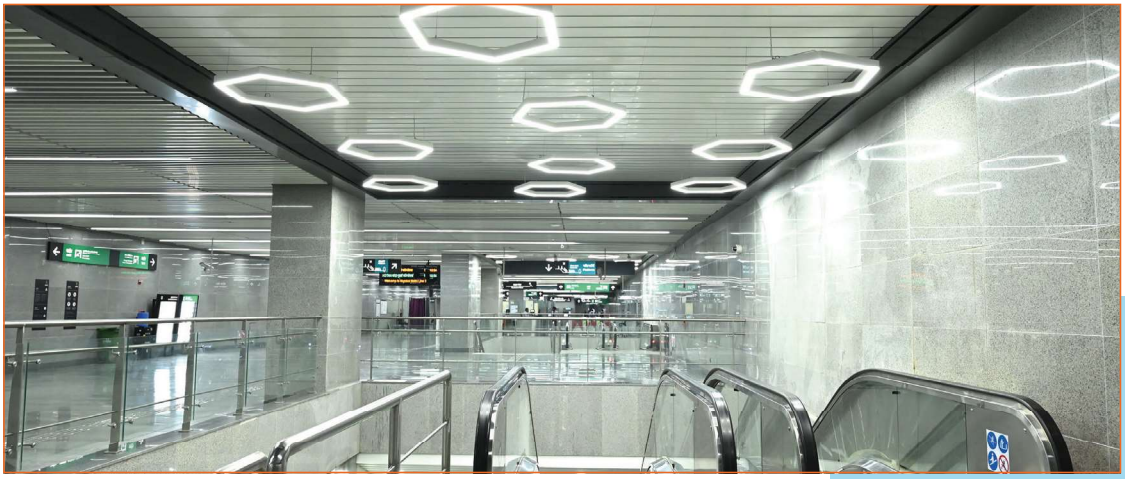

सांताक्रूज़ कॉनकोर्स

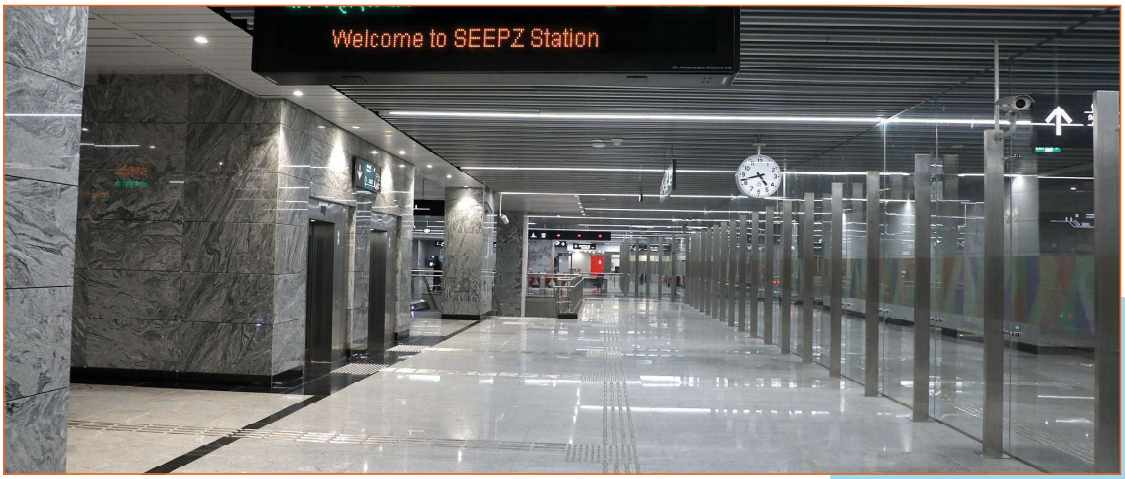

सीप्ज़ CONC

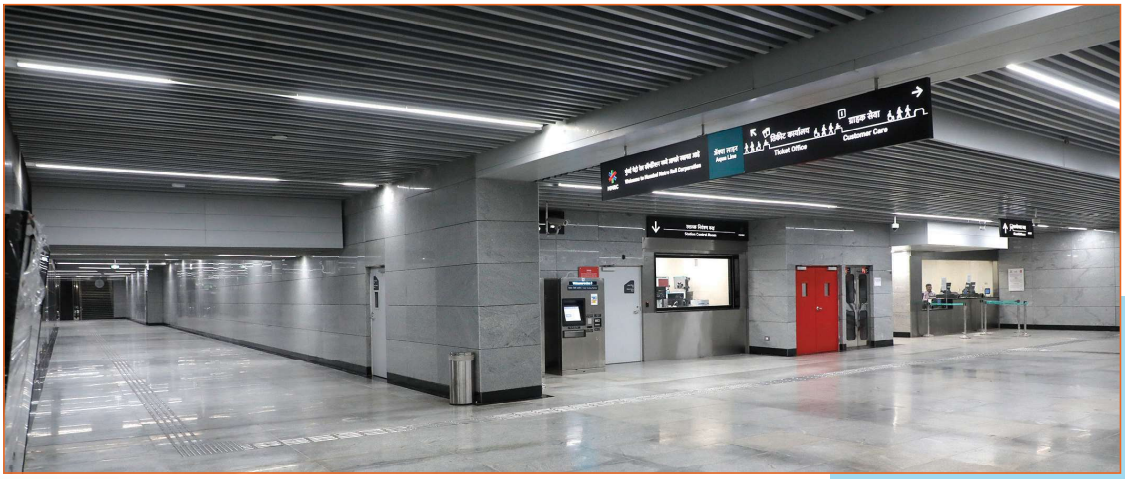

सीपज़ एंट्री कॉनकोर्स

परियोजना की प्रगति

टी1 पीएलटी

टी1 सबवे

टी2 प्लेटफार्म

परियोजना की प्रगति

परियोजना की प्रगति

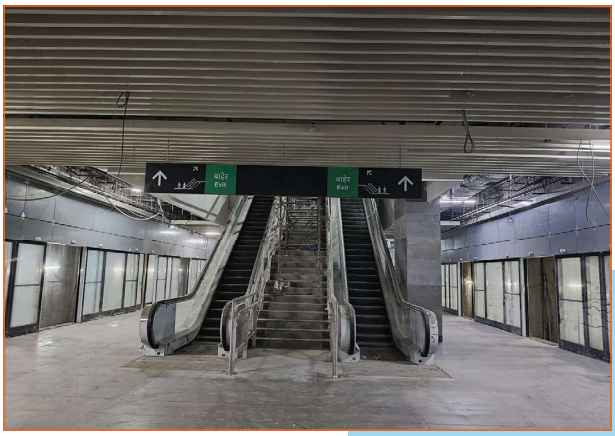

परियोजना की प्रगति

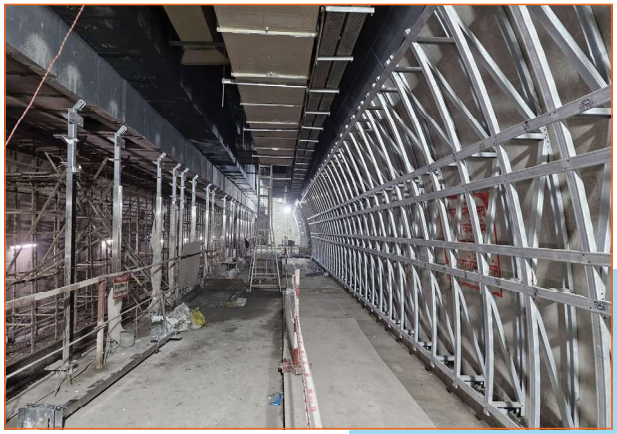

परियोजना की प्रगति

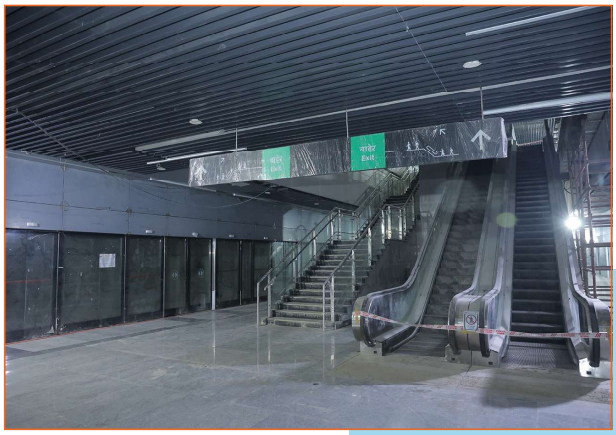

वार्षिक विवरण २०२३-२४

मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

MMRC

विषय-वस्तु

1. निदेशक मंडल 1
2. वार्षिक आम बैठक की सूचना 3
3. अध्यक्ष का भाषण 8
4. निदेशक की रिपोर्ट 13
5. सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट व अनुलग्नक 35
6. निगमित गवर्नेंस रिपोर्ट 48
7. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन के उत्तर 56
8. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 60
9. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों सहित वित्तीय विवरण 78

कंपनी सचिव

सुश्री ऋतु देब

कंपनी सचिव

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स ए पी संझगिरी एंड कं.

प्लॉट संख्या .22, हाउस सं.174, आनंद नगर लेन, वाकोला पुलिस स्टेशन के पीछे, सांताक्रूज (पूर्व) , मुंबई - 400055

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स पीकेआरएस एंड कंपनी. एलएलपी

कंपनी सचिव
एल -30, बेसमेंट, कालकाजी,
नई दिल्ली - 110019

मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निदेशक मंडल

श्री के. श्रीनिवास (20.08.2024 से)*	*अध्यक्ष, एमएमआरसीएल एवं सचिव – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री अनुराग जैन (04.03.2024 से 20.08.2024 तक)	अध्यक्ष, एमएमआरसीएल एवं सचिव – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री मनोज जोशी (04.03.2024 तक)	अध्यक्ष, एमएमआरसीएल तथा सचिव – आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्रीमती अश्विनी भिडे	प्रबंध निदेशक, एमएमआरसीएल
श्री राकेश चौधरी	ईडी/एसडी एवं परिवर्तन रेलवे बोर्ड, भारत सरकार
श्री दीपक अग्रवाल	संयुक्त सचिव (सीवी) , आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री जयदीप	निदेशक, एमएमआरसीएल एवं ओएसडी (यूटी) एवं पदेन संयुक्त सचिव– आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक, एमएमआरसीएल एवं नामित निदेशक, भारत सरकार
श्री मनोज सौनिक (01.05.2023 तक)	अपर मुख्य सचिव वित्त, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
डॉ. नितिन करीर (02.05.2023-23.02.2024)	अपर मुख्य सचिव वित्त, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री ओ.पी. गुप्ता (23.02.2024 से)	अपर मुख्य सचिव वित्त, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री इकबाल सिंह चहल (22.03.2024 तक)	बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री भूषण गगरानी (23.03.2024 से)	बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री भूषण गगरानी (07.06.2023 तक)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री असीम कुमार गुप्ता (08.06.2023 से)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री एस वी आर श्रीनिवास (02.06.2023 तक)	महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
डॉ. संजय मुखर्जी (03.06.2023 से)	महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए, नामित निदेशक, महाराष्ट्र सरकार
श्री एस.के.गुप्ता	निदेशक (परियोजना), एमएमआरसीएल
श्री राजीव (02.06.2023 से)	निदेशक (प्रणाली), एमएमआरसीएल
श्री आर. रमन्ना (05.06.2023 से)	निदेशक योजना एवं रियल एस्टेट/एनएफबीआर, योजना/परियोजनाएं, एमएमआरसीएल
श्री अबोध खंडेलवाल (30.09.2023 तक)	निदेशक (वित्त), एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी, एमएमआरसीएल
श्री योगेंद्र सक्सेना (01.10.2023 से)	निदेशक (वित्त), एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी, एमएमआरसीएल

*16.08.2024 से कार्यकाल समाप्त हो गया और श्री श्रीनिवास कटिकीथला को 20.08.2024 से नियुक्त किया गया I

बैंकर्स

1. भारतीय स्टेट बैंक
3. पंजाब नेशनल बैंक
2. एचडीएफ़सी बैंक
4. आईसीआईसीआई बैंक

पंजीकृत कार्यालय

मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम)
"ट्रांजिट कार्यालय", ई- ब्लॉक, सिटी पार्क के उत्तरी तरफ,
आयकर कार्यालय के पीछे, ''ए'' – विंग, बांद्रा ई, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,
मुम्बई - 400051

सूचना

एततद्वारा यह सूचित किया जाता है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) सदस्यों की स्थगित 16वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कोन्फ्रेंस अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2:30 बजे निम्नलिखित व्यवसाय संव्यवहारों के लिए किया जाएगा:

साधारण व्यवसाय

(1) 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, लेखा-परीक्षित तुलन पत्र एवं उक्त तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरणों की भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की तत्संबंधी रिपोर्ट को निदेशक मण्डल और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ एक साथ प्राप्त करना एवं उसे अंगीकार करना।

(2) कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों, जिनकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 139(5) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए की गई है, का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 14.10.2024

टिप्पणियाँ:

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, (सामूहिक रूप से "कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय" परिपत्रों के नाम से संदर्भित) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) माध्यम या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से, सदस्यों की एक ही स्थान पर प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी गयी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और "कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय" परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसरण में वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष व्यवसाय के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है।

3. वार्षिक आम सभा का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किये जाने के कारण से इस वार्षिक आम सभा में सदस्यों को प्रॉक्सी की अनुमति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तथा तदनुसार, रूट मैप सहित प्रॉक्सी फॉर्म एवं उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

4. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दर्ज है, वोट देने का पात्र होगा।

5. लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को बैठक आयोजन की तिथि से पूर्व (अर्थात वार्षिक आम बैठक से 7 दिन पहले) लिखित अनुरोध भेजें जिससे कि प्रबंधन द्वारा वार्षिक आम बैठक के लिए अपेक्षित सूचना तैयार की जा सके।

6. संलग्न सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार के अलावा, सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच वार्षिक आम बैठक की तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

सूचना

एततद्वारा यह सूचित किया जाता है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) की 16वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन वीडियो कोन्फ्रेंस अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2024 को सुबह 10 बजे निम्नलिखित व्यावसाय संव्यवहारों के लिए किया जाएगा:

साधारण व्यवसाय:

(1) 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, लेखा-परीक्षित तुलन पत्र एवं उक्त तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरणों की भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की तत्संबंधी रिपोर्ट को निदेशक मण्डल और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ एक साथ प्राप्त करना एवं उसे अंगीकार करना।

(2) कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों, जिनकी नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा धारा 139(5) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए की गई है, का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय:

(3) निगम के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना (डीआईएन: 10364557) की पुनः नियुक्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

निम्नलिखित के संबंध में साधारण संकल्प के रूप में विचार करना तथा किसी संशोधन अथवा संशोधन के बिना, यदि उचित समझा गया है, इसे पारित करना:

"**यह निर्धारण किया गया है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161, 162 तथा अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों के अनुसार, जैसा कि कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों के साथ लागू हो, सदस्यों की सहमति से निगम के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना (डीआईएन: 10364557) की पुनः नियुक्ति की जाती है, जिन्हें निगम के निदेशक मंडल द्वारा 01.10.2023 से अतिरिक्त निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था तथा जो निगम की आगामी वार्षिक आम बैठक तक पद पर बने रहेंगे।"

"**आगे यह निर्धारण किया गया है कि** कंपनी के कंपनी सचिव को एततद्वारा, सभी आवश्यक कार्रवाइयां करने तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उक्त नियुक्ति की सूचना देने के लिए आवश्यक ई-फॉर्म भरने तथा इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, प्राधिकृत किया गया है।"

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 03.09.2024

ऋतु देव
कम्पनी सचिव

टिप्पणियाँ :

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 और परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, (सामूहिक रूप से "कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय" परिपत्रों के नाम से संदर्भित) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) माध्यम या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से, सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी गयी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और "कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय" परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसरण में वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष व्यवसाय के लिए व्याख्यात्मक विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है।

3. वार्षिक आम सभा का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किये जाने के कारण से इस वार्षिक आम सभा में सदस्यों को प्रॉक्सी की अनुमति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तथा तदनुसार, रूट मैप सहित प्रॉक्सी फॉर्म एवं उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

4. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दर्ज है, वोट देने का पात्र होगा।

5. लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को बैठक आयोजन की तिथि से पूर्व (अर्थात वार्षिक आम बैठक से 7 दिन पहले) लिखित अनुरोध भेजें जिससे कि प्रबंधन द्वारा वार्षिक आम बैठक के लिए अपेक्षित सूचना तैयार की जा सके।

6. संलग्न नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार के अलावा, सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच वार्षिक आम बैठक की तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

नोटिस का स्पष्टीकरण नोट
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण)

मद संख्या 3:

चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया और अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के आधार पर, चयन समिति ने श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना को निगम के बोर्ड में अपर निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यात्मक निदेशक के रूप में 01.10.2023 से नियुक्त करने की संस्तुति की गयी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161, 162 तथा अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों के अनुसार, जैसा कि इस संबंध में कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के अनुच्छेदों के साथ देखा जा सकता है, उक्त नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों द्वारा सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना, डीआईएन: 10364557 ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अपनी लिखित सहमति दी है और घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

निदेशक **श्री योगेंद्र** प्रकाश सक्सेना (डीआईएन: 10364557) को छोड़कर कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके संबंधी, किसी भी वैयक्तिक अथवा वैयक्तिक स्वरूप में संकल्प में कोई हित नहीं हैं अथवा उनका कोई सरोकार नहीं है।

बोर्ड सदस्यों द्वारा मद संख्या 3 में निर्धारित प्रस्तावों को साधारण संकल्प के रूप में अनुमोदित करने की संस्तुति करता है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 03.09.2024

ऋतु देब
कम्पनी सचिव

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके निगम की 16वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए तथा 16वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस अवसर पर निगम के प्रदर्शन के साथ-साथ वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

निगम ने तमाम चुनौतियों के बावजूद आज तक लाइन 3 निर्माण पर 93% की समग्र भौतिक प्रगति हासिल की है। यह भी उल्लेखनीय है कि रीच 1 का कार्य 97.5% से अधिक हो गया है, जिसमें कार डिपो भी शामिल है, जिसपर रुकावट के बाद तेजी से कार्य हो रहा है।

1. वित्तीय निष्पादन:

वर्ष 2023-24 में आपके निगम के निष्पादन की विस्तृत जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि परियोजना लगातार अच्छी गति से आगे बढ़ रही है और यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि, वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय 4,508.67 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वर्ष यह 3,299 करोड़ रुपये था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आपको वितरित की जा चुकी है, और अब आपकी अनुमति से मैं यह मानकर आगे बढ़ रह हूँ कि आपने इसे पढ़ लिया है।

2. निर्माण निष्पादन :

2.1 सिविल कार्य:

- 26 भूमिगत स्टेशनों तथा एट-ग्रेड आरे स्टेशन का कार्य पूर्ण होने के अग्रिम चरण में है। कुल मिलाकर चरण-I के स्टेशन 99.1% पूरे हो चुके हैं तथा चरण-II के स्टेशन 96.5% पूरे हो चुके हैं।

- चरण-I में ट्रैक का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि चरण-II में ट्रैक का कार्य 85% पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर ट्रैक का 90.5% कार्य पूरा हो चुका है।

- डिपो का कार्य पहले ही काफी हद तक पूरा हो चुका है, जिसका उपयोग किया जा रहा है।

- चरण-1 के प्रचालन को प्रारंभ करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

2.2 सिस्टम कार्य :

- स्टेशनों और सुरंगों पर ओसीएस, पीएसएस, एसटीपीटी, टीवीई, लिफ्ट, एस्केलेटर और ईएंडएम के उपकरण लगाने का कार्य प्रगति पर है। सिस्टम कार्यों की कुल भौतिक प्रगति 79% हुई है और चरण-I के तहत (आरे जेवीएलआर से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स) 91% सिस्टम कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

- आरे डिपो में अब तक 31 में से कुल चौबीस (24) ट्रेनें प्राप्त हुई हैं, शेष ट्रेनों की आपूर्ति 2 ट्रेन प्रति माह की दर से अपेक्षित है।

- चरण-I में परिचालन हेतु आवश्यक कुल 09 ट्रेनें आरे डिपो में तैयार हैं, और अन्य ट्रेनों हेतु नियम एवं शर्तों के कार्य प्रगति पर हैं।

- डीएमआरसी को एमएमएल-3 के लिए परिचालन और रखरखाव संबंधी सेवा प्रदान करने का ठेका दिया गया है। तदनुसार, डीएमआरसी ने कार्यबल जुटाई है और परिचालन एवं रखरखाव संबंधी कर्मियों को ओईएम/ओएंडएम से जुड़े प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।

- टिकट हेतु स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली द्वारा एनसीएमसी कार्ड, क्यूआर कोड (कागज़ और मोबाइल) का उपयोग किया जाएगा। इससे संबंधित लेनदेन प्रसंस्करण, कार्ड जारी करने और एएफसी एकीकरण सेवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक को बैंकिंग पार्टनर के रूप में निविदा द्वारा चुना गया है।

2.3 जन सम्पर्क गतिविधियां :

- जनसंपर्क विभाग द्वारा नियमित रूप से सोशल मीडिया हैंडल और एमएमआरसी वेबसाइट पर परियोजना और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों/महत्वपूर्ण कार्यों/घटनाओं के बारे में क्रिएटिव, फोटो, समाचार कवरेज और लघु वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, ताकि आम जनता को मेट्रो लाइन-3 परियोजना की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी दी जा सके।

- इसके अलावा, जनसंपर्क विभाग नियमित रूप से मीडिया को परियोजना की विभिन्न गतिविधियों, महत्वपूर्ण कार्यों और घटनाओं के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है और इससे संबंधित मीडिया के सवालों का भी जवाब देता है। जनसंपर्क विभाग पत्रकारों के साइट पर मीडिया दौरे और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था भी करता है।

- इसके अतिरिक्त, एमएमआरसी अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों यथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह, मराठी भाषा पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह आदि पर कार्यक्रम का भी आयोजन करता है। इन समारोहों की तस्वीर सोशल मीडिया और वेबसाइट पर नियमित गतिविधि के रूप में पोस्ट की जाती है।

2.4 योजना विभाग की गतिविधियाँ:

- **पर्यावरण:**

  पर्यावरणीय प्रावधानों की समुचित अनुपालना करते हुए एमएमआरसी विनियामक प्राधिकरणों और JICA (जीका) द्वारा निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

  एमएमआरसीएल ने अपने निगम पर्यावरण उत्तरदायित्व के रूप में, बीएमसी नगरपालिका बाजार में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना शुरू की है, जिससे वैज्ञानिक विधि से अपशिष्ट प्रबंधन में सुविधा मिलेगी और जीएचजी (GHG) उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

  माननीय उच्च न्यायालय के प्रति वचनबद्धता के अनुरूप, उन्नत आकार के पेड़ों का इन-सीटू रोपण शुरू कर दिया गया है।

- **एनएफ़बीआर (गैर-किराया राजस्व):**

  एमएमआरसीएल द्वारा स्टेशन नामकरण अधिकार, विज्ञापन, दूरसंचार इन-बिल्डिंग समाधान और ऑप्टिक फाइबर केबल जैसे विभिन्न स्रोतों और अवसरों से गैर-किराया राजस्व उत्पन्न करना शुरू किया गया है।

  संचित राजस्व 260 करोड़ रुपये में से 100 करोड़ रुपये एकमुश्त (अपफ्रंट शुल्क) है। एमएमआरसीएल द्वारा प्रति किलोमीटर या प्रति स्टेशन मुद्रीकृत मूल्य भारत में निकटतम तुलनीय बेंचमार्क का 2 से 4 गुना है। हाइब्रिड राजस्व साझेदारी, दीर्घ अनुज्ञप्ति अवधि, अधिकारों की विशिष्टता आदि जैसे तत्वों के साथ नवीन और प्रगतिशील अनुबंध संरचना के परिणामस्वरूप मूल्य अधिकतमीकरण हुआ है।

- **सभी मेट्रो स्टेशनों पर मल्टी-मॉडल एकीकरण एक जरूरी आवश्यकता है**

  एमएमआरसी द्वारा सबवे या प्रमुख परिवहन केंद्रों और फीडर सिस्टम के लिए एटी-ग्रेड कनेक्शन के माध्यम से इंटरचेंज सुविधाएं प्रदान करने से अन्य परिवहन साधनों के साथ बिना किसी रुकावट के कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी, जिससे अधिक यात्रियों को अन्य साधनों जैसे रेलवे, एयरपोर्ट, अन्य मेट्रो और मोनोरेल तक पहुंचने की सुविधा होगी।

3. साइट पर कार्यान्वित सुरक्षा उपाय

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) को टनलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सुरक्षा के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए "सेफ्टी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर" पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान एमएमआरसीएल के सुरक्षित कार्य-संस्कृति बनाये रखने और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके अटूट समर्पण को रेखांकित करता है। सात वर्षों की अवधि में, कंपनी ने मात्र 0.31 समय हानि की आवृत्ति दर के साथ 287 मिलियन मानव-घंटों की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस तरह की उत्कृष्ट उपलब्धि एमएमआरसीएल की मजबूत सुरक्षा नीतियों, प्रणालियों और प्रोटोकॉल का प्रमाण है, जिसे सभी वैधानिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण विनियमों के साथ-साथ कठोर संविदात्मक ओएसएचई शर्तों का सख्ती से पालन करके सभी सिविल और सिस्टम के ठेकेदारों पर दृढ़तापूर्वक लागू किया गया है।

एमएमआरसीएल ने अपने सुरक्षा रिकॉर्ड के अलावा, परियोजना स्थलों पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, बीएमसी और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को सफलतापूर्वक लागू करके पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। कंपनी ने सभी संभावित आपात स्थितियों को कम कर उससे निपटने के लिए तैयारी के उचित उपाय प्रदान करते हुए, एक पूरी तरह से कार्यात्मक आपदा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है।

4. एमएमआरसी की ओएचएसई मैनुअल से संबंधित गतिविधि:

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसी) अपनी सभी परियोजनाओं में व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (ओएचएसई) प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इन मानकों को लागू करने के लिए, एमएमआरसी ओएचएसई मैनुअल का उल्लंघन करने वाले किसी भी पक्ष पर जुर्माना लगाया जाता है, और वसूल की गई दंड की राशि को एमएमआरसीएल श्रम कल्याण निधि (ट्रस्ट) में जमा किया जाता है। यह निधि श्रमिकों के कल्याण के लिए समर्पित है और इसके जरिये काम से संबंधित घटनाओं के कारण दुखद रूप से अपनी जान गंवाने वाले श्रमिकों के वैध आश्रितों को लगभग ₹14,187,280 प्रदान किए जा चुके हैं। इन उपायों के माध्यम से, एमएमआरसी प्रभावित श्रमिकों के परिवारों की सहायता करते हुए सुरक्षा मानकों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करता है।

5. औद्योगिक संबंध:

आपके निगम का ठेकेदार और श्रमिकों के साथ औद्योगिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जिनसे श्रम अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। निगम सरकार के श्रम कानूनों के अनुसार सामाजिक और सुरक्षा प्रावधानों की रक्षा कर रहा है। हमने प्रवासी श्रमिकों के लिए 395 एचआईवी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 38,807 एचआईवी परीक्षण करवाए हैं साथ ही उन्हें स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सहायक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण भी दिया है।

6. निगमित प्रशासन:

कॉर्पोरेट शासन नीति निगम की विजन मिशन नीति के अनुरूप है।

7. पारदर्शिता:

अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए, निगम ने निम्न कार्यों की शुरुआत की है:

क) ई-ऑफिस
ख) अनुबंध की ई-टेंडरिंग
ग) अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के लिए वार्षिक एपीएआर की ई-फाइलिंग।
घ) ठेकेदारों और विक्रेताओं को बैंकों (आरटीजीएस/एनईएफटी) के माध्यम से लगभग 100% भुगतान।
ङ) वेबसाइट पर रिक्तियों की अधिसूचना।
च) ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) (ओरेकल)
- मानव संसाधन, वित्त, प्रशासन मॉड्यूल
- ईआरपी के अपग्रेडेशन का कार्य जारी।

8. आभारोक्ति :

मैं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार), महाराष्ट्र सरकार ,जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी मदद, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को भी समय-समय पर उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन और विवेक-सम्मत मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। अंत में, मैं सभी कर्मचारियों के प्रयासों, उनके समर्पण और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने देश के पूर्णरूपेण भूमिगत मेट्रो रेल नेटवर्क के सुरंग बनाने के कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि अत्यधिक प्रेरित कुशल कार्यबल मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्वर्णिम भविष्य को साकार और सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

(श्रीनिवास आर कटिकिथला)
सचिव

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
एवं अध्यक्ष, एमएमआरसीएल

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 12.09.2024

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य गण,
मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
मुम्बई।

आपके निदेशक आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित कंपनी के व्यापार, परिचालन और वित्तीय स्थिति की 16 वीं रिपोर्ट की प्रस्तुति कर रहे हैं।

1. वित्तीय परिणाम एवं निष्पादन

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार में कंपनी की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
कुल आय	166.01	385.60
घटाएं: कर्मचारियों से संबंधित अन्य व्यय	2,962.94	2451.96
घटाएं: अवमूल्यन	717.87	970.24
घटाएं: वित्तीय व्यय	61.43	26.38
कर-पूर्व लाभ (हानि)	(3,576.23)	(3,062.98)
घटाएं: कर मद में व्यय	(36.44)	(249.35)
कर पश्चात शुद्ध लाभ (हानि)	(3,539.79)	(2,813.63)
अन्य व्यापक आय (हानि)	32.79	(23.47)
सामान्य रिजर्व में अंतरण	0	0
वर्ष हेतु कुल व्यापक (हानि)	**(3,507)**	**(2,837.10)**

2. सामान्य रिजर्व में अंतरण :

कंपनी द्वारा किसी तरह की राशि सामान्य रिजर्व में अंतरित नहीं की गयी है।

3. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश:

चालू वर्ष के दौरान किसी तरह का लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

4. कंपनी की स्थिति:

कंपनी का निगमन अप्रैल 2008 में हुआ था है। वित्तीय वर्ष (2014-15) में, 50:50 की हिस्सेदारी के साथ कंपनी भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उद्यम बनी थी।

5. कंपनी के शेयरों का निर्गम:

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी **50,00,00,00,000 (पांच हजार करोड़ रुपये मात्र) से बढ़कर 90,00,00,00,000 (नौ हजार करोड़ रुपये मात्र)** हो गयी है, जिसमें 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 90 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिसकाप्र-स्ताव 18.12.2024 की छठी असाधारण आम बैठक में साधारण प्रस्ताव के माध्यम से पारित किया गया।

कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किये गए हैं।

6. कंपनी के परिचालन:

सिविल कार्य:

- 26 भूमिगत स्टेशनों और एट-ग्रेड आरे स्टेशन का कार्य पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। कुल मिलाकर चरण-I के स्टेशन 99.1% तक पूरे हो चुके हैं और चरण-II के स्टेशन 96.5% तक पूर्ण हो चुके हैं।

- चरण-I में ट्रैक लगाने का कार्य पूरा हो चुका है, चरण-II में ट्रैक का कार्य 85% पूरा हो चुका है। कुल मिलाकर ट्रैक का कार्य 90.5% पूरा हो चुका है।

- डिपो का काम पहले ही काफी हद तक हो चुका है और उपयोग में लाया जा रहा है।

- चरण-1 को परिचालन कमीशनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है।

- **विद्युत प्रणाली :**

o **विद्युत आपूर्ति प्रणाली :**
सभी तीन रिसीविंग सब स्टेशन (आरएसएस) जिनके नाम - सारिपुट नगर, धारावी और विज्ञान संग्रहालय हैं, सक्रिय और प्रचालन-रत हैं।
समग्र भौतिक प्रगति - **94%**

o **ट्रैक्सन (25 केवी ओवरहेड कॉन्टेक्ट) प्रणाली:**
सहायक सब-स्टेशनों (एएसएस) के परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और चरण-I (आरे जेवीएलआर से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन) के लिए सभी एएसएस प्रचालन-रत हैं। चरण-I के लिए 25 केवी रिजिड ओवरहेड

कॉन्टैक्ट सिस्टम (आरओसीएस) का परीक्षण और कमीशनिंग पूरा हो चुका है और आरओसीएस प्रचालन-रत है। चरण-II स्टेशनों (धारावी से कफ परेड) की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
कुल भौतिक प्रगति - **81%**

- **एस्केलेटर : लॉट 1- E1 (आरे से दादर-13 स्टेशन):**
  कुल संख्या -196 .
  परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य पूर्ण संख्या - 149 .
  कुल भौतिक प्रगति - **94%**

- **एस्केलेटर : लॉट 2- E2 (सिद्धि विनायक से कफ परेड तक - 14 स्टेशन):**
  कुल संख्या - 224
  परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य पूर्ण संख्या - 160 .
  कुल भौतिक प्रगति - **87%**

- **लिफ्ट : लॉट 1- L1 (आरे से दादर तक -13 स्टेशन):**
  कुल संख्या – 92 .
  परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य पूर्ण संख्या – 51 .
  कुल भौतिक प्रगति – **91%**

- **लिफ्ट : लॉट 2- L2 (सिद्धि विनायक से कफ परेड - 14 स्टेशन):**
  कुल संख्या – 93 .
  परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य पूर्ण संख्या – 44 .
  कुल भौतिक प्रगति – **75%**

- **टनल वेंटिलेशन एवं पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (टीवीएस एवं ईसीएस) - 3 लॉट**
  चरण(फेज)-I के लिए टीवीएस एवं ईसीएस प्रणाली (आरे जेवीएलआर से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन) प्रचालन-रत है। फेज-2 के स्टेशनों (धारावी से कफ परेड) का कार्य प्रगति पर है।
  कुल भौतिक प्रगति – **लॉट (P1) - 94%, लॉट (P2L1) - 64%, लॉट (P2L2) - 59%**

- **डिपो (ई एंड एम) कार्य:**
  आरे डिपो और आरे जेवीएलआर स्टेशन के डिपो (ई एंड एम) का कार्य प्रगति पर है।
  कुल भौतिक प्रगति – **98%**

- **रोलिंग स्टॉक : (100 % भारत में निर्मित)**

o **31 ट्रेन (8 मेट्रो कार प्रति ट्रेन)**
आज तक आरे डिपो में 31 में से कुल 24 ट्रेनें प्राप्त हो चुकी हैं। 18 जून, 2024 को आरडीएसओ ऑसिलेशन परीक्षणों के सफल समापन के बाद, आरडीएसओ द्वारा एक अंतरिम गति प्रमाणपत्र जारी किया गया था। चरण-I संचालन के लिए आवश्यक सभी 09 ट्रेनें अब आरे डिपो में तैयार और उपलब्ध हैं, जबकि शेष ट्रेनों का परीक्षण और कमीशनिंग (टी एंड सी) चल रहा है। बचे हुए ट्रेन सेटों की आपूर्ति प्रति माह 2 ट्रेन सेट की दर से जारी रहने की उम्मीद है।
कुल भौतिक प्रगति - **79%**

o **डिपो संयंत्र और उपकरण (पी एंड ई) [छः उप-पैकेज़]:**
इस पैकेज़ के अंतर्गत खरीद, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग संबंधी गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।
कुल भौतिक प्रगति - **49%**

- **सिगनलिंग और दूरसंचार :**

o **सिगनलिंग एवं ट्रेन नियंत्रण, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर एवं दूरसंचार प्रणाली (एसटीपीटी):**
आंशिक स्वीकृति परीक्षण (पीएटी), सिस्टम स्वीकृति परीक्षण (एसएटी) और एकीकृत परीक्षण 100% सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसके अलावा, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली चालू हो गई है, और स्वतंत्र सुरक्षा निर्धारक (आईएसए) से अंतिम प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त, चरण-I के सभी स्टेशनों पर प्लेटफ़ॉर्म स्क्रीन डोर (पीएसडी) की स्थापना 100% पूरी हो चुकी है। वर्तमान में, यात्री सूचना प्रदर्शन प्रणाली (पीआईडीएस), यात्री घोषणा प्रणाली (पीएएस) और सीसीटीवी सहित स्टेशन प्रणालियों का संस्थापन कार्य प्रगति पर है।
कुल भौतिक प्रगति - **72%**

o **स्वचालित किराया संग्रह (एएफ़सी) प्रणाली :**
एएफसी सिस्टम को एनसीएमसी कार्ड के साथ सुसंगत बनाने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। स्टेशनों पर एएफसी उपकरणों के स्थापन का कार्य चल रहा है। टिकटिंग के लिए एनसीएमसी कार्ड, क्यूआर कोड टिकटिंग (पेपर और मोबाइल) का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक को लेनदेन प्रक्रियाओं, कार्ड जारी करने और एएफसी एकीकरण सेवाओं के लिए बैंकिंग भागीदार के रूप में चुना गया है।
कुल भौतिक प्रगति - **57%**

o **स्टेशन सुरक्षा प्रणाली (एसएसएस):**
बैगेज स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी), हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) और विस्फोटक डिटेक्टर की खरीद के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्राप्त सामग्री के लिए चरण-1 के स्टेशनों पर स्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है।

- **सूचना एवं प्रौद्योगिकी :**

o **सामान्य परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (सीएएमएस):**
प्रचालन और रखरखाव की समुचित व्यवस्था के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, जो मुख्य रूप से - परिसंपत्ति प्रबंधन, कार्य प्रबंधन, सामान का प्रबंधन, खरीद प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन, बजट प्रबंधन, निवारक रखरखाव प्रबंधन और सेवा प्रबंधन आदि में सहायक होगा।

7. निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

इस रिपोर्ट की तारीख तक निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की सूची निम्नानुसार है।:

क्र. सं.	निदेशक /केएमपी का नाम	डीआईएन / पीएएन	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
1.	श्री के श्रीनिवास	00414340	20/08/2024	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
2.	श्रीमती अश्विनी सतीश भिड़े	02861008	12/07/2022	प्रबंध निदेशक
3.	श्री जयदीप	08558063	06/12/2019	नामित निदेशक
4.	श्री आलोक कुमार	10647516	27/05/2024	नामित निदेशक
5.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	07916304	27/04/2022	नामित निदेशक
6.	श्री दीपक अग्रवाल	07321522	28/12/2022	नामित निदेशक
7.	श्री भूषण अशोक गगरानी	00204045	20/03/2024	नामित निदेशक
8.	डॉ. संजय मुखर्जी	08863656	03/06/2023	नामित निदेशक
9.	श्री असीम कुमार सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	02607016	08/06/2023	नामित निदेशक
10.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	03207630	23/02/2024	नामित निदेशक
11.	श्री सुबोध कुमार गुप्ता	07114292	14/01/2015	निदेशक
12.	श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना	ABBPS8774M	01/10/2023	प्रमुख वित्त अधिकारी
13.	श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना	10364557	01/10/2023	निदेशक
14.	श्री राजीव	10260235	29/07/2023	निदेशक
15.	श्री रमन्ना डोमिनिक रचाप्रोलु	10225071	04/07/2023	निदेशक
16.	सुश्री ऋतु देब	ADVPD0728L	15/04/2015	कंपनी सचिव

इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हए हैं।

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति :

क्र. सं.	निदेशक /केएमपी का नाम	डीआईएन / पीएएन	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
1.	डॉ. नितिन नंदकिशोर करीर	01624863	02/05/2023	नामित निदेशक
2.	डॉ. संजय मुखर्जी	08863656	03/06/2023	नामित निदेशक
3.	श्री असीम कुमार सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	02607016	08/06/2023	नामित निदेशक
4.	श्री रमन्ना डोमिनिक रचाप्रोलु	10225071	04/07/2023	अपर निदेशक
5.	श्री रमन्ना डोमिनिक रचाप्रोलु	10225071	29/09/2023	निदेशक
6.	श्री राजीव	10260235	29/07/2023	अपर निदेशक
7.	श्री राजीव	10260235	29/09/2023	निदेशक
8.	श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना	10364557	01/10/2023	अपर निदेशक
9.	श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना	ABBPS8774M	01/10/2023	प्रमुख वित्तीय अधिकारी
10.	श्री के श्रीनिवास	00414340	20/08/2024	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक
11.	श्री अनुराग जैन	01779759	16/03/2024	नामित निदेशक
12.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	03207630	23/02/2024	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की सेवा समाप्ति:

क्र. सं.	निदेशक /केएमपी का नाम	डीआईएन / पीएएन	सेवा समाप्ति की तिथि	पदनाम
1.	श्री अनुराग जैन	01779759	16/08/2024	नामित निदेशक
2.	श्री मनोज जोशी	02103601	16/03/2024	नामित निदेशक
3.	श्री भूषण अशोक गगरानी	00204045	08/06/2023	नामित निदेशक
4.	श्री मनोज सौनिक	02954463	02/05/2023	नामित निदेशक
5.	श्री श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंटी	02860903	03/06/2023	निदेशक
6.	श्री अबोध खंडेलवाल	07807394	30/09/2023	प्रमुख वित्तीय अधिकारी
7.	श्री अबोध खंडेलवाल	ACYPK0309G	30/09/2023	नामित निदेशक
8.	डॉ. नितिन नंदकिशोर करीर	01624863	23/02/2024	नामित निदेशक

8. बोर्ड बैठकों और समिति की बैठकों का विवरण:

(क) निदेशक मंडल की बैठकें :

वित्त वर्ष 2023-24, के दौरान कुल छह बार निदेशक मंडल की बैठकें हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशकों की संख्या
70 वीं बैठक	01/06/2023	08
71 वीं बैठक	28/07/2023	10
72 वीं बैठक	29/09/2023	11
73 वीं बैठक	01/11/2023	09
74 वीं बैठक	18/12/2023	10
75 वीं बैठक	28/03/2024	11

निदेशक का नाम	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या		
	आयोजित	अधिकृत	उपस्थिति
श्री मनोज जोशी	6	5	5
श्री अनुराग जैन	6	1	1
श्रीमती अश्विनी भिड़े	6	6	6
श्री जयदीप	6	6	6
श्री दीपक अग्रवाल	6	6	1
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	6	6	6
श्री राकेश चौधरी	6	6	2
श्री इकबाल सिंह चहल	6	5	0
श्री भूषण अशोक गगरानी	6	1	0
श्री संजय मुखर्जी	6	5	0
श्री श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंटी	6	1	1
श्री नितिन नंदकिशोर करीर	6	5	2
श्री असीम कुमार सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	6	5	1
श्री ओमप्रकाश गुप्ता	6	1	1
श्री राजीव	6	5	5
श्री रमन्ना डोमिनिक रचाप्रोलु	6	5	4
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	6	6	6
श्री अबोध खंडेलवाल	6	3	3
श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना	6	3	3

(ख) लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति की बैठक के लिए कोरम हेतु 2 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठक की संरचना तथा बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न है:

क्र. सं	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या		
			आयोजित	अधिकृत	उपस्थिति
1	श्री जयदीप	अध्यक्ष	3	3	3
2	श्रीमती नमिता महरोत्रा	सदस्य	3	3	3
3	श्री असीमकुमार सुरेंद्रकुमार गुप्ता	सदस्य	3	2	1
4	श्री अबोध खंडेलवाल*	निदेशक, वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी / स्थायी आमंत्रित	3	2	2
5	श्रीमती अश्विनी भिड़े	प्रबंध निदेशक/ स्थायी आमंत्रित	3	3	3
6	श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना**	निदेशक वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी / स्थायी आमंत्रित	3	1	1

*श्री अबोध खंडेलवाल का निदेशक वित्त और सीएफ़ओ के रूप में कार्यकाल 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो गया है।
** श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना को अतिरिक्त निदेशक, वित्त एवं सीएफ़ओ के रूप में 01 अक्तूबर 2023 को नियुक्त किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठक का आयोजन 18 जुलाई 2023, 27 जुलाई 2023 और 18 अक्तूबर 2023 को किया गया था।

(ग) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

वित्त वर्ष 2023-24 में इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति की एक प्रति अनुलग्नक- I में संलग्न है।

(घ) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

निगम को वित्त वर्ष 2023-24 सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घाटे का सामना करना पड़ा है। इस कारण निगम पर सीएसआर के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ङ) शेयर आवंटन समिति

कंपनी कानून, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा शेयर आवंटन समिति का गठन किया गया है। यह समिति निदेशक मंडल की एक गैर-अनिवार्य समिति है।

वर्ष के दौरान शेयर आवंटन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

(च) असाधारण आम बैठक

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 02 असाधारण बैठकें आयोजित की गयीं, जिनका विवरण निम्न है :

क्र. सं	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान संपन्न बैठकें		
			आयोजित	अधिकृत	उपस्थिति
1	श्री मनोज जोशी, नामित, भारत सरकार	नामित निदेशक/ अध्यक्ष	2	2	2
2	डॉ. संजय मुखर्जी, नामित, महाराष्ट्र सरकार	नामित निदेशक	2	2	0
3	श्री असीम कुमार सुरेन्द्रकुमार गुप्ता, नामित, महाराष्ट्र सरकार	नामित निदेशक/ सदस्य	2	2	0
4	श्रीमती अश्विनी भिड़े, नामित, महाराष्ट्र सरकार	प्रबंध निदेशक/ सदस्य	2	2	2
5	श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना, नामित, महाराष्ट्र सरकार	निदेशक, वित्त एवं सीएफ़ओ/ सदस्य	2	2	2
6	श्री विकास कुमार, अवर सचिव (एमआरटीएस-II)	सदस्य	2	2	2
7	श्रीमती राखी बिस्वास, अवर सचिव (एमआरटीएस-I)	सदस्य	2	2	1
8	श्री रवि चौधरी, अवर सचिव (एमआरटीएस -समन्वय)	सदस्य	2	2	1

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दो बार असाधारण आम बैठकों का आयोजन 1 नवंबर 2023 एवं 18 दिसंबर 2023 को किया गया।

9. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, और रिपोर्ट तिथि के मध्य हुई हैं:

कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, और जो वित्त वर्ष के अंत से रिपोर्ट की तिथि के मध्य हुई हो, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं।

10. विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण जो भविष्य में चालू व्यवसाय की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

वित्त वर्ष के अंत से रिपोर्ट की तिथि के दौरान जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है।

11. जमा :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई जमाराशि नहीं ली है, न ही स्वीकार की है। इसके अलावा, ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है जो कंपनी (जमाराशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के दायरे में आती हो।

12. सांविधिक लेखा परीक्षक :

सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के कार्यालय द्वारा की जाती है।

कंपनी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मेसर्स ए.पी.संजगिरी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति पत्र संख्या सी.ए.वी/सीओवाई/भारत सरकार, मेट्रो (II)/1794 दिनांक 21.09.2024 के माध्यम से प्राप्त हुई है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है, जिसके लिए निदेशक रिपोर्ट में प्रकटीकरण या केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो।

13. सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी :

सांविधिक लेखा परीक्षक मेसर्स ए पी संझगिरी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वर्ष 2023-2024 के लिए वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है और अनक्वालिफाईड रिपोर्ट दी है।

14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पर टिप्पणी:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा और लेखा परीक्षा पूरी हो गई है और तदनुसार सीएजी की रिपोर्ट 26.09.2024 को प्राप्त हुई है।

15. सचिवीय लेखा परीक्षक :

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स पीकेएसआर एंड कंपनी एलएलपी, कंपनी सचिवों को नियुक्त किया था। उनकी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति अनुलग्नक- II के रूप में इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

16. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश एवं विदेशी मुद्रा से आय और व्यय :

वित्त वर्ष 2023-24, के दौरान ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश एवं विदेशी मुद्रा से आय और व्यय का विवरण निम्न है:

क) ऊर्जा संरक्षण :	
(i) उठाए गए कदम का ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव;	मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एमएमएल-3) में ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित पहल की योजना बनाई जा रही है: i) सभी मेट्रो स्टेशनों/डिपो पर एलईडी प्रकार की ऊर्जा कुशल बुद्धिमान प्रकाश व्यवस्था (साइनेज सहित) का उपयोग किया जाएगा। ii) ऊर्जा संरक्षण के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर सिस्टम में वीवीवीएफ (वैरिएबल वोल्टेज वैरिएबल फ्रीक्वेंसी) ड्राइव का उपयोग। iii) भूमिगत, ओवरग्राउंड और मिड टनल वेंटिलेशन शाफ्ट के ईसीएस और टीवीएस सिस्टम में थ्री फेज़ एसी मोटर्स की गति को नियंत्रित करने के लिए वैरिएबल स्पीड ड्राइव (वीएसडी) का उपयोग। iv) भूमिगत स्टेशनों में पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ईसीएस) पर गर्मी के भार को कम करने के लिए पूरी ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर का उपयोग, जिससे ईसीएस में खपत होने वाली ऊर्जा में लगभग 35% कमी होने की उम्मीद है। v) ट्रेनों के आधुनिक वीवीवीएफ नियंत्रण प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके ऊर्जा का लगभग 30% का पुनर्जनन। कोई भार न होने की स्थिति में एस्केलेटर की गति को कम करने और रुकने के लिए सेंसर का उपयोग जिससे बिना लोड/निष्क्रिय स्थिति के दौरान लगभग 50% ऊर्जा बचाने में मदद मिलेगी।
(ii) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम;	वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों यानी सौर ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में एमएमआरसी में निम्नलिखित पहल की योजना बनाई जा रही है/शुरू की जा रही है: i) प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के द्वारा ओपन एक्सेस के माध्यम से 50 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने की योजना। ii) सभी तीन रिसीविंग सब स्टेशन (आरएसएस) पर रूफ टॉप सोलर पीवी प्लांट की योजना बनाई जा रही है, जिससे कुल 60 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। iii) एमएमएल-3 डिपो में ओसीसी बिल्डिंग और स्टैबलिंग लाइनों के कवर्ड शेड की योजना बनाई जा रही है, जिससे 2165 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी।

	इसके अलावा, अपनी हरित प्रतिबद्धताओं की खोज में, एमएमआरसी ने पहले ही एमएमआरसी ट्रांजिट ऑफिस बिल्डिंग में रूफटॉप माउंटेड सोलर पीवी 75 किलोवाट प्लांट स्थापित किया है, जो नवंबर 2018 से चालू है।
(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश;	(क) 75 केवीपी रूफटॉप माउंटेड सोलर पीवी प्लांट के लिए अब तक किया गया पूंजीगत निवेश 54,49,500 रुपये है। (ख) लीडिंग रिएक्टिव पावर फैक्टर को कम करने के लिए आरएसएस और स्टेशन स्तर पर डायनेमिक रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इक्विपमेंट (आईजीबीटी) लगाया गया है। अब तक, 1500 केवीएआर के लिए पूंजीगत निवेश 4 महीने की वापसी अवधि के साथ 1.1 करोड़ रुपये है।
(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण	
i) प्रौद्योगिकी अवशोषण हेतु किए गए प्रयास;	i) मेट्रो स्टेशनों में ट्रेन संचालन के पीक/नॉन-पीक/नॉन-रेवेन्यू घंटों के दौरान एलईडी लाइटिंग, मूवमेंट डिटेक्टर और इष्टतम लाइटिंग (स्वचालित रूप से लक्स स्तर नियंत्रण)। ii) विद्युत ऊर्जा बचाने और पहियों और ब्रेक ब्लॉकों के टूट-फूट को कम करने के लिए पुनर्योजी ब्रेकिंग। iii) ऊर्जा कुशल और आसानी से रखरखाव योग्य वीवीवीएफ आधारित प्रणोदन प्रणाली। iv) कोचों में एलईडी लाइटिंग और वीवीवीएफ ड्राइव इन्वर्टर-आधारित एयर कंडीशनिंग प्रणाली। v) एमएमएल-3 रिसीविंग सबस्टेशनों में गैस इंसुलेटेड स्विचगियर्स (जीआईएस) का उपयोग। ये कॉम्पैक्ट और विश्वसनीय प्रणाली है जिसमें रखरखाव की आवश्यकता कम होती है। vi) टीवीएस और ईसीएस के एकीकृत स्काडा नियंत्रण के माध्यम से बेहतर यात्री सुविधा और कम लागत सुनिश्चित की जा रही है। vii) परिचालन दक्षता के अनुकूलन के लिए एमएमएल-3 के लिए अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन (यूटीओ) के साथ संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) प्रस्तावित है। viii)एमएमएल-3 में एएफसी के लिए राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) प्रस्तुत किया गया है। इस प्रणाली में एनसीएमसी कार्ड और मोबाइल ऐप के

	माध्यम से मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में परिवहन के अन्य साधनों के साथ अंतर-आवागमन हेतु एकीकृत टिकटिंग प्रणाली (आईटीएस) के साथ एकीकृत करने का प्रावधान भी होगा। दो तरफा औडियो विडियो अंतरण क्षमतायुक्त वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम (VTS)
(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ;	i) रोलिंग स्टॉक के प्रमुख उपकरण जैसे कनवर्टर/इन्वर्टर यूनिट, स्टैटिक इन्वर्टर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी), डोर सिस्टम, पैंटोग्राफ, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (वीएसी) आदि स्वदेश निर्मित हैं। ii) सिग्नलिंग और टेलीकॉम के प्रमुख उपकरण जैसे डिपो के लिए पॉइंट मशीन, केबल, सिग्नल यूनिट, रियर प्रोजेक्शन स्क्रीन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्यूबिकल्स, पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम (पीआईडीएस), फॉल्ट रिपोर्टिंग सिस्टम (एफआरएस), अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई (यूपीएस), वॉयस रिकॉर्डिंग सिस्टम (वीआरएस) आदि को भी स्वदेशी स्रोतों से लिया जा रहा है।
(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित, वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गणना की गई)	लागू नहीं (एमएमएल-3 कार्यान्वयन के अंतर्गत एक ग्रीन फील्ड परियोजना है)
(क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा	
(ख) आयात का वर्ष;	
(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्णतः अपनाई गयी है;	
(घ) यदि पूर्णतः अपनाई नहीं गई है, तो वे क्षेत्र जहां नहीं अपनाई गई है, तथा उसके कारण; तथा	लागू नहीं (एमएमएल-3 प्रोजेक्ट का कार्य जारी)
(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय।	लागू नहीं
(ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय:	
वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्प्रवाह के रूप में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा तथा वर्ष के दौरान वास्तविक बहिर्प्रवाह के रूप में व्यय की गई विदेशी मुद्रा।	विदेशी मुद्रा आय – शून्य विदेशी मुद्रा व्यय – रु. 6,21,93,05,423/-

17. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(जी) के अनुसार ऋण, निवेश और गारंटी का विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किये हैं अथवा किसी ऐसे ऋण पर गारंटी नहीं दी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(जी) के प्रावधानों के दायरे में आता हो। कर्मचारियों को दिए गए ऋण 2,50,000/- रुपये (चालू) और शून्य (गैर-चालू) थे।

18. संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ किये गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण निर्धारित प्रारूप, एओसी-2 में इस रिपोर्ट के साथ "अनुलग्नक III" के रूप में संलग्न किया गया है।

19. वार्षिक रिटर्न का सार

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिटर्न का सार कंपनी के वेबसाइट www.mmrcl.com पर उपलब्ध होगा।

20. कर्मचारी:

(i) ऐसे कोई भी कर्मचारी नहीं हैं जो रु.8,50,000 रुपये प्रति माह या 1,02,00,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हों। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 72 कर्मचारियों ने कार्यग्रहण किया और 28 कर्मचारियों ने संगठन से इस्तीफा दे दिया।

(ii) 5 जून 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (अध्याय XIII) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने से छूट दी गई है। इसलिए इसके तहत बनाए गए नियम यानी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 का नियम 5 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होता है।

(iii) इसके अलावा, निदेशक मंडल एतद्वारा यह सूचि करता है कि कंपनी को समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2011" के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की गई है।

21. जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन कंपनी की रणनीतिक योजना का एक अभिन्न अंग है। कंपनी के पास विश्वसनीय वित्तीय जानकारी सुरक्षित रखने और उपलब्ध कराने, लागू प्रावधानों का अनुपालन करने और उचित नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं।

22. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

निदेशक मंडल अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी और त्रुटियों, यदि कोई हो, का व्यवस्थित और कुशतापूर्वक पता लगाया जा सके। इसके अलावा, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता निर्धारित करने के लिए आंतरिक नीतियां और प्रक्रियाएं एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए एक व्यवस्था मौजूद है।

23. आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन

निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित कंपनी की सभी बोर्ड और आम बैठकों के लिए आईसीएसआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के तहत एमसीए द्वारा अधिसूचित सचिवीय मानक-1 ("बोर्ड मीटिंग") और सचिवीय मानक-2 ("सामान्य बैठकें") के प्रावधानों के अनुपालन की घोषणा करता है।

24. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक एतद्वारा यह उल्लेख करते हैं कि :

(क) वार्षिक लेखों के निर्माण के दौरान लागू लेखा मानकों का अनुसरण, महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर उपयोग किया गया है तथा औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं अनुमान लगाये गए हैं जिनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों तथा उक्त अवधि में कंपनी के लाभ की सत्य एवं निष्पक्ष छवि की प्रस्तुति होती हो;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करके पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण करने तथा उन्हें जालसाजी एवं अनियमितताओं से बचाने एवं उनका पता लगाने के लिए यथोचित और पर्याप्त व्यवस्था की है।

(घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखों का निर्माण गोइंग कंसर्न (चालू व्यवसाय) के आधार पर तैयार किया है; और

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा वे प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

25. दिवालियापन एवं ऋणशोधन संहिता, 2016 के अंतर्गत आवेदन या लंबित कार्यवाही का विवरण

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष दिवालियापन एवं ऋणशोधन संहिता, 2016 के अंतर्गत कंपनी द्वारा या कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

26. बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करते समय एकमुश्त निपटान तथा मूल्यांकन के बीच मूल्यांकन राशि के अंतर का विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं हुआ है।

27. आभारोक्ति

मैं, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार), महाराष्ट्र सरकार, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीका) और भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों से प्राप्त सहायता, समर्थन और सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूँ। मैं निदेशक मंडल के सदस्यों से प्राप्त बहुमूल्य मार्गदर्शन, समर्थन एवं समय-समय पर विवेकसम्मत मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में, मैं सभी कर्मचारियों के प्रयासों, उनके समर्पण और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने देश की प्रथम पूर्णरूपेण भूमिगत मेट्रो रेल नेटवर्क के सुरंग बनाने के कार्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे उम्मीद है कि अत्यधिक प्रेरित कुशल कार्यबल मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भविष्य के सभी प्रयासों को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.09.2024

श्रीनिवास आर कटिकिथला
अध्यक्ष एमएमआरसीएल, सचिव
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

नामांकन और पारिश्रमिक नीति

क्र. सं.	अनुक्रमणिका
1	प्रस्तावना
2	नीति के मुख्य उद्देश्य
3	प्रभावी तिथि
4	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन
5	परिभाषा
6	प्रयोज्यता
7	निदेशक मंडल/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों पर नीति की प्रयोज्यता
8	समिति के सदस्य
9	समिति का कोरम
10	समिति की बैठकें
11	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति एवं उनकी पदच्युति
12	अवधि/कार्यकाल
13	पदच्युति
14	सेवानिवृत्ति
15	निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों/वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक की नीति
16	कार्यान्वयन
17	संशोधन

1. प्रस्तावना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के प्रावधानों के साथ पठित विनियमों के अनुसार, कंपनी द्वारा यह नामांकन और पारिश्रमिक नीति तैयार की गई है। यह नीति सरकारी कंपनियों पर लागू सीमा तक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों की नियुक्ति पर लागू होगी।

2. नीति के प्रमुख उद्देश्य:

नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:

क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति तथा पदच्युति के संबंध में निदेशक मंडल का मार्गदर्शन करना।

ख) वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक अथवा कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और आगे के मूल्यांकन के लिए बोर्ड को आवश्यक रिपोर्ट की प्रस्तुति करना।

ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन को देय पारिश्रमिक के लिए निदेशक मंडल को अनुशंसा करना।

3. प्रभावी तिथि:

यह नीति बोर्ड द्वारा इसके अनुमोदन दिए जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

4. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन:

निदेशक मंडल द्वारा 5 मार्च, 2016 और 27 मई, 2016 को आयोजित अपनी 38वीं और 39वीं बोर्ड बैठक में समिति के संदर्भ की शर्तों के साथ नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था।

5. परिभाषाएँ:

- "बोर्ड" से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल से है।
- "निदेशक" का अर्थ कंपनी का निदेशक है।
- "समिति" से निदेशक मंडल द्वारा गठित या पुनर्गठित कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अभिप्रेत है।
- "कंपनी" का अर्थ मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।
- यदि कहीं अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है तो "महाराष्ट्र सरकार" या "सरकार" का अभिप्राय महाराष्ट्र राज्य सरकार है।
- "केंद्र सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है। भारत सरकार में भारत के राष्ट्रपति" या उनके किसी नामांकित व्यक्ति शामिल हैं।
- "स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्दिष्ट के अनुसार निदेशक है।
- "वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक" से निदेशक मंडल के अलावा कंपनी के वे कार्मिक हैं जो प्रमुख प्रबंधन टीम के सदस्य हैं। इसमें कार्यात्मक प्रमुखों सहित कार्यपालक निदेशक से एक स्तर नीचे, चाहे उनका पदनाम कुछ भी हो, के प्रबंधन के सभी सदस्य शामल होंगे।

यदि प्रसंग में कहीं अन्यथा अपेक्षित नहीं है तो इस नीति में प्रयुक्त तथा इसमें परिभाषित न किये गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियाँ, परन्तु जो समय समय पर कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित हैं, के लिए क्रमशः वाही अर्थ अभिप्रेत होगा जो उनके लिए निर्दिष्ट है।

6. प्रयोज्यता:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के उपबंधों के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक नीति केवल निम्नलिखित पर लागू होगी:

(क) कार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशक (कंपनी के कर्मचारी के रूप में और महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामांकित अथवा नियुक्ति के लिए नहीं)

(ख) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी के कर्मचारी के रूप में)

(ग) वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक

(घ) अन्य कर्मचारी

संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल में महाराष्ट्र सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों पर इस नीति में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

7. निदेशक मंडल/प्रबंध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों पर नीति की प्रयोज्यता:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) तथा कंपनी के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसरण में, धारा 178 की उपधारा (2), (3) और (4) के प्रावधान कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों (जब तक कि वे कंपनी के कर्मचारी न हों) के लिए लागू नहीं हैं।

एक सरकारी कंपनी तथा कंपनी के संगम अनुच्छेद के संदर्भ में, प्रबंध निदेशक के कार्यकाल के संदर्भ में, प्रबंध निदेशक के नियम, शर्तें, कार्यकाल, परिस्थितियों और पारिश्रमिक का निर्धारण महाराष्ट्र सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार, प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है, की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक के संबंध में इस नीति में से कुछ भी लागू नहीं होगा।

इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार; प्रमुख प्रबंधन कार्मिक से संबंधित धारा 203 की उप-धारा (1), (2), (3) और (4) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी के प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशकों के संबंध में लागू नहीं हैं। इसप्रकार, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक से संबंधित इस नीति में कुछ भी प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों के लिए लागू नहीं होगा।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को कंपनी के निदेशक मंडल में कुछ निदेशकों को नामित करने और नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी नियुक्तियां इस नीति के दायरे से बाहर होंगी।

8. समिति के सदस्य:

समिति में न्यूनतम 3 निदेशक शामिल होंगे। समिति में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत अर्थात 50% से अधिक होगा। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

9. समिति का कोरम

समिति का कोरम न्यूनतम 2 निदेशक होगा।

10. समिति की बैठकें

समिति द्वारा उचित समझे गए समय तथा अंतराल के अनुसार अपनी बैठकों का आयोजन किया जायेगा। समिति की बैठकों का आयोजन समिति के सदस्यों के लिए सुविधाजनक किसी भी स्थल पर किया जा सकेगा। किसी सांविधिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंधित किये गए मामलों के अलावा, समिति द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति की बैठकों के आयोजन के प्रावधान किया जा सकता है।

समिति की बैठक में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित कोई भी प्रस्ताव को परिचालन द्वारा भी पारित किया जा सकता है, जब तक कि किसी क़ानून के तहत कानून द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध न हो।

11. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और पदच्युति

क) समिति द्वारा सत्यनिष्ठा, योग्यता, विशेषज्ञता तथा अनुभव को संज्ञान में लेकर तथा ज्ञात करके, किसी व्यक्ति की प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर नियुक्ति के लिए कंपनी की नीति के अनुसार, अनुशंसा की जा सकेगी।

ख) किसी व्यक्ति के पास उस पद के लिए पर्याप्त योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव होना चाहिए जिसके लिए उसकी नियुक्ति विचाराधीन है। समिति को किसी व्यक्ति द्वारा धारित अर्हता, विशेषज्ञता तथा अनुभव को पद के लिए पर्याप्त/संतोषजनक माने जाने अथवा न माने जाने का अधिकार प्राप्त है।

ग) कंपनी द्वारा सत्तर वर्ष की आयु से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा अथवा पद पर रोजगार नहीं करने दिया जाएगा। परंतु यह कि शेयरधारकों के अनुमोदन से विशेष संकल्प पारित करके पद पर कार्यरत व्यक्ति का कार्यकाल सत्तर वर्ष की आयु से अधिक विस्तारित किया जा सकेगा।

12. कार्य अवधि/कार्यकाल

प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक:

महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की किये जाने तक, उनके कार्य उपबंध तथा कार्यकाल का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता रहेगा।

13. पदच्युति

समिति लिखित रूप में कारण सूचित करके किसी प्रमुख प्रबंधन कार्मिक या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की पदच्युति की अनुशंसा, कंपनी अधिनियम, 2013, के प्रावधानों, नियमों और विनियमों तथा कंपनी की नीति के अनुपालन की शर्त पर, की जा सकेगी।

14. सेवानिवृत्ति

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की सेवानिवृत्ति अधिनियम के लागू प्रावधानों और कंपनी की लागू नीति के अनुसार होगी। निदेशक मंडल को, कंपनी के हित में, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के पश्चात भी समान पद/पारिश्रमिक पर या भिन्न प्रकार से सेवा पर बनाए रखने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

15. निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों/वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक की नीति

गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को पारिश्रमिक:

क) गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत बैठक शुल्क तथा अन्य पारिश्रमिक चुकता किये जा सकते हैं। बैठक शुल्क की राशि, नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित एवं निदेशक मंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार होगी।

ख) गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों के सभी पारिश्रमिक (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (5) के अंतर्गत निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पारिश्रमिक के अलावा) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अध्याधीन निर्मित नियमों अथवा अन्य अद्यतन प्रवर्तित विधि व्यवस्था के अनुसार निर्धारित ऊपरी सीमा/सीमा के अनुसार होगी। ऐसे पारिश्रमिक की राशि की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसा की जायेगी तथा इसका अनुमोदन निदेशक मंडल अथवा शेयरधारकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया जा सकेगा।

ग) स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्प प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा तथा न ही वे कंपनी की किसी शेयर आधारित भुगतान योजना में प्रतिभागिता का पात्र होगा।

घ) गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को व्यावसायिक प्रकृति की सेवाओं के लिए दिया गया कोई भी पारिश्रमिक उपरोक्त खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए पारिश्रमिक के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

i) निदेशक द्वारा पेशेवर के रूप में अपनी क्षमता में प्रदान की गई सेवाएं; तथा

ii) समिति के मतानुसार, यदि निदेशक के पास ऐसे व्यवसाय के निर्वाह के लिए अपेक्षित अर्हता है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन को पारिश्रमिक:

क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन को पारिश्रमिक में, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा कंपनी की नीति के अनुसरण में, उचित समझे गए अनुसार नियत वेतन एवं प्रोत्साहन वेतन शामिल होगा।

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक का निर्धारण बाजार मानकों के अथवा महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया जा सकता है।

16. कार्यान्वयन

क) इस पारिश्रमिक नीति का उपयोग प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा निदेशक मंडल सहित कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के साथ किये जानेवाले प्रत्येक भावी रोजगार नियोजन अनुबंध के लिए अर्थात निदेशक मंडल द्वारा इस नीति को अंगीकार किये जाने के पश्चात की जानेवाली नियुक्तियों के लिए लागू होगा। निदेशक मंडल द्वारा इस नीति को अंगीकार किये जाने से पूर्व की गई किसी नियुक्ति के लिए ऐसी नियुक्तियों के नियमों एवं शर्तों में संशोधन, आशोधन या किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने के समय इस नीति के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा।

ख) अन्य मामलों में, पारिश्रमिक नीति निदेशक मंडल के लिए मार्गदर्शन होगी। इस नीति के किसी अथवा सभी प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013, संबंधित नियमों, विनियमों, समय-समय पर सूचित विषय से संबंधित दिशानिर्देशों में किये जानेवाले परिवर्तन/संशोधन की शत के अध्याधीन होंगे। ऐसे संशोधन, स्वयंमेव, नामांकन

एवं पारिश्रमिक समिति तथा/अथवा निदेशक मंडल के किसी प्रकार के अनुमोदन की प्राप्ति की आवश्यकता के बिना, प्रभावी होंगे। तथापि, ऐसे संशोधन इस नीति के साथ नत्थी किये जाएंगे तथा सभी संबंधित व्यक्ति के लिए तत्काल संदर्भ के उद्देश्य से कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किये जाएंगे तथा अगली बैठक में प्रस्तुति के लिए इसे नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है।

ग) समिति द्वारा यथोचित पाए जाने की स्थिति में इस नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अनुपूरक के रूप में दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं, प्रारूप, रिपोर्टिंग तंत्रव्यवस्था एवं मैनुअल जारी किये जा सकते हैं।

घ) समिति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्योजन किसी एक अथवा अधिक सदस्यों को किया जा सकता है।

17. संशोधन

निदेशक मंडल द्वारा किसी भी समय कोई कारण सूचित किये बिना, इस नीति में संशोधन अथवा आशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा संशोधन अथवा आशोधन अथवा परिवर्तन इस नीति के साथ नत्थी होंगे तथा इसके संबंध में इसे निदेशक मंडल की बैठक तथा समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेख रिकार्डबद्ध किया जाएगा।

फार्म संख्या एमआर - 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सदस्यगण,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ट्रांजिट कार्यालय, ई-ब्लॉक,
सिटी पार्क की उत्तरी साइड,
आयकर कार्यालय के पीछे,
ए-विंग बांद्रा (ई), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई- 400051

हमने **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन- U60100MH2008SGC181770)**, (एतद्द्वारा 'कंपनी' के नाम से संबोधित), एक संयुक्त उद्यम इकाई जिसमें केंद्र सरकार की 50% हिस्सेदारी और महाराष्ट्र सरकार की शेष 50% हिस्सेदारी है, (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) का लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किये जाने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षण किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

कंपनी का प्रबंधन सचिवीय रिकार्डों के निर्माण तथा अनुरक्षण तथा लागू विधियों एवं विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।

हमारा उत्तरदायित्व सचिवीय रिकार्डों, मानकों तथा कंपनी द्वारा सचिवीय अनुपालनों के संबंध में अनुसरण की जा रही प्रक्रियाओं के संबंध में अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा प्रमाणों एवं कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त सूचना से हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त एवं यथोचित आधार प्राप्त हुए हैं।

हमारे द्वारा कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किये गए अन्य रिकॉर्ड तथा सचिवीय लेखापरीक्षण का निर्वाह किये जाने के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के संबंध में की गई जांच के आधार पर:

हम एतद्द्वारा, यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने **31 मार्च 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूर्णतः अनुसरण किया है तथा कंपनी में यहाँ उल्लेख के अनुसार निदेशक मंडल प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की तंत्रव्यवस्था, रिपोर्टिंग किये जाने की शर्त के साथ, यथोचित ढंग से की गई है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण किये जाने के संदर्भ में **31 मार्च 2024** को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किये गए अन्य रिकॉर्ड जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम; **लागू होता है**

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियम; **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम (Depositories Act), 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप-नियम; **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: - **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों का सार्वजानिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008; **लागू नहीं**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; - **लागू नहीं**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018; - **लागू नहीं**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; - **लागू नहीं**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; - **लागू नहीं**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021; - **लागू नहीं**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018; - **लागू नहीं**

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015. (LODR); - **लागू नहीं**

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015: - **लागू नहीं**

(vi) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए निर्मित नियम तथा विनियम; - **लागू नहीं**

(vii) कराधान कानून और उसके तहत बनाए गए नियम; अर्थात्:
क) आयकर अधिनियम, 1961;
ख) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;
ग) स्रोत पर कर कटौती;

(viii) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965;

(ix) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम (Payment of Gratuity Act), 1972;

(x) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम, 1952;

(xi) कारखाना अधिनियम, 1948;

(xii) कंपनी के संबंध में लागू निम्नलिखित क्षेत्र-विशिष्ट कानून:
(क) मेट्रो रेलवे (विनिर्माण कार्य) अधिनियम, 1978
(ख) मेट्रो रेलवे (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002
(ग) मेट्रो रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2002
(घ) रेलवे अधिनियम, 1890

हमने बोर्ड भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) तथा आम सभाओं (एसएस-2) के संबंध में जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन लागू खंडों के अनुसार किये जाने की भी जांच की है।

हमें ज्ञात हुई जानकारी के अनुसार हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर- कार्यपालक निदेशकों तथा महिला निदेशक के विधिवत संतुलन के साथ किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में के संबंध में किये गए परिवर्तन अधिनियमों के उपबंधों का अनुसरण करते हुए किये गए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

प्रबंधन ने हमें यह भी सूचित किया है कि कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय, क्षेत्रीय विनियामक-पश्चिमी क्षेत्र के कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण जैसे क्षेत्र से संबंधित विनियामकों से उन्हें 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान किसी प्रकार का नोटिस या पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार तथा परिचालन के अनुरूप तथा प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुति के अनुसार कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चय के लिए पर्याप्त हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कंपनी के प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किये गए हैं:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान की गई नियुक्तियाँ:

(i) श्री ओम प्रकाश गुप्ता (DIN- 03207630) को 03.05.2023 से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

(ii) श्री संजय मुखर्जी (DIN- 08863656) को 03.06.2023 से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

(iii) श्री असीम कुमार सुरेन्द्रकुमार गुप्ता (DIN- 02607016) को 08.06.2023 से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

(iv) श्री योगेन्द्र प्रकाश सक्सेना को 01.10. 2023 से अतिरिक्त निदेशक वित्त और सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है।

(v) श्री अनुराग जैन (DIN- 01779759) को 16.03.2024 से कंपनी का अध्यक्ष और नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

(vi) श्री. भूषण अशोक गगरानी (DIN- 00204045) को 20.03.2024 से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सेवा समाप्ति:

(i) श्री मनोज सौनिक (DIN- 02954463) 02.05.2023 से कंपनी के नामित निदेशक के पद से हट गए हैं।

(ii) डॉ. नितिन नंदकिशोर करीर (DIN- 01624863) 02.05.2023 से कंपनी के नामित निदेशक के पद से हट गए हैं।

(iii) श्री श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंती (DIN- 02860903) 03.06.2023 से कंपनी के नामित निदेशक के पद से हट गए हैं।

(iv) श्री अबोध खंडेलवाल (DIN-07807399) 30.09.2023 से वित्त निदेशक के पद से हट गए हैं।

(v) श्री मनोज जोशी (डीआईएन- 02103601) 16.03.2024 से कंपनी के अध्यक्ष और नामित निदेशक के पद से हट गए हैं।

(vi) श्री इकबाल सिंह चहल (डीआईएन- 08727394) 20.03.2024 से कंपनी के नामित निदेशक के पद से हट गए हैं।

शेयर का अंतरण

(i) श्रीमती रचना कुमार द्वारा धारित 100/- रुपये प्रत्येक के 1 (एक) इक्विटी शेयर का अंतरण दिनांक 21.06.2023 को श्री रवि कुमार चौधरी के पक्ष में हुआ।

(ii) श्री एस वी आर श्रीनिवास द्वारा धारित 100/- रुपये प्रत्येक के 240269997 इक्विटी शेयर का अंतरण दिनांक 20.07.2023 को डॉ संजय मुखर्जी के पक्ष में हुआ।

(iii) श्री भूषण गगरानी द्वारा धारित 100/- रुपये प्रत्येक के 1 (एक) इक्विटी शेयर का अंतरण दिनांक 20.07.2023 को श्री असीम कुमार गुप्ता के पक्ष में हुआ।

(iii) श्री अबोध खंडेलवाल द्वारा धारित 100/- रुपये प्रत्येक के 1 (एक) इक्विटी शेयर का अंतरण दिनांक 01.11.2023 को श्री योगेन्द्र पी. सक्सेना के पक्ष में हुआ।

यह उल्लेख किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लागू अन्य कानूनों के सभी प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है।

हमने हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों, सौंपे गए कार्यों के संबंध में हमें प्रदान की गई अपेक्षित सूचना सहित लागू कानूनों के अंतर्गत कंपनी द्वारा अनुपालन के लिए स्थापित प्रणालियों तथा तंत्रव्यवस्था के संबंध में कंपनी तथा इसके अधिकारियों द्वारा हमें

प्रस्तुत प्रस्तुतिओं को विचार में लिया है। हमारे द्वारा परीक्षण के आधार पर कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही प्रक्रिया की जांच अपेक्षित प्रावधानों के सुनिश्चय के लिए की गई थी। हम आगे यह भी सूचित करना चाहते हैं कि ये अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही यह उस कौशल अथवा प्रभावशीलता से संबंधित है जिसके साथ प्रबंधन द्वारा अपने कार्यों का संपादन किया गया है।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि यह न तो किसी प्रकार की लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय क्रियाकलापों/विवरणों के संबंध में किसी मत की अभिव्यक्ति है।

इसके अलावा, हमने इस रिपोर्ट में कंपनी के संबंध में लागू हो सकनेवाले कानूनों के अलावा किसी अन्य कानून से संबंधित किसी मामले, ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट एवं भारत संघ के अन्य कानूनों के अलावा, को कवर नहीं किया है।

पीकेएसआर एंड कंपनी एलएलपी की ओर से,

(प्रशांत कुमार सरकार)
पदनामित साझेदार
सदस्यता संख्या:- एफसीएस 6996
सीओपी संख्या:- 6534
यूडीआईएन- F006996F000659538
पीआर नं.- 3890/2023

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.07.2024

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो **अनुलग्नक-ए** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

नोट: प्रस्तुत रिपोर्ट में व्यक्त की गई अभिव्यक्ति प्राप्त सूचना, तथ्यों एवं कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई इनपुट पर आधारित है।

फार्म संख्या एमआर - 3

अनुलग्नक 'क'

सदस्यगण,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ट्रांजिट कार्यालय, ई-ब्लॉक,
सिटी पार्क की उत्तरी साइड,
आयकर कार्यालय के पीछे,
ए-विंग बांद्रा (ई), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई- 400051

इस रिपोर्ट का पठन हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के साथ किया जाना है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए की गई सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए सचिवीय रिकार्डो के अनुरक्षण का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, अपने मत की अभिवक्ति करना है।

हमने सचिवीय रिकार्डो के सार की तथ्यपरकता के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति के लिए उचित समझे गए लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। यह सत्यापन परीक्षण आधार पर सचिवीय रिकार्डो में प्रस्तुत तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं तथा व्यवहार हमारे मत के निर्माण के लिए औचित्यपरक आधार हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डो तथा लेखा बहियों की सटीकता का सत्यापन नहीं किया है। जहाँ भी अपेक्षित हुआ है, हमने प्रबंधन से कानूनों, नियमों, विवरणों एवं घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में प्रबंधन से प्रस्तुतियां प्राप्त की हैं।

प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों, विनियमों, मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारे द्वारा की गई जांच, कंपनी के संबंध में लागू प्रक्रियायों की परीक्षण आधार पर जांच किये जाने तक सीमित थी।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही यह उस कौशल अथवा प्रभावशीलता से संबंधित है जिसके साथ प्रबंधन द्वारा अपने कार्यों का संपादन किया गया है।

पीकेएसआर एंड कंपनी एलएलपी की ओर से,

(प्रशांत कुमार सरकार)
नामित भागीदार
सदस्यता संख्या:- एफसीएस 6996
सीओपी संख्या:- 6534
यूडीआईएन- F006996F000659538
पीआर नं.- 3890/2023

दिनांक: 02.07.2024
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म संख्या एओसी-2

वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित निदेशक रिपोर्ट का अनुलग्नक-III:

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड-वाक्य (एच) और नियम 8(2) के अनुसरण में)

तृतीयक पक्षकार के परंतुक के अंतर्गत कुछ आर्म-लेंथ संव्यवहारों सहित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु फॉर्म।

1	आर्म-लेंथ आधार पर संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण	
(क)	संबद्ध पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों के प्रमुख उपबंध, यदि कोई हो,	
(च)	ऐसे संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों के निष्पादन का औचित्य	
(छ)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तिथियां	
(ज)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	
(झ)	धारा 188 के परंतुक की अपेक्षा के अनुसार किस तिथि को आम सभा में विशेष संकल्प पारित किया गया	

2	संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण का विवरण जो आर्म-लेंथ आधार पर नहीं हैं	
(क)	संबद्ध पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति	लागू नहीं
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	
(घ)	मूल्य सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों के प्रमुख उपबंध, यदि कोई हो,	
(च))	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तिथियां, यदि कोई हो	
(छ	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	

निदेशक मंडल की ओर से,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20.09.2024

फार्म संख्या एमआर - 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सदस्यगण,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ट्रांजिट कार्यालय, ई-ब्लॉक,
सिटी पार्क की उत्तरी साइड,
आयकर कार्यालय के पीछे,
ए-विंग बांद्रा (ई), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई- 400051

हमने **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन- U60100MH2008SGC181770)**, (एतद्द्वारा 'कंपनी' के नाम से संबोधित), एक संयुक्त उद्यम इकाई जिसमें केंद्र सरकार की 50% हिस्सेदारी और महाराष्ट्र सरकार की शेष 50% हिस्सेदारी है, (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) का लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किये जाने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षण किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

कंपनी का प्रबंधन सचिवीय रिकार्डों के निर्माण तथा अनुरक्षण तथा लागू विधियों एवं विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।

हमारा उत्तरदायित्व सचिवीय रिकार्डों, मानकों तथा कंपनी द्वारा सचिवीय अनुपालनों के संबंध में अनुसरण की जा रही प्रक्रियाओं के संबंध में अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा प्रमाणों एवं कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त सूचना से हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त एवं यथोचित आधार प्राप्त हुए हैं।

हमारे द्वारा कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किये गए अन्य रिकॉर्ड तथा सचिवीय लेखापरीक्षण का निर्वाह किये जाने के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी हमें उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के संबंध में की गई जांच के आधार पर:

हम एतद्द्वारा, यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने **31 मार्च 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूर्णतः अनुसरण किया है तथा कंपनी में यहाँ उल्लेख के अनुसार निदेशक मंडल प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की तंत्रव्यवस्था, रिपोर्टिंग किये जाने की शर्त के साथ, यथोचित ढंग से की गई है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण किये जाने के संदर्भ में **31 मार्च 2024** को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किये गए अन्य रिकॉर्ड जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम; **लागू होता है**

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियम; **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम (Depositories Act), 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप-नियम; **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: - **विचाराधीन अवधि के लिए लागू नहीं**

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों का सार्वजानिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008; **लागू नहीं**

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; - **लागू नहीं**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018; - **लागू नहीं**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; - **लागू नहीं**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; - **लागू नहीं**

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021; - **लागू नहीं**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018; - **लागू नहीं**

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015. (LODR); - **लागू नहीं**

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015: - **लागू नहीं**

(vi) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए निर्मित नियम तथा विनियम; - **लागू नहीं**

(vii) कराधान कानून और उसके तहत बनाए गए नियम; अर्थात्:
क) आयकर अधिनियम, 1961;
ख) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;
ग) स्रोत पर कर कटौती;

(viii) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965;

(ix) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम (Payment of Gratuity Act), 1972;

(x) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध अधिनियम, 1952;

(xi) कारखाना अधिनियम, 1948;

(xii) कंपनी के संबंध में लागू निम्नलिखित क्षेत्र-विशिष्ट कानून:
(क) मेट्रो रेलवे (विनिर्माण कार्य) अधिनियम, 1978
(ख) मेट्रो रेलवे (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002
(ग) मेट्रो रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2002
(घ) रेलवे अधिनियम, 1890

हमने बोर्ड भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) तथा आम सभाओं (एसएस-2) के संबंध में जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन लागू खंडों के अनुसार किये जाने की भी जांच की है।

हमें ज्ञात हुई जानकारी के अनुसार हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर- कार्यपालक निदेशकों तथा महिला निदेशक के विधिवत संतुलन के साथ किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में के संबंध में किये गए परिवर्तन अधिनियमों के उपबंधों का अनुसरण करते हुए किये गए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

प्रबंधन ने हमें यह भी सूचित किया है कि कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय, क्षेत्रीय विनियामक-पश्चिमी क्षेत्र के कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण जैसे क्षेत्र से संबंधित विनियामकों से उन्हें 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान किसी प्रकार का नोटिस या पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार तथा परिचालन के अनुरूप तथा प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुति के अनुसार कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चय के लिए पर्याप्त हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कंपनी के प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किये गए हैं:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान की गई नियुक्तियाँ:

(i) श्री ओम प्रकाश गुप्ता (DIN- 03207630) को 03.05.2023 से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

(ii) श्री संजय मुखर्जी (DIN- 08863656) को 03.06.2023 से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

(iii) श्री असीम कुमार सुरेन्द्रकुमार गुप्ता (DIN- 02607016) को 08.06.2023 से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

(iv) श्री योगेन्द्र प्रकाश सक्सेना को 01.10. 2023 से अतिरिक्त निदेशक वित्त और सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है।

(v) श्री अनुराग जैन (DIN- 01779759) को 16.03.2024 से कंपनी का अध्यक्ष और नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

(vi) श्री. भूषण अशोक गगरानी (DIN- 00204045) को 20.03.2024 से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सेवा समाप्ति:

(i) श्री मनोज सौनिक (DIN- 02954463) 02.05.2023 से कंपनी के नामित निदेशक के पद से हट गए हैं।

(ii) डॉ. नितिन नंदकिशोर करीर (DIN- 01624863) 02.05.2023 से कंपनी के नामित निदेशक के पद से हट गए हैं।

(iii) श्री श्रीनिवास वेंकट रत्न सोंती (DIN- 02860903) 03.06.2023 से कंपनी के नामित निदेशक के पद से हट गए हैं।

(iv) श्री अबोध खंडेलवाल (DIN-07807399) 30.09.2023 से वित्त निदेशक के पद से हट गए हैं।

(v) श्री मनोज जोशी (डीआईएन- 02103601) दिनांक 16.03.2024 से कंपनी के अध्यक्ष और नामित निदेशक के पद से हट गए हैं।

(vi) श्री इकबाल सिंह चहल (डीआईएन- 08727394) दिनांक 20.03.2024 से कंपनी के नामित निदेशक के पद से हट गए हैं।

शेयर का अंतरण

(i) श्रीमती रचना कुमार द्वारा धारित 100/- रुपये प्रत्येक के 1 (एक) इक्विटी शेयर का अंतरण दिनांक 21.06.2023 को श्री रवि कुमार चौधरी के पक्ष में हुआ।

(ii) श्री एस वी आर श्रीनिवास द्वारा धारित 100/- रुपये प्रत्येक के 240269997 इक्विटी शेयर का अंतरण दिनांक 20.07.2023 को डॉ संजय मुखर्जी के पक्ष में हुआ।

(iii) श्री भूषण गगरानी द्वारा धारित 100/- रुपये प्रत्येक के 1 (एक) इक्विटी शेयर का अंतरण दिनांक 20.07.2023 को श्री असीम कुमार गुप्ता के पक्ष में हुआ।

(iii) श्री अबोध खंडेलवाल द्वारा धारित 100/- रुपये प्रत्येक के 1 (एक) इक्विटी शेयर का अंतरण दिनांक 01.11.2023 को श्री योगेन्द्र पी. सक्सेना के पक्ष में हुआ।

यह उल्लेख किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लागू अन्य कानूनों के सभी प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है।

हमने हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों, सौंपे गए कार्यों के संबंध में हमें प्रदान की गई अपेक्षित सूचना सहित लागू कानूनों के अंतर्गत कंपनी द्वारा अनुपालन के लिए स्थापित प्रणालियों तथा तंत्रव्यवस्था के संबंध में कंपनी तथा इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत प्रस्तुतिओं को विचार में लिया है। हमारे द्वारा परीक्षण के आधार पर कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही प्रक्रिया की जांच अपेक्षित प्रावधानों के सुनिश्चय के लिए की गई थी। हम आगे यह भी सूचित करना चाहते हैं कि ये अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही यह उस कौशल अथवा प्रभावशीलता से संबंधित है जिसके साथ प्रबंधन द्वारा अपने कार्यों का संपादन किया गया है।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि यह न तो किसी प्रकार की लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय क्रियाकलापों/विवरणों के संबंध में किसी मत की अभिव्यक्ति है।

इसके अलावा, हमने इस रिपोर्ट में कंपनी के संबंध में लागू हो सकनेवाले कानूनों के अलावा किसी अन्य कानून से संबंधित किसी मामले, ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट एवं भारत संघ के अन्य कानूनों के अलावा, को कवर नहीं किया है।

पीकेएसआर एंड कंपनी एलएलपी की ओर से,

(प्रशांत कुमार सरकार)
पदनामित साझेदार
सदस्यता संख्या:- एफसीएस 6996
सीओपी संख्या:- 6534
यूडीआईएन- F006996F000659538
पीआर नं.- 3890/2023

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02.07.2024

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो **अनुलग्नक-ए** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

नोट: प्रस्तुत रिपोर्ट में व्यक्त की गई अभिव्यक्ति प्राप्त सूचना, तथ्यों एवं कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई इनपुट पर आधारित है।

फार्म संख्या एमआर - 3

अनुलग्नक 'क'

सदस्यगण,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
ट्रांजिट कार्यालय, ई-ब्लॉक,
सिटी पार्क की उत्तरी साइड,
आयकर कार्यालय के पीछे,
ए-विंग बांद्रा (ई), बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई- 400051

इस रिपोर्ट का पठन हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के साथ किया जाना है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए की गई सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए सचिवीय रिकार्डो के अनुरक्षण का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, अपने मत की अभिवक्ति करना है।

हमने सचिवीय रिकार्डो के सार की तथ्यपरकता के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति के लिए उचित समझे गए लेखापरीक्षा व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। यह सत्यापन परीक्षण आधार पर सचिवीय रिकार्डो में प्रस्तुत तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं तथा व्यवहार हमारे मत के निर्माण के लिए औचित्यपरक आधार हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डो तथा लेखा बहियों की सटीकता का सत्यापन नहीं किया है। जहाँ भी अपेक्षित हुआ है, हमने प्रबंधन से कानूनों, नियमों, विवरणों एवं घटनाओं के घटित होने इत्यादि के संबंध में प्रबंधन से प्रस्तुतियां प्राप्त की हैं।

प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनों, विनियमों, मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारे द्वारा की गई जांच, कंपनी के संबंध में लागू प्रक्रियायों की परीक्षण आधार पर जांच किये जाने तक सीमित थी।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है और न ही यह उस कौशल अथवा प्रभावशीलता से संबंधित है जिसके साथ प्रबंधन द्वारा अपने कार्यों का संपादन किया गया है।

पीकेएसआर एंड कंपनी एलएलपी की ओर से,

(प्रशांत कुमार सरकार)
नामित भागीदार
सदस्यता संख्या:- एफसीएस 6996
सीओपी संख्या:- 6534
यूडीआईएन- F006996F000659538

दिनांक: 02.07.2024
स्थान: नई दिल्ली

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्निहित सिद्धांतों यानी मूल्य, नैतिकता और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, और यह सुनिश्चित करते हुए कि कंपनी सभी के हितों में अच्छी तरह से प्रबंधित है, आपके निदेशक कंपनी के सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट रखते हैं:

अपने कार्यों के निष्पादन में, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ असोशियेशन (AOA), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सी एंड एजी जैसे प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विनियमों द्वारा निर्देशित है। इसके अलावा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कर्मचारियों और ठेकेदारों के माध्यम से लगे लोगों के कल्याण, उचित मुआवजे के प्रावधान, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन आदि के संबंध में संगठन के कामकाज को नियंत्रित करने वाले सभी लागू क़ानूनों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

1. निदेशक मंडल

कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के संदर्भ में, बोर्ड के सदस्यों की संख्या सरकारी कंपनियों पर लागू छूट के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित अधिकतम संख्या के साथ 3 निदेशकों से कम नहीं होगी। ये निदेशक या तो नामित निदेशक या कार्यात्मक निदेशक हो सकते हैं।

2. बोर्ड का गठन और संरचना

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। वर्तमान में, कुल चुकता शेयर पूंजी का 100%, भारत सरकार (जीओआई) और महाराष्ट्र सरकार (GOM) के पास 50:50 के अनुपात में है। दोनों सरकारों को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नामित करने का अधिकार है। वर्तमान में, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में 14 निदेशक शामिल हैं। उक्त नामित निदेशक भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें सरकार के कामकाज का काफी अनुभव है और सामान्य प्रबंधन, निर्माण, परियोजना प्रबंधन, डिजाइन, व्यवसाय रणनीति, वित्त आदि सहित कई विषयों में विशेषज्ञता है।

3. जिम्मेदारियाँ

बोर्ड की प्राथमिक भूमिका मार्गदर्शन के साथ यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा कंपनी को सौंपे गए मेंडेट को पूरी तरह से पूरा किया जाए और साथ ही शेयरधारकों के मूल्य को संरक्षित और बढ़ाया जाए। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और नीतियाँ हैं। बोर्ड कंपनी की रणनीतिक दिशा की देखरेख करता है, कॉर्पोरेट प्रदर्शन, अधिकारों की समीक्षा करता है और रणनीतिक निर्णयों की निगरानी करता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है, और शेयरधारकों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के हितों की रक्षा करता है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का प्रबंधन इस तरह से किया जाए कि हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। बोर्ड के सदस्य यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उनकी अन्य जिम्मेदारियाँ कंपनी के निदेशक के रूप में उनकी जिम्मेदारियों पर प्रभाव न डालें।

4. बोर्ड/समिति की बैठकें और प्रक्रिया

(क) संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया/बोर्ड प्रक्रियाएँ।

सभी कॉर्पोरेट प्रशासन को संस्थागत बनाने और बोर्ड द्वारा सूचित और कुशल तरीके से चर्चा और निर्णय की आवश्यकता वाले मामलों के लिए अग्रिम योजना बनाने हेतु सिस्टम और प्रक्रियाएँ स्थापित करने की दृष्टि से, कंपनी ने निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों के लिए अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाएँ बनाई हैं।

(ख) बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए एजेंडा मदों का निर्धारण और चयन

1. बोर्ड के अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उचित सूचना देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, बैठकें संक्षिप्त सूचना पर भी बुलाई जाती हैं। बोर्ड परिचालन द्वारा प्रस्ताव भी पारित करता है, लेकिन केवल ऐसे मामलों के लिए, जो अत्यंत आवश्यक हैं और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य हैं।
2. एजेंडा कागजात संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किए जाते हैं और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करने से पहले अनुमोदन के लिए कार्यात्मक निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित विस्तृत एजेंडा नोट, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण, विस्तृत पृष्ठभूमि की जानकारी सहित कंपनी सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक के परामर्श से निदेशकों/सदस्यों के बीच सार्थक, सूचित और केंद्रित चर्चा और निर्णय की सुविधा के लिए पहले से ही प्रसारित किए जाते हैं।
3. जहां कोई दस्तावेज संलग्न करना वांछनीय नहीं है या यदि एजेंडा संवेदनशील प्रकृति का है, तो उसे प्रबंध निदेशक की स्वीकृति के साथ बैठक में रखा जाता है। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या अनुपूरक मद (आइटम), जो एजेंडे में नहीं हैं, को बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए लिया जाता है।
4. बोर्ड को प्रमुख घटनाओं/मदों और जब भी आवश्यक हो, लिए गए अनुमोदनों के बारे में भी सूचित किया जाता है। प्रबंध निदेशक बोर्ड की बैठकों में कंपनी के समग्र प्रदर्शन से बोर्ड को अवगत कराते रहते हैं।
5. बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच होती है।
6. बोर्ड की बैठकें लागू सचिवीय मानकों के अनुरूप आयोजित की जाती हैं।

(ग) प्रबंध निदेशक/निदेशकों द्वारा ब्रीफिंग

बोर्ड की प्रत्येक बैठक में, प्रबंध निदेशक/निदेशकों, बोर्ड के सदस्यों को परियोजनाओं की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/विकास सहित प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं, और बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुतीकरण देते हैं।

(घ) बोर्ड की बैठक में कार्यवाही के मिनट रिकॉर्ड करना

प्रत्येक बोर्ड बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त दर्ज किए जाते हैं और मिनट बुक (कार्यवृत्त पुस्तिका) में दर्ज किए जाते हैं। बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू सचिवीय मानकों के अनुसार प्रसारित किए जाते हैं। बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त को अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किए जाने के बाद अगली बैठक में नोट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड की उप-समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त भी बोर्ड के समक्ष उनकी जानकारी के लिए रखे जाते हैं।

(ङ) अनुपालन

एजेंडा नोट तैयार करते समय विभागाध्यक्ष और कार्यात्मक निदेशक सभी लागू कानूनों, नियमों, दिशा-निर्देशों आदि के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हैं। कंपनी सचिव कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

बोर्ड मीटिंग: वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 1 जून 2023, 28 जुलाई 2023, 29 सितंबर, 2023, 1 नवंबर 2023, 18 दिसंबर 2023 और 28 मार्च 2024 को छह बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई। सभी बोर्ड मीटिंग 120 दिनों की समयावधि के भीतर आयोजित की गईं।

पदनाम, निदेशक की श्रेणी, बोर्ड की कितनी बैठकों में उपस्थिति दर्शाई, का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	डीआईएन	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक	बोर्ड की कितनी बैठकों में उपस्थिति दर्शाई
1	श्री. अनुराग जैन	अध्यक्ष एवं नामित निदेशक	01779759	1	1
2	श्रीमती अश्विनी भिड़े	प्रबंध निदेशक	02607016	6	6
3	श्री. दीपक अग्रवाल	नामित निदेशक	07321522	6	1
4	श्री. जयदीप	नामित निदेशक	08558063	6	6
5	श्री. इकबाल सिंह चहल	नामित निदेशक	08727394	5	0
6	डॉ. भूषण अशोक गगरानी	नामित निदेशक	00204045	1	0
7	श्री. श्रीनिवास वेंकट सोंती	नामित निदेशक	02860903	1	0
8	डॉ. संजय मुखर्जी	नामित निदेशक	08863656	5	0
9	श्री. सुबोध कुमार गुप्ता	पूर्णकालिक निदेशक	07114292	6	6
10	श्री. अबोध खंडेलवाल	पूर्णकालिक निदेशक	07807394	3	3
11	श्री. राजीव	पूर्णकालिक निदेशक	10260235	5	5
12	श्री मनोज जोशी	नामित निदेशक	02103601	5	5
13	श्री राकेश चौधरी	नामित निदेशक	09495362	6	2
14	श्रीमती. नमिता मेहरोत्रा	नामित निदेशक	07916304	6	6
15	श्री आर रमन्ना	पूर्णकालिक निदेशक	10225071	5	4
16	श्री. योगेन्द्र पी सक्सेना	पूर्णकालिक निदेशक	10364557	3	3

6. निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई सूचना

निदेशक मंडल ने वित्तीय शक्तियों के साथ कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करने के लिए सभी नियमित मामलों पर प्रबंध निदेशक को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनाने और वरिष्ठ प्रबंधन टीम को जिम्मेदारी सौंपने के लिए, शक्तियों की अनुसूची (एसओपी) तैयार की गई है और इसे अनुमोदित और परिचालित किया गया है। जो मामले प्रत्यायोजित शक्तियों से परे हैं, उन्हें बोर्ड के समक्ष लाया जा रहा है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- वार्षिक वित्तीय विवरण और निदेशक रिपोर्ट आदि।
- बोर्ड की सभी समितियों की बैठक के कार्यवृत्त
- सभी प्रस्ताव जिनमें डीपीआर में परिकल्पित के अलावा प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी मापदंडों में परिवर्तन शामिल है।
- सभी प्रस्ताव जिनमें गलियारों में बदलाव, अतिरिक्त स्टेशन आदि शामिल है।
- परियोजनाओं पर प्रगति रिपोर्ट।
- महत्वपूर्ण संपत्ति विकास मामले।
- कंपनी अधिनियम, 2013 से उत्पन्न दायित्व से बाहर रखी जाने वाली जानकारी।
- अन्य भौतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी।
- बोर्ड द्वारा समय-समय पर वांछित अन्य मामले।

7. निदेशक मंडल की समितियाँ

बोर्ड ने चार उप-समितियाँ गठित की हैं; ये हैं:

1. लेखा-परीक्षा समिति
2. शेयर आवंटन समिति
3. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

इनमें से प्रत्येक बोर्ड उप-समिति समय-समय पर कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार बैठक करती है। बोर्ड उप-समिति के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

i. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत लागू नियमों तथा सरकारी कंपनियों पर लागू छूट के संदर्भ में, केवल उन्हीं कंपनियों को लेखा परीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता है, जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने एक लेखापरीक्षा समिति गठित की है। लेखा परीक्षा समिति का गठन, कोरम, कार्यक्षेत्र आदि नीचे दिए गए हैं:

संरचना

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठक की संरचना नीचे दी गई है:

क्र. सं .	नाम	पद का नाम
1	श्री. जयदीप	नामित निदेशक/अध्यक्ष
2	श्री. असीम कुमार गुप्ता	नामित निदेशक/ / सदस्य
3	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	नामित निदेशक/ सदस्य
4	*श्री. अबोध खंडेलवाल	निदेशक वित्त एवं सीएफओ/स्थायी आमंत्रित
5	# श्री. योगेन्द्र पी सक्सेना	निदेशक वित्त एवं सीएफओ/स्थायी आमंत्रित
6	श्रीमती अश्विनी भिड़े	स्थायी आमंत्रित /प्रबंध निदेशक

* श्री अबोध खंडेलवाल 30 सितंबर 2023 से पूर्णकालिक निदेशक के पद से हट गए।
# श्री योगेंद्र पी सक्सेना को 01 अक्टूबर 2023 से पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित लेखा परीक्षा के दायरे और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा के बारे में समय-समय पर लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करेगी और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

लेखा परीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट मदों या बोर्ड द्वारा संदर्भित किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूरी पहुंच होगी और यदि आवश्यक हो तो बाहरी पेशेवर सलाह ले सकती है।

बैठक और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की बैठक 18 जुलाई 2023, 27 जुलाई 2023 और 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई थी और इसके सदस्यों द्वारा भाग ली गई बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या		
			आयोजित	हकदारी	भाग लिया
1	श्री. जयदीप	नामित निदेशक/अध्यक्ष	3	3	3
2	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	सदस्य	3	3	3
3	श्री. असीम कुमार गुप्ता	सदस्य	3	0	0
4	श्री. अबोध खंडेलवाल	निदेशक वित्त एवं सीएफओ/स्थायी आमंत्रित	2	2	2
5	श्रीमती. अश्विनी भिड़े	प्रबंध निदेशक	3	3	3
6	श्री. योगेन्द्र पी सक्सेना	निदेशक वित्त एवं सीएफओ/स्थायी आमंत्रित	1	1	1

ii. शेयर आवंटन समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार, निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की शेयर आवंटन समिति का गठन किया। यह समिति निदेशक मंडल की एक गैर-अनिवार्य समिति है।

शेयर आवंटन समिति के लिए कोरम में दो सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए।

संरचना

वित्त वर्ष 2023-24 में आयोजित शेयर आवंटन समिति की बैठक की संरचना:

क्र. सं .	नाम	पद का नाम
1	श्री. असीम कुमार गुप्ता	अध्यक्ष
2	श्री. जयदीप	सदस्य
3	प्रबंध निदेशक	सदस्य

बैठक और उपस्थिति

चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शेयरों का आवंटन नहीं हुआ था, इसलिए शेयर आवंटन समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

iii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक नहीं हुई है।

iv. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

वित्त वर्ष 2023-24 सहित पिछले 3 वित्तीय वर्षों में निगम को घाटा हुआ है, इसलिए निगम पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

8. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन सामान्य व्यवसाय के क्रम में और आर्म्स लेंथ आधार पर किये गए थे। कंपनी द्वारा अपने प्रमोटरों, निदेशक या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया है, जो निगम के हितों के विपरीत हो। संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया जाता है।

9. वार्षिक आम बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निगम ने वर्ष 2023-24 में अपनी वार्षिक आम सभा (एजीएम) आयोजित की है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

एजीएम	15वीं वार्षिक आम बैठक	स्थगित 15वीं वार्षिक आम बैठक
दिनांक और समय	29 सितंबर 2023 दोपहर 12:45 बजे	1 नवंबर 2023 दोपहर 12:45 बजे
तरीका	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
संकल्प	1. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाते के विवरण को निदेशक की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के परिशिष्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर के साथ प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना। 2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत करना। 3. श्री राजीव को 29 जुलाई 2023 से निगम के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशक के रूप में अपर निदेशक (सिस्टम और ओ एंड एम) (डीआईएन: 10260235) के रूप में नियुक्त करना। 4. श्री राचप्रोलू डोमिनिक रमन्ना (डीआईएन: 10225071) को 04 जुलाई 2023 से निगम के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशक के रूप में अपर निदेशक (योजना और रियल एस्टेट विकास/एनएफबीआर) के रूप में नियुक्त करना।	1. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाते के विवरण को निदेशक की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के परिशिष्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तर के साथ प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना।

10. कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट https://mmrcl.com/ है। कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी, जिसमें परियोजना, निविदाएं, अनुबंध, नौकरियां, भर्ती प्रक्रिया और परिणाम आदि शामिल हैं, वेबसाइट पर दी गई हैं। वेबसाइट मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, गतिविधियों और प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण विकासों के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है और इसे लगातार अपडेट किया जाता है।

पंजीकृत कार्यालय
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN: U60100MH2008SGC181770
ट्रांजिट ऑफिस ई-ब्लॉक, सिटी पार्क के उत्तर की ओर
आयकर कार्यालय के पीछे
ए-विंग बांद्रा (ई) बीकेसी,
मुंबई सिटी एमएच 400051

कंपनी सचिव

सुश्री ऋतू देब
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
CIN: U60100MH2008SGC181770
ट्रांजिट ऑफिस ई-ब्लॉक, सिटी पार्क के उत्तर की ओर
आयकर कार्यालय के पीछे
ए-विंग बांद्रा (ई) बीकेसी,
मुंबई सिटी, महाराष्ट्र 400051

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of Mumbai Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22 July 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Mumbai Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments on Balance Sheet

Equity and Liabilities
Liabilities
Non-current liabilities (Other non-current liabilities (Note 13)): ₹ 90.44 lakh
Equity
Other Equities (Note 10): ₹ 362774.08 lakh

As per Memorandum of Understanding between Government of India, Government of Maharashtra and MMRCL, one of the sources of funding for the construction of Mumbai Metro Project was Grant of ₹ 67900 lakh from Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) to MMRCL. During the current financial year, MMRCL has received ₹15000 lakh out of the total Grant of ₹ 67900 lakh. However, MMRCL has considered the grant as Other Equity in its books.

This has resulted in overstatement of Other Equity and understatement of Other non-current liabilities by ₹15000 lakh.

B. Comments on Disclosure

(i) Notes to financial statements

Capital commitments (Note 23.2)

Estimated amounts of contracts remaining to be executed and not provided for as at 31 March 2024 was ₹ 6,84,606.73 lakh. This includes an amount of ₹ 45,414.99 lakh disclosed as capital commitment towards the contracts awarded to M/s. Vascon Engineers Ltd. and M/s. Montecarlo Ltd.

The company estimated the capital commitment pertaining to other contracts including the GST amount in the awarded contract value, however, the contract values for computation of capital commitment for aforesaid two contracts were exclusive of the GST amount. Due to non-inclusion of the GST on the amount of contract remaining to be executed as capital commitment in two contracts, the capital commitment pertaining to these was understated by ₹ 8174.70 lakh.

Thus, there was a lack of consistency in the practice adopted by the Company for estimation of capital commitments.

***(ii)* Balance Sheet**

Assets: Non-Current Assets

Property, Plant and Equipment: ₹ 46803.99 lakh

Freehold land at Vidhan Bhavan is held for currently undetermined future use which should have been classified as 'Investment Property' as defined in Para 8 (b) of Ind AS 40. However, it was classified as Freehold Land under 'Property, Plant and Equipment' at a notional value of ₹ 0.17 lakh.

This has resulted in non-compliance with disclosures regarding fair value as required by Ind AS 40 and Schedule III of the Companies Act, 2013 on a property valued at ₹ 42698.63 lakh.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Sandip Roy)

सेवा में,
सदस्यगण,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
मुंबई

विषय: निदेशक की रिपोर्ट के संदर्भ में परिशिष्ट- 20.09.2024

कंपनी को दिनांक 31 मार्च, 2024 वर्ष के वित्तीय विवरण के बारे में भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक से दिनांक 26 सितंबर, 2024 को रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों पर एक पूरक लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, उनके पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, सीएजी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत निम्नलिखित टिप्पणी की है।

भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
क. तुलन पत्र के बारे में टिप्पणियाँ **इक्विटी और देयताएँ** **देनदारियाँ** **गैर-चालू देयताएँ (अन्य गैर-चालू देयताएँ (नोट 13)): ₹90.44 लाख** **इक्विटी** **अन्य इक्विटीज़ (नोट 10): ₹362774.08 लाख** भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एमएमआरसीएल के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, मुंबई मेट्रो परियोजना के निर्माण हेतु वित्तपोषण के स्रोतों में से एक मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) से एमएमआरसीएल को 67900 लाख रुपये का अनुदान था। चालू वित्त वर्ष के दौरान, एमएमआरसीएल को 67900 लाख रुपये के कुल अनुदान में से ₹15000 लाख प्राप्त हुए हैं। तथापि, एमएमआरसीएल ने अपने बहीखातों में अनुदान को अन्य इक्विटी के रूप में दर्ज किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य इक्विटी को अधिक दर्शाया गया है और अन्य गैर-वर्तमान देयताओं को 15000 लाख रुपये से कम दर्शाया गया है।	महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त 15000 लाख रुपए का लेखा अनुदान, जिसे अन्य इक्विटी में दिखाया गया है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय पर आधारित है और यह मानते हुए किया गया है कि यह अनुदान परियोजना के प्रवर्तक के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी, यदि आवश्यक हो तो, स्पष्टीकरण/प्राप्त अतिरिक्त सूचना के आधार पर उक्त लेखांकन की समीक्षा करेगी तथा उसमें संशोधन करेगी।
ख. प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियाँ **वित्तीय विवरणों के बारे में टिप्पणियाँ** **(i) पूंजी प्रतिबद्धताएँ (नोट 23.2)**	

31 मार्च 2024 तक निष्पादित किये जाने हेतु शेष तथा प्रावधानित न किये गए अनुबंधों की अनुमानित राशि 6,84,606.73 लाख रुपये थी। इसमें मेसर्स वैस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड और मेसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेड को दिए गए अनुबंधों के लिए पूंजी प्रतिबद्धता के रूप में प्रकट की गई 45,414.99 लाख रुपये की राशि शामिल है। कंपनी ने दिए गए अनुबंध मूल्य में जीएसटी राशि सहित अन्य अनुबंधों से संबंधित पूंजी प्रतिबद्धता का अनुमान लगाया, तथापि, उपरोक्त दो अनुबंधों के लिए पूंजी प्रतिबद्धता की गणना हेतु अनुबंध मूल्यों में जीएसटी राशि शामिल नहीं थी। दो अनुबंधों में पूंजी प्रतिबद्धता के रूप में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध की राशि पर जीएसटी को शामिल न किए जाने के कारण, इनसे संबंधित पूंजी प्रतिबद्धता 8,174.70 लाख रुपये कम बताई गई है। इस प्रकार, पूंजी प्रतिबद्धताओं के आकलन हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में निरंतरता का अभाव था।	स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी प्रतिबद्धताओं के आकलन हेतु नियंत्रण को और मजबूत किया जाएगा।
विधान भवन में फ्रीहोल्ड भूमि वर्तमान में अनिर्धारित भविष्य के उपयोग के लिए रखी गई है, जिसे भारतीय लेखा मानक 40 के पैरा 8 (बी) में परिभाषित अनुसार 'निवेश संपत्ति' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। हालांकि, इसे 0.17 लाख रुपये के अनुमानित मूल्य पर 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' के तहत फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया था। परिणामस्वरूप, 42,698.63 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति पर भारतीय लेखा मानक 40 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार उचित मूल्य के संबंध में प्रकटीकरण का अनुपालन नहीं किया गया।	राजस्व को अधिकतम करने हेतु भूमि/संपत्ति के मुद्रीकरण के तरीके यानी बिक्री या पट्टे का निर्णय संव्यवहार सलाहकारों की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। यह निर्णय लंबित होने के कारण, इसे 'निवेश संपत्ति' में नहीं दिखाया गया। कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने पर, वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक लेखांकन/प्रकटीकरण किया जाएगा।

भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक से प्राप्त टिप्पणी पर परिशिष्ट के साथ निदेशकों की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की आस्थगित 16वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के समक्ष रखी जाएगी।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से,

दिनांक:

योगेंद्र सक्सेना
अतिरिक्त निदेशक एवं सीएफओ
डीआईएन: 10364557

अश्विनी भिड़े
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02861008

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

मत

हमने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना के सार (एतद्वारा "वित्तीय विवरणों" के रूप में संदर्भित) के साथ साथ वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("इंड एएस") तथा भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 को कंपनी के कामकाज की स्थिति, तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके घाटे, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके नकदी प्रवाह के बारे में सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

मत का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (एसए) के अनुसरण में की गई है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्वों में किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा अधिनियम और उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हमारी नैतिक आवश्यकताएं भी हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किये गए लेखापरीक्षा प्रमाण हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

वित्तीय विवरण तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट जो इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे मत में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है तथा हम इसके लिए हम आश्वासन रूपी किसी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा दायित्व है कि, जब यह उपलब्ध हो जाए तो ऊपर पहचानी गई अन्य सूचना को पढना और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

निदेशक की रिपोर्ट पढ़ते समय, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत बयानी है, तो हमें इस मामले को शासन के लिए उत्तरदायी लोगों के ध्यान में लाना आवश्यक है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन और शासन के लिए उत्तरदायी लोगों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के संबंध में, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, इन वित्तीय विवरणों के निष्पादन के संबंध में उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा उनका उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, तथा वित्तीय विवरणों, जो एक सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, के निष्पादन के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना, शामिल है।

जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या उसका परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो, वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान, प्रबंधन कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता का पता लगाने, जहां लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी होता है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत गलतबयानी, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि स्टैंड एलोन प्रक्रिया के अनुसार की जानेवाली लेखापरीक्षा से हमेशा महत्वपूर्ण गलतबयानी, यदि कोई हों, का पता निश्चित तौर पर हो सकेगा। सामग्रीगत गलतबयानी जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग-अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अनुसार की जानेवाली लेखापरीक्षा के अंतर्गत हम लेखापरीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान संशयात्मक दृष्टिकोण एवं पेशेवर निर्णय लेते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत गलतबयानी के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हो, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं और औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के

कारण सामग्रीगत गलतबयानी का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियाँ साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्यकथन अथवा आतंरिक नियंत्रण की अवहेलना किये जाने के कारण हो सकती हैं।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की परिचलनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाये गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी महत्वपूर्ण स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता प्रतीत होती है, तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से संबधित रिपोर्ट में प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किये गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियों को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना, कि क्या वित्तीय विवरणों में लेनदेन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः वित्तीय विवरणों में अलग-अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किये जानेवाले गलत बयानी की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखनेवाले उपयोक्ता द्वारा लिए जानेवाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणाम का मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरणों में संज्ञान में लिए गए गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हमने अन्य मामलों के साथ-साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करनेवाले पदाधिकारियों को लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आतंरिक नियंत्रण से जुडी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान की है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करनेवाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं मामलों की संबद्धता की जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा विवरण भी दिया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 (11) के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020

("आदेश") की अपेक्षाओं के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों का यथा लागू विवरण "अनुलग्नक ए" में प्रस्तुत करते हैं।

2. हम कंपनी के संदर्भ में, अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक बी" में एक बयान देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए थी।

ख. हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

ग. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण, अन्य व्यापक आय सहित, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ. हमारे मतानुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण संबंधित नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुरूप हैं।

च. यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, तथा तदनुसार, दिनांक 5 जून, 2015 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

छ. कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज. यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, तदनुसार, दिनांक 5 जून, 2015 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

झ. हमारे मतानुसार, संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी द्वारा लंबित न्यायिक मामलों का प्रभाव अपनी वित्तीय स्थिति होने से संबंधित प्रकटीकरण किया गया है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 23.1 देखें।

ii. कंपनी को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान दीर्घकालिक अनुबंधों से किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियाँ नहीं हुई हैं। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कोई डेरिवेटिव अनुबंध नहीं है;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (क) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि, उनकी जानकारी एवं विश्वास तथा लेखांकन टिप्पणी में किये गए प्रकटीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं

(मध्यस्थ) शामिल हैं, को किसी निधि का अग्रिम, ऋण नहीं दिया गया है अथवा निवेश (चाहे ऋण के रूप में ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) इस सहमति, लिखित अथवा अन्यथा स्वरूप में, के साथ नहीं किया गया है कि मध्यस्थ द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कंपनी या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभग्राहियों) को ऋण अथवा उनमें निवेश अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा, अंतिम लाभग्राहियों की ओर से किसी प्रकार की प्रतिभूति प्रदान की गई है;

(ख) प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि, उनकी जानकारी एवं विश्वास तथा लेखांकन टिप्पणी में किये गए प्रकटीकरण के अनुसार, कंपनी ने विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति/संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, जिसे कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण दिया हो या निवेश किया हो या कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा अंतिम लाभग्राहियों की ओर से इस तरह की कोई चीज़ प्रदान की गई है;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी सामग्रीगत गलत बयानी है।

v. कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है अथवा चुकता नहीं किया गया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल है, कंपनी ने अपने खातों की बहियों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक संव्यवहार से संबंधित कार्य पूरे वर्ष के दौरान किया है। इसके अलावा, हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

अन्य मामला

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण मेसर्स चंदाभॉय और जस्सूभॉय, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया था, जिन्होंने 28 जुलाई, 2023 की अपनी रिपोर्ट में उन वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

की ओर से और उनके लिए

ए.पी. संजगिरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 116293W

सतीश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 101134
यूडीआईएन: 24101134 BKAVWU 2448

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक "ए"

[मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में 'अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित]

i. संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां

क. (क) कंपनी ने परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड का अनुरक्षण किया है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड का अनुरक्षण किया है।

ख. कंपनी के पास अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जिसके द्वारा सभी पीपीई को तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से सत्यापित किया जाता है। हमारे मतानुसार, भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यथोचित है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए किए गए सत्यापन में कोई सामग्रीगत विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ग. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई भौतिक जांच के अनुसार, वित्तीय विवरणों में कंपनी की सभी अचल परिसंपत्तियों (उन परिसंपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है, और पट्टा करार विधिवत स्वरूप में पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित किए गए हैं) के हक़ विलेख का प्रकटीकरण, परिशिष्ट 1 में उल्लिखित के अलावा कंपनी के नाम पर हैं।

घ. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई भौतिक जांच के अनुसार, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) अथवा अपनी अमूर्त परिसंपत्तियों, दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(i)(d) के तहत आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

इ. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई भौतिक जांच के अनुसार, बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके अध्यधीन निर्मित नियमों के तहत बेनामी परिसंपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है अथवा लंबित नहीं है।

ii. क. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई भौतिक जांच के अनुसार, कंपनी के पास कोई इन्वेन्ट्री नहीं है और इसलिए आदेश के पैरा 3(ii)(a) के प्रावधान लागू नहीं होते।

ख. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई भौतिक जांच के अनुसार, कंपनी को वर्ष के किसी भी समय चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों से पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है।

iii. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के अलावा, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण की प्रकृति में कोई निवेश नहीं किया है अथवा कोई गारंटी प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

क. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी अन्य इकाई को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या गारंटी नहीं दी है, या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के पैरा 3(iii)(ए)(ए) और 3(iii)(ए)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ख. ऋण के स्वरूप में ऋण तथा अग्रिम के अनुदान की शर्तें और नियम, जैसा कि पैरा 3(iii) में बताया गया है, कंपनी के हित के संबंध में प्रतिकूल नहीं हैं।

ग. पैरा 3(iii) में उल्लिखित ऋण और अग्रिम राशि के संबंध में, मूलधन और ब्याज के भुगतान की समय-सारणी निर्धारित की गई है तथा पुनर्भुगतान अथवा प्राप्तियां नियमित हैं।

घ. पैरा 3(iii)(ग) में उल्लिखित, कंपनी द्वारा मूल और ब्याज राशि का नियमित रूप से भुगतान प्राप्त किया जा रहा है और नब्बे दिनों से अधिक समय से कोई राशि अतिदेय नहीं है।

च. कंपनी ने मौजूदा ऋणों, जो वर्ष के दौरान बकाया हो गए हैं, को चुकाने के लिए, नवीकृत या विस्तारित या नए ऋण नहीं दिए हैं।

छ. कंपनी ने कोई ऐसे ऋण अथवा ऋण के रूप में अग्रिम प्रदान नहीं किये हैं जो मांग पर अथवा पुनर्भुगतान की किसी अवधि को निर्दिष्ट किए बिना दिए गए हों।

iv. हमारे मत और हमें प्रस्तुत की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत आने वाले पक्षों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी और प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(iv) में वर्णित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

v. हमारे मत और हमें प्रस्तुत की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73, 74, 75 और 76 या किसी अन्य प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किये हैं।

vi. अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि भारत की केंद्र सरकार ने कंपनी के किसी भी उत्पाद के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (vi) में बताए गए प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vii. क. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई जांच के अनुसार, हमारे मतानुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया आम तौर पर उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किए गए हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी भौतिक निर्विवाद वैधानिक बकाया बकाया नहीं है।

ख. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई जांच के अनुसार, उप-खण्ड (ए) में उल्लिखित कोई भी, सिवाय संपत्ति कर के (वित्तीय विवरणों के नोट 23.1 का संदर्भ लें), भौतिक वैधानिक बकाया नहीं है, जिसे विवाद के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया है, जो विवादों के कारण 31 मार्च, 2024 तक जमा नहीं किया गया है, जैसा कि निम्नानुसार दिया गया है:

सांविधिक व्यवस्था का नाम	देय की प्रकृति	राशि (रुपए लाख में)	राशि किस अवधि से संबंधित है	किस मंच पर विवाद लंबित है
मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888	संपत्ति कर	5283.35	2015-16 से 2023-24	सहायक मूल्यांकक एवं संग्राहक (एचई वार्ड)

viii. हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी की लेखा बहियों में ऐसे कोई संव्यवहार नहीं है जो रिकार्ड में नहीं है जिनका समर्पण अथवा प्रकटीकरण कंपनी के कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में किया गया हो। साथ ही, कोई भी ऐसी पूर्व अलिखित आय नहीं है जिसे अब लेखा-बही में दर्ज किया गया हो। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(viii) में वर्णित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

ix. क. हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और जांच किए गए दस्तावेजों और रिकार्डों के आधार पर, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से अधीनस्थ ऋण और वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य उधारदाताओं से ऋण वर्तमान में बकाया नहीं हैं। जेआईसीए से लिया गया ऋण चालू वित्तीय वर्ष से चुकौती के लिए बकाया था और इनके भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से लिया गया उप ऋण ब्याज मुक्त है।

ख. हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छा से चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई जांच के अनुसार, कंपनी द्वारा उस उद्देश्य के लिए सावधि ऋण का उपयोग किया था जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था।

घ. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी ने अल्पावधि आधार पर उधार ली गई निम्नलिखित निधियों का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए किया है:

विवरण	राशि (लाख में)
एचडीएफसी बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट	6,252.72
बैंक ऑफ इंडिया से ऋण	8,999.30
केनरा बैंक से ऋण	1,37,485.57

हमें सूचित किया गया है कि इन ऋणों का उपयोग ऋणदाता से दीर्घकालिक ऋण प्राप्त होने तक मुंबई मेट्रो लाइन 3 परियोजना के लिए ब्रिजिंग तंत्र के रूप में किया गया था।

च. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि प्राप्त नहीं किया है।

छ. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी प्रतिभूतियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं जुटाया है।

x. क. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अग्रेतर सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (एक्स) (ए) में बताए गए प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई जांच के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः अथवा आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (x)(b) में वर्णित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xi. क. भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों के अनुसार कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी लेखापरीक्षा, जांच और हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के दौरान, हमें न तो कंपनी द्वारा और न ही कंपनी पर किसी जालसाजी का मामला मिला है।

ख. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के सम्मुख कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. हमारे मतानुसार और हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) (क) से (ग) में बताए गए प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अंतर्गत, जहां लागू हैं, संबद्ध पार्टियों के साथ कंपनी के सभी लागू लेन-देन के प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में दिए गए एवं लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।

xiv. क. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकार्डों के संबंध में की गई जांच के अनुसार, कंपनी के आकार एवं व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित है।

ख. हमने लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा हमारे मतानुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने स्वयं से संबंधित निदेशकों या निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है और इसलिए, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xv) में बताए गए प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. क. हमारे मतानुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ खंड 3(xvi)(a) में बताए गए प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख. हमारे मतानुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों को संचालित नहीं किया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ खंड 3(xvi)(b) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ग. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित एक प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ क्लॉज 3(xvi)(c) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

घ. कंपनी के पास अपने समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी नहीं हैं। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ क्लॉज 3(xvi)(d) में बताए गए प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvii. वित्तीय विवरणों की समग्र समीक्षा के आधार पर, कंपनी को चालू वित्त वर्ष के दौरान 2,852.70 लाख रुपये और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 2,092.74 लाख रुपये की नकद हानि हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान किसी वैधानिक लेखा परीक्षक का इस्तीफा नहीं हुआ है। तदनुसार, आदेश का क्लॉज 3(xviii) लागू नहीं होता है।

xix. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति की आयु और अपेक्षित तिथि तथा देयताओं के भुगतान, वित्तीय विवरण के साथ दी गई अन्य सूचना, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर हमारा यह मत है कि तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कोई भी सामग्रीगत अनिश्चितता विद्यमान नहीं है, क्योंकि वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं।

xx. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए अभिलेखों के आधार पर, कंपनी को चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में घाटा हुआ है, इसलिए अधिनियम की धारा 135 की आवश्यकता लागू नहीं होती।

xxi. हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xxi) लागू नहीं होता।

कृते एवं की ओर से

ए.पी. संजगिरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 116293W

सतीश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 101134
यूडीआईएन: 24101134 BKAVWU 2448

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "बी"

(स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकता" के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(5) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन संबंधी सभी संव्यवहार को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहार को संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हो) का उल्लेख किया जाए।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा खाता बही के सत्यापन के आधार पर, कंपनी ने 15 मार्च 2024 तक टैली ईआरपी (प्राइम एडिट लॉग) का उपयोग किया तथा उसके बाद अपने मुख्य लेखा प्रणाली के रूप में ओरेकल ईआरपी को अपना लिया। इसमें प्रसंस्करण और अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से संव्यवहार को कैप्चर करने और रिकॉर्ड करने के लिए अन्य अनुप्रयोगों का उपयोग किया जाता है। इन अनुप्रयोगों और लेखा सॉफ्टवेयर के बीच मैन्युअल इंटरफ़ेस है।

किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर, आईटी सिस्टम के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित/संचालित नहीं किया गया है।

क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है?

हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के अनुसार, वर्ष के दौरान ऋण की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है, तथा किसी भी ऋण का पुनर्गठन/माफ नहीं किया गया है। किसी भी ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाइए।

विशिष्ट परियोजनाओं के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से प्राप्त धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का संबंधित परियोजना में उचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया है तथा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है।
कृते एवं की ओर से

ए.पी. संजगिरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 116293W

सतीश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 101134
यूडीआईएन: 24101134 BKAVWU 2448

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "सी"

(मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकता" के तहत पैराग्राफ 3(एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संबंध में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के वित्तीय विवरणों के संयोजन में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार इसमें उल्लिखित नोट ('मार्गदर्शन नोट') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारा मत प्रस्तुत करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देश टिप्पणी और तथा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों और दिशा-निर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किये गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचलित हो रहे हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह जालसाजी या चूक के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं,

- जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहार और निपटान प्रदर्शित होते हों;
- जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहार को रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- कंपनी की परिसंपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होते हों अथवा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूँकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत मिथ्या कथन की संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय विवरण के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देश टिप्पणी ("मार्गदर्शन नोट") में उल्लिखित अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण के लिए स्थापित अनिवार्य मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के सभी सामग्रीगत पहलुओं में आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों का पर्याप्त अनुरक्षण किया गया है।
कृते एवं की ओर से

ए.पी. संजगिरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 116293W

सतीश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 101134
यूडीआईएन: 24101134 BKAVWU 2448

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट 1

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक ए के पैराग्राफ 1 (सी) में संदर्भित

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	संपत्ति का सकल वहन मूल्य (रुपए)	किसके नाम पर धारित है	क्या यह प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी द्वारा धारित है	जहां उपयुक्त हो, वहां धारित अवधि की सीमा बताएं (से धारित)	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
1	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	64,78,393	मुंबई पुलिस आयुक्त, जीओएम के माध्यम से एमआईडीसी	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-अप्रैल-16	अंतरण की प्रक्रिया में
2	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	196	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	25-मई-16	अंतरण की प्रक्रिया में
3	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	370	होमगार्ड एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	14-जुलाई-16	अंतरण की प्रक्रिया में
4	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	195	सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के माध्यम से एमआईडीसी	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	28-जुलाई-16	अंतरण की प्रक्रिया में
5	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,93,038	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-सितम्बर-16	अंतरण की प्रक्रिया में
6	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	61	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	08-दिसम्बर-16	अंतरण की प्रक्रिया में
7	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	430	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	16-दिसम्बर-16	अंतरण की प्रक्रिया में
8	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,572	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	24-दिसम्बर-16	अंतरण की प्रक्रिया में
9	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,302	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	24-दिसम्बर-16	अंतरण की प्रक्रिया में
10	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	151	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	अंतरण की प्रक्रिया में
11	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	60	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	अंतरण की प्रक्रिया में

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	संपत्ति का सकल वहन मूल्य (रुपए)	किसके नाम पर धारित है	क्या यह प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी द्वारा धारित है	जहां उपयुक्त हो, वहां धारित अवधि की सीमा बताएं (से धारित)	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
12	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	382	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	अंतरण की प्रक्रिया में
13	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	53	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-जनवरी-17	अंतरण की प्रक्रिया में
14	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	66,210	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-जनवरी-17	अंतरण की प्रक्रिया में
15	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	4,64,825	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-जनवरी-17	अंतरण की प्रक्रिया में
16	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	8,853	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	17-फ़रवरी-17	अंतरण की प्रक्रिया में
17	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	246	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	23-फ़रवरी-17	अंतरण की प्रक्रिया में
18	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	4,108	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	04-मई-17	अंतरण की प्रक्रिया में
19	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,001	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	16-मई-17	अंतरण की प्रक्रिया में
20	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	214	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-मई-17	अंतरण की प्रक्रिया में
21	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	27,375	नायर अस्पताल, एमसीजीएम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-मई-17	अंतरण की प्रक्रिया में
22	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	214	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-जून-17	अंतरण की प्रक्रिया में
23	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	161	लोक निर्माण विभाग	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-जुलाई-17	अंतरण की प्रक्रिया में
24	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	969	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	28-अगस्त-17	अंतरण की प्रक्रिया में
25	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	880	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	04-सितम्बर-17	अंतरण की प्रक्रिया में

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	संपत्ति का सकल वहन मूल्य (रुपए)	किसके नाम पर धारित है	क्या यह प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी द्वारा धारित है	जहां उपयुक्त हो, वहां धारित अवधि की सीमा बताएं (से धारित)	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
26	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	29,042	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	19-सितंबर-17	अंतरण की प्रक्रिया में
27	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	33,914	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	19-सितंबर-17	अंतरण की प्रक्रिया में
28	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,21,325	मेसर्स सहार गार्डन होटल प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	03-नवंबर-17	अंतरण की प्रक्रिया में
29	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,305	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-दिसम्बर-17	अंतरण की प्रक्रिया में
30	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	885	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	07-दिसंबर-17	अंतरण की प्रक्रिया में
31	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	626	बृहन् मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	03-अप्रैल-18	अंतरण की प्रक्रिया में
32	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2,100	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	21-मई-18	अंतरण की प्रक्रिया में
33	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	809	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-मई-18	अंतरण की प्रक्रिया में
34	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	373	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-मई-18	अंतरण की प्रक्रिया में
35	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1,636	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	29-अगस्त-18	अंतरण की प्रक्रिया में
36	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	183	मुंबई आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	16-अक्टूबर-18	अंतरण की प्रक्रिया में
37	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	66	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	31-जनवरी-19	अंतरण की प्रक्रिया में
	कुल	**75,46,523**				

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
ए. परिसंपत्तियां			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2(क)	46,803.99	46,912.70
ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3(क)	27,44,607.08	22,93,739.71
ग) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ	4	3,804.54	5,065.46
घ) अमूर्त परिसंपत्तियां	2(ख)	518.95	88.77
ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	3(ख)	654.88	934.57
च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) ऋण	5	-	4.58
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	382.84	410.61
छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	21(क)	657.06	632.14
ज) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	21(ङ)	812.29	530.59
झ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	7	54,481.37	61,433.84
योग गैर-चालू संपत्तियां		**28,52,723.00**	**24,09,752.97**
चालू परिसंपत्तियाँ			
क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) नकदी और नकदी समतुल्य	8(क)	16,950.33	4,176.02
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य बैंक शेष	8(ख)	36,328.72	449.79
(iii) ऋण	5	2.50	3.75
(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियाँ	6	5,400.95	10,139.18
ख) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	7	8,291.01	33,892.23
योग चालू संपत्तियां		**66,973.51**	**48,660.97**
योग परिसंपत्तियां		**29,19,696.51**	**24,58,413.94**
बी. इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	4,80,540.00	4,80,540.00
ख) अन्य इक्विटी	10	3,62,774.08	2,91,256.26
योग इक्विटी		**8,43,314.08**	**7,71,796.26**
देयताएं			
गैर-चालू देनदारियां			
क) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	11	13,38,819.69	15,13,213.49
(ii) पट्टा देयताएं	4	1,904.86	3,111.59
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	12	3,24,297.71	381.69
ख) अन्य गैर-चालू देयताएं	13	90.44	121.66
ग) प्रावधान	14	610.63	508.00
योग गैर-चालू देयताएं		**16,65,723.33**	**15,17,336.43**
चालू देयताएं			
क) वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण	11	2,12,141.44	24,888.06
(ii) पट्टा देयताएं	4	1,385.17	1,325.42
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	12	1,87,914.10	1,36,788.97
ख) अन्य चालू देयताएं	13	8,757.72	5,777.92
ग) प्रावधान	14	460.67	500.88
योग चालू देयताएं		**4,10,659.10**	**1,69,281.25**
योग देयताएं		**20,76,382.43**	**16,86,617.68**
योग इक्विटी एवं देयताएं		**29,19,696.51**	**24,58,413.94**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	**1**		

संलग्न नोट 1-35 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं|

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
ए पी संजगिरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या:116293W

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
निदेशक मंडल की ओर से
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

सतीश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 101134

ऋतु देब
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F6754

योगेन्द्र प्रकाश सक्सेना
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:10364557

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:02861008

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 जुलाई 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
परिचालन से आय		-	-
अन्य आय 15		166.01	385.60
योग आय		**166.01**	**385.60**
व्यय			
कर्मचारियों के हितलाभ पर व्यय	16	1,290.80	1,144.37
वित्त लागतें	17	61.43	26.38
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2 एवं 4 (ङ)	717.87	970.24
अन्य व्यय 18		1,672.14	1,307.59
योग व्यय		**3,742.24**	**3,448.58**
वर्ष के लिए कर से पहले (हानि)		**(3,576.23)**	**(3,062.98)**
कर व्यय			
चालू कर	21(ख)	-	-
पिछले वर्ष	21(ख)	-	-
आस्थगित कर	21(क)	(36.44)	(249.35)
कर पर कुल व्यय		**(36.44)**	**(249.35)**
वर्ष के लिए (घाटा)		**(3,539.79)**	**(2,813.63)**
अन्य व्यापक आय			
वे मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
पुनार्मापन की गई परिभाषित हितलाभ योजनायें		44.31	(31.71)
उपरोक्त से संबंधित आयकर	21(ग)	(11.52)	8.24
अन्य व्यापक आय/(हानि)		**32.79**	**(23.47)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक (हानि)		**(3,507.00)**	**(2,837.10)**
प्रति शेयर आय - अंकित मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर	20		
मूल राशि (रु. में)		(0.74)	(0.60)
डायल्युटेड (रुपये में)		(0.74)	(0.60)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न नोट 1-35 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं|

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
ए पी संजगिरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या:116293W

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

सतीश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 101134

ऋतु देब
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F6754

योगेन्द्र प्रकाश सक्सेना
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:10364557

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:02861008

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 जुलाई 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए लाख में)

विवरण	राशि
31 मार्च 2022 को शेष	4,40,720.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	39,820.00
31 मार्च 2023 को शेष	4,80,540.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2024 को शेष	4,80,540.00

ख. अन्य इक्विटी

(रुपए लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि और धिशेष - प्रतिधारित आय	शेयर आवेदन राशि - आवंटन लंबित	प्रमोटरों का योगदान	कुल अन्य इक्विटी
31 मार्च 2022 को शेष	**(9,794.52)**	**-**	**2,74,965.71**	**2,65,171.19**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(2,813.63)	-	-	(2,813.63)
अन्य व्यापक आय (कर के बाद), निवल	(23.47)	-	-	(23.47)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**(2,837.10)**	**-**	**-**	**(2,837.10)**
प्रमोटरों का योगदान- अतिरिक्त (नोट-10.1 देखें)			28,922.17	28,922.17
31 मार्च 2023 को शेष	**(12,631.62)**	**-**	**3,03,887.88**	**2,91,256.26**
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(3,539.79)			(3,539.79)
अन्य व्यापक आय (कर निवल)	32.79			32.79
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**(3,507.00)**			**(3,507.00)**
शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई*	-	35,883.00		35,883.00
प्रमोटरों का योगदान- अतिरिक्त (नोट-10.1 देखें)		-	39,141.82	39,141.82
31 मार्च 2024 को शेष राशि	**(16,138.62)**	**35,883.00**	**3,43,029.70**	**3,62,774.08**

* कंपनी को मार्च 2024 के महीने में भारत सरकार से शेयर आवेदन राशि के रूप में 35,883.00 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, महाराष्ट्र सरकार से मिलान योगदान अभी भी प्रतीक्षित है। कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार और निगम के निदेशक मंडल की सहमति के बाद 26 अप्रैल 2024 को भारत सरकार को शेयर आवंटित किए हैं। महाराष्ट्र सरकार से धन प्राप्त होने पर महाराष्ट्र सरकार को शेयरों का आवंटन किया जाएगा।

नोट:-प्रतिधारित आय में शेष राशि समय के साथ संचित लाभ/(हानि) को दर्शाती है।

संलग्न नोट 1-35 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं|

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
ए पी संजगिरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या:116293W

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

सतीश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 101134

ऋतु देब
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F6754

योगेन्द्र प्रकाश सक्सेना
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:10364557

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:02861008

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 जुलाई 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पहले (हानि)	**(3,576.23)**	**(3,062.98)**
इसके लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	717.87	970.24
वित्तीय लागत	61.43	26.38
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि	1.02	1.01
ब्याज से आय	(155.88)	(338.00)
विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	22.06	229.56
परिभाषित लाभ योजना का पुनार्मापन	44.31	(31.71)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि) के लिए समायोजन:	**(2,885.42)**	**(2,205.50)**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में घटत /(बढ़त)	(192.25)	228.55
गैर वित्तीय परिसंपत्तियों में घटत /(बढ़त)	24.46	(1,280.65)
अन्य वित्तीय देयताओं में बढ़त /(घटत)	411.70	247.64
गैर वित्तीय देनदारियों में बढ़त /(घटत)	2,988.35	(578.78)
प्रावधानों में बढ़त /(घटत)	24.86	42.25
परिचालन से उत्पन्न (प्रयुक्त) नकदी	**371.70**	**(3,546.49)**
आयकर (चुकता)/धनवापसी ब्याज के साथ	**95.09**	**989.19**
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी अन्तर्वाह/(बहिर्प्रवाह) (क)	**466.79**	**(2,557.30)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खरीद तथा पूंजी कार्य प्रगति पर	(3,74,319.64)	(2,98,782.97)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से प्राप्त आय	1.26	1.26
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/समायोजन/बिक्री	(195.53)	(348.94)
सावधि जमाराशि की परिपक्वता/(निवेश) (शुद्ध)	(35,931.74)	2,466.77
कर्मचारी ऋण (दिया गया)/चुकाया गया (शुद्ध)	5.83	4.12
अर्जित ब्याज	194.28	583.37
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (बहिर्प्रवाह) (ख)	**(4,10,245.54)**	**(2,96,076.39)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त राशि	-	39,820.00
शेयर आवेदन के साथ प्राप्त राशि	35,883.00	-
ऋण से प्राप्ति	3,44,622.95	2,17,535.81
ऋणों का पुनर्भुगतान	(3,17,677.20)	-
महाराष्ट्र सरकार से प्राप्ति	51,093.29	-
भारत सरकार से पीटीए अग्रिम	3,30,000.00	-
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) से अंशदान	20,606.69	12,739.00
ब्याज का भुगतान किया	(42,181.32)	(2,195.29)
अन्य ऋण लागतों का भुगतान	(1,131.08)	-
पट्टा देयता का भुगतान- मूलधन	(1,146.98)	(1,521.09)
पट्टा देयता का भुगतान- ब्याज	(263.60)	(272.30)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अन्तर्वाह/(बहिर्प्रवाह) (ग)	**4,19,805.75**	**2,66,106.13**
नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)	**10,027.00**	**(32,527.56)**
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्य	**670.61**	**33,198.17**
वित्तीय वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य (नीचे नोट-(ख देखें)	**10,697.61**	**670.61**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

टिप्पणियाँ:

(क) उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण, संशोधित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखांकन मानक - 7 में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत तैयार किया गया है।

(ख) नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

(रुपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च, 2024 की स्थिति**	**31 मार्च, 2023 की स्थिति**
बैंकों में शेष	64.33	86.02
बैंकों में सावधि जमा, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम हो	16,886.00	4,090.00
बैंक ओवरड्राफ्ट	(6,252.72)	(3,505.41)
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**10,697.61**	**670.61**

(ग) भारतीय लेखा मानक 7 के अनुसार ऋण में परिवर्तन

विवरण	**1 अप्रैल, 2023 की स्थिति**	**नकदी प्रवाह**	**गैर-नकदी प्रभार**	**31 मार्च, 2024 की स्थिति**
ऋण	15,38,101.55	29,693.06	(16,833.48)	15,50,961.13
कुल ऋण	**15,38,101.55**	**29,693.06**	**(16,833.48)**	**15,50,961.13**

विवरण	**1 अप्रैल, 2022 की स्थिति**	**नकदी प्रवाह**	**गैर-नकदी प्रभार**	**31 मार्च, 2023 की स्थिति**
ऋण	13,42,813.85	2,21,041.22	(25,753.52)	15,38,101.55
कुल ऋण	**13,42,813.85**	**2,21,041.22**	**(25,753.52)**	**15,38,101.55**

(घ) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी लागू हो, पुन: समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

संलग्न नोट 1-35 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं|

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
ए पी संजगिरी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से
फर्म पंजीकरण संख्या:116293W

सतीश कुमार गुप्ता
पार्टनर
सदस्यता संख्या - 101134

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

ऋतु देब
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F6754

योगेन्द्र प्रकाश सक्सेना
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:10364557

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:02861008

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 जुलाई 2024

वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग नोट

कॉर्पोरेट सूचना

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी' या 'एमएमआरसीएल'), CIN: U60100MH2008SGC181770 का निगमन भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। यह कंपनी भारत सरकार ('GOI') और महाराष्ट्र सरकार ('GOM') के बीच 50:50 अनुपात की संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी का उद्देश्य क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों तथा मुंबई उपनगरीय रेल प्रणाली से कनेक्ट न हुए क्षेत्रों के लिए रेल आधारित सार्वजनिक रैपिड ट्रांजिट सुविधा उपलब्ध करवाना तथा 500 मीटर से 1 किमी के दायरे में मेट्रो प्रणाली तक पहुंच स्थापित करना है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुंबई, भारत में स्थित है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत हैं तथा इन्हें जारी किये जाने के लिए 22 जुलाई 2024 को अधिकृत और अनुमोदित किया गया है।

नोट -1. महत्वपूर्ण सामग्री लेखांकन नीतियां

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

हम वित्तीय विवरणों का निर्माण समय समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक नियमावली, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अनुसरण में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखा मानक), अधिनियम के अन्य संगत प्रावधानों तथा भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट/घोषणाओं को भी, जहाँ लागू है, विचार किया गया है, तथा कंपनी ने उनका लगातार अनुपालन किया है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत अवधियों के लिए संगत लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है।

1.2. मापन का आधार

वित्तीय विवरण कुछ वित्तीय साधनों और परिसंपत्तियों को छोड़कर लेखांकन के प्रोद्भवन और चालू व्यवसाय के आधार पर ऐतिहासिक लागत के तहत तैयार किए गए हैं, जिन्हें भारतीय लेखा मानक के अनुसार उचित मूल्य पर मापा गया है।

1.3 अनुमानों एवं प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का निर्माण भारतीय लेखा मानक के सिद्धांतों के अनुरूप करने के लिए प्रबंधन को अनुमानों, निर्णयों तथा धारणाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ऐसे अनुमान, निर्धारण तथा पूर्वानुमान लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तिथि को प्रकटीकरण की गई आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं तथा अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व एवं व्यय की राशियों की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंधन का ऐसा मानना है कि इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए लगाए गए अनुमान विवेकी एवं औचित्यापरक हैं। हालाँकि, इन अनुमानों की अनिश्चितता से ऐसे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों अथवा देयताओं की वहन राशि में सामग्रीगत परिवर्तन अपेक्षित हो सकता है।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा प्रत्येक विवरण की तिथि के आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन की स्वीकृति उस अवधि में और भविष्य में प्रभावित होनेवाली किसी अवधि के लिए दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किये जाते हैं।

1.4. चालू/गैर-चालू वर्गीकरण

भारतीय लेखांकन मानक 1 "वित्तीय विवरणों का निर्माण" के अनुरूप कंपनी से की गई अपेक्षा के अनुसार चालू /गैर-चालू वर्गीकरण पर आधारित परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विवरण प्रस्तुत तुलनपत्र में दिया गया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर-चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

कंपनी का सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित प्रचालनों के संबंध में परिचालन क्रम परियोजना के आकार, विकास का स्वरूप, परियोजना की जटिलताओं और संबंधित अनुमोदनों, जो सामान्यतः बारह महीने की अवधि पर आधारित होते हैं, के अनुसार परियोजनाओं के संबंध में भिन्न हो सकता है। पूर्ण की गई तथा परिचालनात्मक व्यवसाय के सभी परिचालन क्रम बारह महीने की अवधि पर आधारित होते हैं। संबंधित परिचालन क्रम के आधार पर किया गया वर्गीकरण चालू तथा गैर-चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं के रूप में है।

1.5. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं है तो इन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत की गई है, जो कंपनी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कार्यात्मक मुद्रा है। सभी राशियों को निकटतम 'लाख' रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

1.6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण -

स्वीकृति तथा प्रारंभिक मापन

- संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (पीपीई) की प्रस्तुति अधिग्रहण/निर्माण की लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन तथा क्षमता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर की गई है। लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उसके वर्तमान स्थान एवं उसके इच्छित उपयोग के लिए उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की संबंधित/निर्धारित लागत शामिल है। लागत में प्रत्यक्ष लागत और अन्य संबंधित आकस्मिक व्यय भी शामिल हैं। परिसंपत्तियों के परीक्षण के दौरान अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, का समायोजन परिसंपत्तियों की लागत के प्रति किया जाता है। लागत में संयंत्र और उपकरण के भाग को बदलने की लागत भी शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित ऋण लागत, जिसे इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, को भी उस सीमा तक शामिल किया जाता है, जब तक कि ऐसी ऐसी परिसंपत्तियाँ इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाएँ।

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो तुलन पत्र की तिथि तक इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, की प्रस्तुति 'पूंजी कार्य-प्रगति पर' के रूप में की गई है।

- जमा कार्य/अनुबंधों का पूंजीकृत निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर पूरा होने पर और इसकी प्राप्ति न होने पर निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। लागत में उस तिथि तक योग्य स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित ऋण ब्याज तथा किसी भी व्यवसाय छूट अथवा रियायतों का निवल एवं अन्य आनुषांगिक और साथ ही डिसमेंटल किये जाने, हटाये जाने एवं उस स्थल पर पुनःस्थापित किये जाने, जहाँ यह स्थापित है, के आनुषांगिक व्यय, यदि कोई हो, भी शामिल हैं।

- इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों के तैयार होने के ऐसे मामले में, जिसमें ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी तक नहीं हुआ है, पूंजीकरण की प्रक्रिया अंतिम निपटान किये जाने के वर्ष में आवश्यक समायोजन किये जाने की शर्त के साथ अस्थाई आधार पर की गई है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास और उपयोगी अवधि)

निम्नलिखित मामलों के अलावा, जिनमें उपयोज्यता काल का निर्धारण तकनीकी या प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, मूल्यह्रास की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित अनुमानित उपयोज्यता काल में उनके संबंध में निर्धारित लागत, उनके निवल अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर, के निर्धारण के लिए सीधी रेखा पद्धति पर की गई है।

परिसंपत्ति का नाम	विचारित जीवनावधि	विचारित मद का स्वरूप
भवन	5 वर्ष	ट्रांज़िट कार्यालय भवन एवं सौर संयंत्र
कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री	3 वर्ष	सर्वर एवं नेटवर्क उपकरण
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	5 वर्ष	वर्क स्टेशन, सोफा
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष	यूपीएस, मोबाइल कैमरा आदि

- अवशिष्ट मूल्य, उपयोज्यता काल तथा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्यह्रास की विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा यदि उपयुक्त हो तो उनका उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किया जाता है।
- पट्टाधारित भूमि पर किए गए सुधारों का अवधि और उपयोग के अन्य उपबंधों के आधार पर परिशोधन किया जाता है।
- 5,000/- रुपये से कम या उसके बराबर लागत वाली परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास/परिशोधन को खरीद के वर्ष में किया जाता है।
- मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्ति के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से आनुपातिक आधार पर की जाती है।
- अलग-अलग उपयोज्यता काल वाले महत्वपूर्ण घटकों का लेखांकन अलग अलग किया जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण उपयोग से हटाये जाने या निपटाने से प्राप्त होने वाले लाभ या हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि के विवरण में की जाती है।

भूमि –

विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूस्वामियों द्वारा सौंपे गए भूखंड, जिसपर कंपनी ने कब्ज़ा पाया है, की स्वीकृति कंपनी द्वारा भूमि का कब्ज़ा लेने या भुगतान करने, जो भी पहले हो, के समय की जाती है।

संवर्धित प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को तब प्रभारित किया जाता है जब भुगतान देय होता है।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लागत भूमि के मूल्य में जोड़ी जाती है।

कब्जे में पट्टा-धारित भूमि, बिक्री प्रतिफल घटा संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत तथा ऐसी संरचनाओं की ध्वस्त किये जाने की लागत सहित, भूमि से संबंधित दायित्व के अस्थाई/ अनुवर्ती प्रभाव के भुगतान को भूमि या पट्टा-धारित भूमि की लागत माना जाता है।

अस्थायी आधार पर प्राप्त की गई भूमि के प्रति दायित्व से संबंधित अस्थाई/ अनुवर्ती भुगतान का परिशोधन भूमि का कब्ज़ा प्राप्त होने की अवधि में किया जाता है।

सरकारी भूमि:-

विभिन्न राज्य सरकारों के निकायों/विभागों से किसी लागत के बिना निःशुल्क प्राप्त भूखंडों का कंपनी को प्राप्त नियंत्रण/स्वामित्व की स्वीकृति नाममात्र मूल्य पर की जाती है।

निजी पार्टियों से प्राप्त भूमि सहित अन्य भूमि:-

परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक संरेखन में पहचाने गए और अन्य एजेंसियों/निजी पार्टियों से अधिग्रहित भूमि के टुकड़ों का लेखांकन अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

1.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों का अलग अलग प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है। इसके बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों का वहन लागत घटा किसी संचयी परिशोधन और संचित क्षमता हानि, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

लागत में अधिग्रहण मूल्य, विकास लागत और संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की कोई भी संबद्ध/निर्धारण योग्य अन्य आकस्मिक लागत शामिल है।

अस्थायी उपयोग के लिए सरकार/अन्य एजेंसियों से निःशुल्क प्राप्त भूमि का लेखांकन अमूर्त परिसंपत्ति-अनुमति के रूप में किया जाता है। इसके अधिकारों की स्वीकृति नाममात्र मूल्य पर की जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय से जुड़े आर्थिक लाभ भविष्य में कंपनी को प्राप्त होंगे।

विकासाधीन परिसंपत्तियों पर किए गए व्यय का प्रकटीकरण विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत किया जाता है और उस संपत्ति के इच्छित उपयोग हेतु तैयार होने तक मूल्यह्रास नहीं किया जाता है।

परिशोधन

निश्चित उपयोग वाली सभी अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उनके अनुमानित उपयोज्यता काल को सीधी रेखा (SLM) के आधार पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर सहित अमूर्त परिसंपत्तियां जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं हैं, उन्हें विधिक अधिकार की अवधि या पांच साल, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोज्यता काल और परिशोधन की विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

1.8. पूंजी कार्य- प्रगति पर

पूंजी कार्य प्रगति पर की प्रस्तुति लागत में से अक्षमता हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया गया है। लागत में कंपनी की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान किये गए निर्माण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष एवं संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय (अर्हक पीपीई के निर्माण या अधिग्रहण के लिए ऋण पर ली गई निधियों से संबंधित वित्तपोषण लागत सहित) शामिल हैं,

जिसका वहन कंपनी की परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान किया गया था। इस तरह के व्यय को परिभाषित परियोजना चरण के पूरा होने तक प्रगति में पूंजी कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में माना जाता है, जिसके बाद इसका अंतरण निर्धारित पीपीई में किया जाता है। पूंजीकरण से पहले ऐसी पूंजी परियोजना से अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, का समायोजन पूंजी कार्य प्रगति पर के मूल्य पर किया जाता है। निर्णित हर्जाने का लेखांकन अंतिम बिल के निपटान पर किया जाता है। मूल्य भिन्नताओं सहित दावों को स्वीकृति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चे को परियोजना के तकनीकी भाग से संबद्ध किया जाता है तथा इनका पूंजीकरण सी पूंजी कार्य प्रगति पर के भाग के रूप में किया जाता है।

जेआईसीए से ब्याजयुक्त ऋण के प्रति पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए) पर अर्जित ब्याज और परियोजना से संबंधित ठेकेदारों आदि को प्रदान किए गए अग्रिम पर ब्याज का समायोजन अन्य कार्य प्रगति पर के अंतर्गत निर्माण के दौरान (आईडीसी) प्राप्त ब्याज के रूप में किया जाता है।

निर्माण के दौरान ब्याज का निर्धारण

वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई अर्हक परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) का निर्धारण उस अनुपात में किया जाता है जो कमीशनिंग के माह के अंत में प्रारंभ की गई परिसंपत्तियों का मूल्य प्रारंभ किये जाने के माह के अंत में अर्हक पूंजी कार्य प्रगति पर के लिए होता है।

1.9. इन्वेंटरी और अतिरिक्त पुर्जे

एक वर्ष से अधिक उपयोज्यता काल वाले 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य वाले स्पेयर्स का प्रत्येक मामले में पूंजीयन संबंधित शीर्षों के तहत अलग से किया जाता है।

इन्वेंटरी सहित लूज उपकरणों का मूल्यन लागत से कम मूल्य, भारित औसत आधार पर निर्धारित, तथा शुद्ध प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है।

1.10. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की अक्षमता हानि

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर किसी परिशोधन के संकेत ज्ञात करने पर गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। इस तरह के मूल्यांकन के माध्यम से जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो क्षमता हानि की स्वीकृति की जाती है। परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य या उपयोग मूल्य, जो भी अधिक हो, है। उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूंजी की भारित औसत लागत का उपयोग करके वर्तमान मूल्य से छूट दी जाती है।

पहले से स्वीकृत अक्षमता हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर आगे प्रदान किया जाता है या इस प्रकार उलट दिया जाता है कि इसकी वहन राशि से अधिक न हो जिसका निर्धारण तब किया गया होता जब पूर्व स्वीकृत अक्षमता हानि के रूप में स्वीकृत न की गई होती। साख में हुई अक्षमता हानि को उलट नहीं किया जाता है।

1.11. विदेशी मुद्रा

प्रारंभिक स्वीकृति

विदेशी मुद्रा संव्यवहार को कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपए) और विदेशी मुद्रा राशि के बीच विनिमय दर लागू करके में कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपए) में तिथि पर दर्ज किया गया है।

परिवर्तन

वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित सभी मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तिथि की विनिमय दर पर भारतीय रुपए में परिवर्तित कर दिया जाता है। गैर-मौद्रिक मदें, जिनका मापन विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित ऐतिहासिक लागत की मदों में किया जाता है, संव्यवहार की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती है और गैर-मौद्रिक मदें, जो उचित मूल्य या विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित अन्य समान वस्तुओं के उचित मूल्यांकन पर होती हैं, उन विनिमय दरों का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती हैं जो मूल्य निर्धारित किए जाने के समय मौजूद थीं।

विनिमय भिन्नता

ऐसे रूपांतरण और लेनदेन के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर की स्वीकृति लाभ और हानि विवरण में की गयी है।

1.12. राजस्व स्वीकृति

राजस्व

कंपनी अभी भी निर्माण-चरण/विकास-चरण में है, इसके परिचालन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के 'संचालन से राजस्व' से संबंधित लेखांकन नीतियों का निर्माण अभी नहीं हुआ है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल अथवा सेवाओं का अंतरण ग्राहक को उस प्रतिफल के रूप में दर्शाई गई राशि पर किया जाता है जिसकी कंपनी द्वारा माल अथवा सेवाओं का विनिमय किये जाने पर प्राप्त किये जाने की प्रत्याशा की गई है। निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए राजस्व का मापन उस निष्पादन दायित्व से संबद्ध संव्यवहार मूल्य (परिवर्तनीय विचार के शुद्ध) की राशि पर किया जाता है। विभिन्न प्रकार छूट और अनुबंध के अंतर्गत कंपनी द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार बिक्री की गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का परिवर्तनीय प्रतिफल निवल संव्यवहार मूल्य है। यह परिवर्तनीय विचार बहिर्वाह के अपेक्षित मूल्य के आधार पर अनुमानित है। राजस्व (परिवर्तनीय विचार के शुद्ध) की स्वीकृति केवल उस विस्तार तक के लिए की जाती है जिसकी राशि की प्राप्ति के प्रति यह पूर्ण स्संभावना हो कि वह उसकी स्वीकृति से संबंधित अनिश्चितता का समाधान होने पर किसी प्रकार के रिवर्सल के अध्यधीन नहीं होगी।

निश्चित मूल्य अनुबंध के तहत राजस्व की स्वीकृति प्रतिशत पूर्णता विधि का उपयोग करके कुल लागत और आनुपातिक मार्जिन को जोड़कर की जाती है। पूर्णता का प्रतिशत कुल अनुमानित अनुबंध लागत में आज तक की लागत के अनुपात के रूप में निर्धारित किया जाता है। राजस्व को ग्राहकों को सेवाओं के नियंत्रण के हस्तांतरण पर उस राशि में स्वीकृति दी जाती है जो उस राशि को दर्शाती है जो हम उन सेवाओं के बदले में प्राप्त करने की प्रत्याशा करते हैं, सिवाय उन मामलों के, जो उपलब्धियों के रूप में परिभाषित हैं।

अन्य गैर-प्रचालन आय

निर्माण कार्यों के संबंध में ठेकेदारों से प्राप्त होने वाले किराये से आय की स्वीकृति प्रोद्भवन आधार पर की जाती है तथा इसका समायोजन कार्य प्रगति पर के प्रति किया जाता है।

अन्य गैर-प्रचालन आय की स्वीकृति प्रोद्भवन आधार पर की जाती है, भले ही वे उत्पन्न तो हुए हों लेकिन देय न हों।

ब्याज आय

कंपनी के इक्विटी योगदान से उपलब्ध धनराशि से सावधि जमा पर ब्याज आय को लाभ और हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

यदि वसूली के प्रति कोई अनिश्चितता नहीं है तो ठेकेदारों से प्राप्त होने वाले ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि विवरण/पूंजी कार्य प्रगति पर में स्वीकृति दी जाती है।

1.13. ऋण लागतें -

ऋण लागतें वे लागते हैं जो किसी अर्हक (योग्य) परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित होती है, वे उस अवधि के दौरान पूंजीकृत की जाती हैं जिस अवधि में परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होती है।

अर्हक परिसंपत्ति ऐसी परिसंपत्ति हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है। विशिष्ट ऋणों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय, जिनका व्यय अर्हक परिसंपत्तियों के संबंध में लंबित है, की कटौती को पूंजीकरण के लिए पात्र ऋण लागतों से की जाती है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि में व्यय किया जाता है जिस अवधि में वे उत्पन्न होती हैं।

1.14. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभ

परिभाषित योगदान योजनाएँ

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में अंशदान के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ को लाभ और हानि विवरण/ पूंजीगत कार्य प्रगति पर प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ

उपदान एक परिभाषित लाभ योजना की तरह है।

उपदान के प्रावधान की गणना रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है और इसे लाभ और हानि विवरण/ पूंजीगत कार्य प्रगति पर विवरण में प्रभारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन की गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके की जाती है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड की स्थापना की है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि, शुद्ध परिभाषित लाभ क्षमता पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर परिसंपत्ति के मूल्य का प्रभाव और योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल शामिल है, को तुरन्त तुलन पत्र में स्वीकृति दी जाती है, जिसमें उस अवधि में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से प्रतिधारित आय में संगत डेबिट या क्रेडिट होता है, जिसमें वे घटित होते हैं। पुनर्मापन का वर्गीकरण बाद की अवधि में लाभ या हानि में नहीं किया जाता है।

अन्य लाभ – अर्जित छुट्टी

अर्जित अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति अर्जित होने पर लाभ और हानि विवरण/पूंजीगत कार्य प्रगति पर में एक व्यय के रूप में दी जाती है। कंपनी अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके, तुलन पत्र तिथि के अनुसार बीमांकिक मूल्य सहित देनदारी का निर्धारण किया जाता है।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को रोजगार पश्चात हितलाभ

भारत सरकार//महाराष्ट्र सरकार/अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के संबंध में, नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान, बाहरी सेवा योगदान और अन्य सांविधिक देय प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार मूल संगठनों को भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में देय ऐसे लाभों के लिए प्रावधान का अनुमान वित्तीय विवरणों में लगाया जाता है और स्वीकृति दी जाती है।

1.15 आय कर

चालू आयकर

चालू आयकर का मापन रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कर दरों तथा रिपोर्टिंग तिथि को लागू कर कानूनों के उपयोग करके कराधान अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के अनुसार किया जाता है।

लाभ और हानि के विवरण के अलावा स्वीकृति प्राप्त मदों से संबंधित चालू आयकर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में की जाती है। चालू कर मदों को अन्य व्यापक में या सीधे इक्विटी में अन्तर्निहित सहसंबंध के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

जब स्वीकृत की गई राशियों को सेट-ऑफ करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त होता है तथा जब कंपनी का इरादा निवल आधार निपटान करने की अथवा परिसंपत्तियों की बिक्री तथा निपटान एक साथ करने का होता है तो कंपनी द्वारा चालू कर परिसंपत्तियों तथा चालू कर देयताओं को सेट-ऑफ किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर का निर्धारण, रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार एवं उनकी वहन राशियों के बीच अस्थायी भिन्नताओं पर देयता पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए स्वीकृति उस सीमा तक के लिए दी जाती है जिसमें यह विश्वसनीयता व्याप्त होती है कि इससे कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके उपयोग से कटौती-योग्य अस्थायी भिन्न और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर घाटे का अग्रेषण हो सकेगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि यह संभावना न रहे है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या उसके भाग के उपयोग से पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां तथा देयताओं को तब ऑफ सेट किया जाता है जब उनकी सम्बद्धता समान कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से होती है और संबंधित इकाई का इरादा चालू कर देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने का होता है।

लाभ और हानि विवरण के बाह्य स्वीकृति प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर की स्वीकृति लाभ और हानि विवरण से बाह्य की जाती है। ऐसे आस्थगित कर मदों की स्वीकृति अंतर्निहित संव्यवहारों में अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उन वर्षों के लिए प्रयुक्त करों, जो आगामी उन वर्षों में कर-योग्य आय के संबंध में उपयोग किए जाने की संभावना हैं जिनमें अस्थायी भिन्नता हो सकती है अथवा निपटान किया जा सकता है, पर किया जाता है।

1.16. पट्टे

पट्टेदार के रूप में कंपनी:

कंपनी द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित अभिमुखता के उपयोग से 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी भारतीय लेखा मानक 116-पट्टे को अपनाया है, तदनुसार, पिछली अवधि से संबंधित सूचना की पुनर्प्रस्तुति की गई है। इस मानक की उपयोज्यता से प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को हुए संचयी प्रभाव स्वीकृति पूंजी कार्य प्रगति पर में की गई है। कंपनी के पट्टा परिसंपत्तियों की श्रेणियों में मुख्य रूप से भूमि और भवन के पट्टे शामिल हैं। संयुक्त पट्टा समझौतों के तहत, भूमि और भवन का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाता है। किसी अनुबंध के आरंभ में कंपनी यह आकलन करती है कि पट्टा है अथवा नहीं है। किसी अनुबंध में, अथवा उसमें पट्टा होने के संबंध में, यदि अनुबंध के अंतर्गत किसी समयावधि में प्रतिफल के भुगतान में किसी निर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है अथवा नहीं है, कंपनी द्वारा निम्नलिखित मूल्यांकन किये जाते हैं कि क्या:

i) अनुबंध में निर्धारित अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है,
ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं, और
iii) कंपनी के पास अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तिथि को, कंपनी उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति ("आरओयू™) और संबंधित पट्टा देनदारियों तथा उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के संबंध में, जिनमें वह एक पट्टेदार है, बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, स्वीकृति दी जाती है, जहां पट्टे की कुल अवधि में पट्टे के किराये का मूल्य 100 लाख रुपये तक है।

अल्पावधि तथा कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए, पट्टे की अवधि के दौरान, कंपनी पट्टे के भुगतान सीधी रेखा के आधार पर स्वीकृति परिचालन व्यय के रूप में करती है। पट्टे की अवधि के कुल काल में प्रत्येक पट्टा अनुबंध के तहत देय पट्टा किराए का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक को समग्र माना जाता है, तथा तदनुसार मानक की अपेक्षाएं उपयोग में लाई जाती हैं।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की स्वीकृति प्रारम्भ में लागत पर दी जाती है, जिसमें पट्टा देयता का समायोजन किये गए अथवा पट्टा प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व किए गए पट्टा भुगतानों के जमा प्रोत्साहन को घटाकर किसी प्रकार की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत के अनुसार की जाती है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का अनुवर्ती मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और हानि या क्षति, यदि कोई हो, घटाकर किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टा प्रारम्भ होने की तिथि से सीधी रेखा के आधार पर पट्टे के न्यूनतम काल एवं अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोज्यता का के अनुसार किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता का समायोजन किसी भी पट्टा संशोधन अथवा नियत पट्टा भुगतानों के संशोधित सार तत्व की प्रस्तुति के लिए भी किया जाता है।

पट्टा देयता का मापन शुरू में भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर के उपयोग अथवा यदि यह तत्काल निर्धारण-योग्य नहीं है, तो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टा देयता का अनुवर्ती पुनर्मापन, बाद में पट्टे की देनदारी पर ब्याज को प्रतिबंधित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर, और किए गए पट्टे के भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम करके किया जाता है।

पट्टा काल परिवर्तन अथवा सूचक में परिवर्तन अथवा पट्टा भुगतानों के लिए प्रयुक्त दर के निर्धारण की घटनाओं जैसी स्थिति के कारण पट्टा देयता का पुनर्मापन किया जाता है। पुनर्मापन के लिए सामान्यतः पुनर्मापन परिसंपत्तियों में भी समायोजन किये जाते हैं।

पूर्ण प्रतिफल का भुगतान, संव्यवहार मूल्य के रूप में करके पट्टे पर प्राप्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति उपयोग अधिकार परिसंपत्ति के अंतर्गत शून्य परिणामी देयता के साथ संव्यवहार मूल्य पर की जाती है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी:

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से किराये की आय (निर्माण उद्देश्य के अलावा), यदि कोई हो, को संबंधित पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार (SLM) पर स्वीकृति दी जाती है, सिवाय उस मामले को छोड़कर जहां वृद्धिशील पट्टा मुद्रास्फीति प्रभाव को दर्शाता है और पट्टे के व्यय को उस अवधि के लिए वास्तविक किराए के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

पट्टों का वर्गीकरण वित्तीय पट्टे के रूप में तब किया जाता है जब स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफल कंपनी से पट्टेदार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। वित्तीय पट्टे के तहत पट्टेदारों से देय राशि को पट्टों में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्तीय पट्टे की आय को लेखांकन अवधियों के लिए प्रभारित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर वापसी की एक स्थिर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

1.17. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

प्रति शेयर मूल आय का आकलन इक्विटी शेयरधारकों से संबंधित वर्ष के शुद्ध लाभ/(हानि) को (वरीयता लाभांश और देय करों में कटौती के बाद) को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है। प्रति शेयर डाइल्यूटिड आय की गणना करने के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों से संबद्ध वर्ष के शुद्ध लाभ/(हानि) और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन डाइल्यूटिव की संभावना वाले प्रत्येक इक्विटी शेयरों के लिए किया जाता है।

1.18. नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी तथा नकद समतुल्य में बैंकों में जमा नकदी तथा हाथ में उपलब्ध नकदी, मांग जमा एवं अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 7 में संशोधन के अनुसार ईकाइयों से अपने वित्तीय गतिविधियों, जिनमें नकदी प्रवाह और गैर-नकदी प्रवाहों (जैसे विदेशी मुद्रा लाभ या हानि) से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, से उत्पन्न अपनी वित्तीय देयताओं में हुए परिवर्तनों का प्रकटीकरण किये जाने की अपेक्षा है। कंपनी द्वारा नकदी प्रवाह विवरण में चालू तथा तुलनात्मक अवधि, दोनों से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर दी गई है।

1.19. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- किसी प्रावधान की स्वीकृति तब की जाती है जब:
  - कंपनी का किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो;
  - ऐसी संभावना हो कि संसाधनों के बहिर्वाह से होने वाले संबंधित आर्थिक लाभ के आवश्यक दायित्व के निपटान हेतु अपेक्षित होगी; और
  - दायित्व की राशि के अनुमान विश्वसनीय रूप में लगाए जा सकते हैं।

- यदि धन का समय मूल्य सामगीगत होता है, तो चालू कर-पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों में छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता से संबंधित जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि की स्वीकृति वित्तीय लागत के रूप में दी जाती है।

- संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब इसकी बकाया राशि की प्राप्ति के संबंध में, अवधि पर विचार किये बिना, अनिश्चितता होती है तथा जब ऐसी अनिश्चितता स्थापित हो जाती है तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

- किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व अथवा किसी वर्तमान दायित्व के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह, जो नहीं भी हो सकती है, की अपेक्षा की जाती है। आकस्मिक देयता चरम मामलों में भी उत्पन्न होती है जहां एक संभावित देयता होती है जिसका मापन जिसे विश्वसनीयता के साथ न किये जाने के कारण, निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

- जहां कोई संभावित दायित्व या कोई वर्तमान दायित्व होता है जिसमें संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम होती है, वहां कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

- आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा किये जाने वाले निर्णय के आधार पर किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों की स्वीकृति नहीं दी जाती है लेकिन उनके प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किये जाते हैं।

- प्रावधानों तथा आकस्मिक देयताओं की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है ताकि वर्तमान अनुमान/निर्णय को दर्शाया जा सके।

1.20. अनुदान सहायता

परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजी व्यय के प्रति सरकारी प्राधिकरणों से प्राप्त अनुदानों को प्रारंभ में "आस्थगित आय" के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी आय के रूप में अनुवर्ती स्वीकृत प्रत्येक वर्ष से संबंधित परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के अनुपात में की जाती है।

जब कभी कंपनी को सरकारी प्राधिकरणों से गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, तो वहां परिसंपत्ति और अनुदान को नाममात्र मूल्यों पर दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोज्यता काल एवं परिसंपत्ति की खपत से होने वाले लाभ को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

1.21. प्रवर्तकों का योगदान/सहायता/अनुदान

कंपनी के मालिक/शेयरधारक की हैसियत से सरकार से प्राप्त निधि/अंशदान को स्वीकृति 'प्रवर्तक अंशदान' शीर्षक के अंतर्गत धनराशि प्राप्त होने पर सीधे अन्य इक्विटी में दी जाती है।

सरकार से मालिक/शेयरधारक की हैसियत से बाजार दर से कम ब्याज पर प्राप्त ब्याज-मुक्त ऋण/उप-ऋण को स्वीकृति 'प्रवर्तक योगदान' शीर्षक के तहत अन्य इक्विटी में दी जाती है।

1.22. घटक रिपोर्टिंग

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट करने योग्य परिचालन घटक है, जो मुंबई में मेट्रो रेल प्रणाली के विकास से संबंधित है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दर्शाई गईं राशियाँ कंपनी के एकल व्यवसाय घटक से संबंधित हैं।

1.23. वित्तीय लिखत

वित्तीय लिखत एक ऐसा अनुबंध है जो किसी एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति तथा दूसरी इकाई की किसी वित्तीय देयता या वित्तीय लिखत की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण तथा मापन का प्रकटीकरण वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट संख्या 27 में किया गया है।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो वित्तीय लिखतों के प्रत्याशित काल में अथवा न्यून अवधि में, जो भी यथोचित हो, अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों को वित्तीय परिसंपत्ति या देयता की शुद्ध वहन राशि से सटीक रूप छूट प्राप्त होती है।

1.24. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब कंपनी किसी लिखत के संविदागत प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रारम्भिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों (लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) से प्रत्यक्ष संबंधित अथवा जारी संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक स्वीकृति के उचित मूल्य के मापन में जोड़ दिया जाता है अथवा उसमें से घटा दिया जाता है।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों का अनुवर्ती वर्गीकरण तथा मापन निम्न के आधार पर किया जाता है
- प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर
- अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर
- लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर

(i) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक मापन के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है। क्षति से उत्पन्न होने वाले नुकसान की स्वीकृति लाभ तथा हानि विवरण में की जाती है।

(ii) अन्य व्यापक आय (FVOCI) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव को स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में दी जाती है। ऋण लिखत की स्वीकृति समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से स्वीकृति प्राप्त संचयी लाभ या हानि का पुनर्वर्गीकरण इक्विटी से लाभ तथा हानि विवरण में किया जाता है।

(iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (FVTPL)

कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत या FVOCI के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, उसे FVTPL के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ या हानि की स्वीकृति लाभ तथा हानि विवरण में की जाती है।

स्वीकृति समाप्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति समाप्ति तब की जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह की प्राप्ति से संविदागत

अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वित्तीय परिसंपत्ति का अंतरण कर दिया जाता है तथा ऐसे अंतरण के अंतर्गत स्वीकृति समाप्ति की अपेक्षा होती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की स्वीकृति समाप्ति तब की जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा वित्तीय परिसंपत्ति तथा उसके सभी संबंधित जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

1.25. वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक स्वीकृति

वित्तीय देयताओं को स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर दी जाती है और ऋण एवं उधार तथा देय राशियों के मामले में स्वीकृति, सीधे तौर पर संबंधित संव्यवहार लागतों को घटाकर दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से परिशोधित लागत पर किया जाता है, जो कि व्यापार के लिए धारित या एफवीटीपीएल के लिए निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं के लिए नहीं किया जाता है जिनका वहन बाद में लाभ अथवा हानियों के साथ लाभ एवं हानि विवरण में किया जाता है। सभी डेरीवेटिव वित्तीय लिखतों का लेखांकन एफवीटीपीएल पर किया जाता है।

ब्याज-युक्त ऋण और उधार का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के उपयोग से परिशोधित लागत पर किया जाता है। लाभ तथा हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में तब की जाती है जब देयताओं की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया से समाप्त हो जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण तथा शुल्क या लागत पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

तुलनपत्र में किसी देयता की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब देयता से संबंधित दायित्व समाप्त हो जाते हैं, उनका निर्वहन कर लिया जाता है, रद्द हो जाते हैं, अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब किसी विद्यमान वित्तीय देयता का प्रतिस्थापन समान ऋणदाता किसी अन्य, किसी विद्यमान देयताओं से भिन्न शर्तों वाली देयता से किया जाता है, अथवा विद्यमान देयता की शर्तों में महत्वपूर्ण संशोधन किये जाते हैं तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की अस्वीकृति तथा नई देयता की स्वीकृति माना जाता है। संबंधित वहन राशियों की भिन्नता की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि स्वीकृत राशियों को ऑफसेट करने के संबंध में कोई विद्यमान प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त होता है तथा शुद्ध आधार पर निपटान करने की मंशा होती है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्ति करने एवं देयताओं का निपटान करने के लिए वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है तथा शुद्ध राशि को तुलन पत्र में प्रभारित किया जाता है।

1.26. उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति का विक्रय करने से प्राप्त होता है अथवा मापन तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच संव्यवहार के सामान्य क्रम में किसी देयता को चुकता करने के लिए अंतरित किया जाता है। उचित मूल्य मापन का

आधार उन धारणाओ पर आधारित है जो कि परिसंपत्ति की बिक्री अथवा देयता के अंतरण के लिए किये जानेवाले संव्यवहार के लिए निम्नलिखित में से उपयोग में लाये जाते हैं:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में, अथवा
- यदि मुख्य बाजार नहीं है तो परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन उन धारणाओं का उपयोग करके किया जाता है, जो बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं।

किसी गैर-वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य मापन बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्ति को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग से अथवा इसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखता है, जो परिसंपत्ति का उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करता है।

कंपनी द्वारा उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकन-योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हुए:

- स्तर I – समान प्रकार की परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (गैर- समायोजित)।
- स्तर 2 - शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्यों से प्राप्त) रूप में अवलोकन-योग्य हैं।
- स्तर 3 - परिसंपत्ति अथवा देयता से संबंधित जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं। उचित मूल्य निर्धारण पा आधारित मूल्यांकन मॉडल के उपयोग से पूर्ण अथवा आंशिक उचित उल्यों के संबंध में निर्धारित किये जाते हैं जो न ही अवलोकन-योग्य चालू बाजार में समान लिखतों के संव्यवहारों के मूल्यों द्वारा समर्थित होते हैं तथा न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा से समर्थित होते हैं।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई परिसंपत्तियों तथा देयताओं के लिए, कंपनी द्वारा यह निर्धारण किये जाते हैं कि क्या वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके (सबसे कम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है) स्तरों के बीच तारतम्यता के स्तर पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतरण घटित हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, कंपनी ने परिसंपत्ति या देयता का स्वरूप, विशेषताओं और जोखिमों तथा उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की ऊपर किये गए उल्लेख के अनुसार श्रेणियां निर्धारित की हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 2: संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त संपत्तियां:

(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण:

(रुपए लाख में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भवन	कंप्यूटर और डाटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ	फर्नीचर और फिक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कुल
सकल ब्लॉक							
31 मार्च 2022 की स्थिति	**46,346.04**	**2,303.24**	**394.16**	**208.64**	**60.25**	**298.56**	**49,610.89**
जोड़	29.22	-	18.54	-	-	6.95	54.71
पुनर्वर्गीकरण		1.11	(0.15)	-	-	(0.96)	-
विलोपन/ निपटान	-	-	17.15	0.53	-	5.16	22.84
31 मार्च 2023 की स्थिति	**46,375.26**	**2,304.35**	**395.40**	**208.11**	**60.25**	**299.39**	**49,642.76**
जोड़	10.40		173.85	5.02	-	7.07	196.34
पुनर्वर्गीकरण	-	-	(6.11)	-	-	6.11	-
विलोपन/ निपटान	0.01	-	12.07	-	-	3.78	15.86
31 मार्च 2024 की स्थिति	**46,385.65**	**2,304.35**	**551.07**	**213.13**	**60.25**	**308.79**	**49,823.24**
संचित मूल्यह्रास							
31 मार्च 2022 की स्थिति	**-**	**1,566.81**	**290.87**	**87.47**	**49.46**	**195.52**	**2,190.13**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	438.67	41.28	23.79	5.11	51.65	560.50
पुनर्वर्गीकरण		0.75	(0.07)	-	-	(0.68)	-
विलोपन / निपटान	-	-	15.60	0.29	-	4.68	20.57
31 मार्च 2023 की स्थिति	**-**	**2,006.23**	**316.48**	**110.97**	**54.57**	**241.81**	**2,730.06**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	182.28	67.01	19.43	1.46	32.59	302.77
पुनर्वर्गीकरण		-	(5.83)	-	-	5.83	-
विलोपन/ निपटान	-	-	10.14	-	-	3.44	13.58
31 मार्च 2024 की स्थिति	**-**	**2,188.51**	**367.52**	**130.40**	**56.03**	**276.79**	**3,019.25**
31.03.2023 तक निवल ब्लॉक	**46,375.26**	**298.12**	**78.92**	**97.14**	**5.68**	**57.58**	**46,912.70**
31.03.2024 तक निवल ब्लॉक	**46,385.65**	**115.84**	**183.55**	**82.73**	**4.22**	**32.00**	**46,803.99**

नोट-1: कंपनी ने बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के अंतर्गत किसी बेनामी संपत्ति का धारण नहीं किया है।

नोट-2: कंपनी ने वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

नोट-3. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में 36,859.38 लाख रुपये (बही मूल्य) मूल्य की गिरगांव और कालबादेवी, मुंबई में स्थित भूमि शामिल हैं। निगम ने उक्त भूमि और उसके बिक्री योग्य क्षेत्र के प्रथम चार्ज की प्रतिभूति पर बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया है।

नोट-4. निम्नलिखित को छोड़कर, कंपनी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों के हक़ विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

तुलन पत्र में संबंधित लाइन मद	परिसंपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु.)*	के नाम पर रखे गए हक़ विलेख	क्या हक़ विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	परिसंपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम से धारित न किये जाने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	64,78,393	मुंबई पुलिस आयुक्त, जीओएम के माध्यम से एमआईडीसी	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-Apr-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	196	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	25-May-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	370	होमगार्ड एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	14-Jul-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	195	SEEPZ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के माध्यम से एमआईडीसी	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	28-Jul-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	1,93,038	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-Sep-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	61	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	08-Dec-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	430	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	16-Dec-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	2,572	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	24-Dec-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	2,302	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	24-Dec-16	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	151	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-Jan-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	60	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-Jan-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	382	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-Jan-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	53	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-Jan-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	66,210	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-Jan-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	4,64,825	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-Jan-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	8,853	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	17-Feb-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	246	महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	23-Feb-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	4,108	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	04-May-17	अंतरण प्रक्रियाधीन

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

तुलन पत्र में संबंधित लाइन मद	परिसंपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु.)*	के नाम पर रखे गए हक़ विलेख	क्या हक़ विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	परिसंपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम से धारित न किये जाने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	1,001	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	हाँ, भारत सरकार	28-Aug-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	214	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	04-Sep-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	27,375	नायर अस्पताल, एमसीजीएम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	19-Sep-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	214	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	19-Sep-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	161	लोक निर्माण विभाग	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	03-Nov-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	969	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	02-Dec-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	880	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	07-Dec-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	29,042	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	03-Apr-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	33,914	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	21-May-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	2,21,325	मेसर्स सहार गार्डन होटल प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	22-May-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	2,305	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-May-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	885	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	29-Aug-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	626	ग्रेटर मुंबई नगर निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	16-Oct-18	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	2,100	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	31-Jan-19	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	809	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	16-May-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	373	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	18-May-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	1,636	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	20-May-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	183	मुंबई आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	22-Jun-17	अंतरण प्रक्रियाधीन
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	भूमि	66	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	हाँ, भारत सरकार	20-Jul-17	अंतरण प्रक्रियाधीन

* चूंकि कुछ आंकड़े नाममात्र राशि के हैं, इसलिए पूर्ण आंकड़े बताए गए हैं

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

(ख) अमूर्त संपत्ति:

(रुपए लाख में)

विवरण	साफ्वेयर / लाइसेंस शुल्क और अन्य लागतें	अनुमतियाँ- नाममात्र राशि पर	कुल
सकल ब्लाक			
31 मार्च 2022 को शेष राशि	**342.01**	**5.57**	**347.58**
जोड़	98.96	-	98.96
विलोपन/ निपटान	49.02	-	49.02
31 मार्च 2023 को शेष राशि	**391.95**	**5.57**	**397.52**
जोड़	489.27	0.01	489.28
विलोपन / निपटान	-	0.23	0.23
31 मार्च 2024 को शेष राशि	**881.22**	**5.35**	**886.57**
संचित परिशोधन			
31 मार्च 2022 को शेष राशि	**274.22**	**-**	**274.22**
वर्ष के लिए परिशोधन	71.88	-	71.88
विलोपन / निपटान	37.35	-	37.35
31 मार्च 2023 को शेष राशि	**308.75**	**-**	**308.75**
वर्ष के लिए परिशोधन	58.87	-	58.87
विलोपन / निपटान	-	-	-
31 मार्च 2024 को शेष राशि	**367.62**	**-**	**367.62**
31.03.2023 तक निवल ब्लॉक	**83.20**	**5.57**	**88.77**
31.03.2024 तक निवल ब्लॉक	**513.60**	**5.35**	**518.95**

नोट-1. नाममात्र राशि पर अनुमति में निम्नलिखित अचल पट्टा-धारित परिसंपत्ति शामिल है, जहां हक़ विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

तुलन पत्र में संबंधित लाइन मद	परिसंपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु.)*	के नाम पर रखे गए हक़ विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर /निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	परिसंपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम से धारित न किये जाने का कारण
अनुमति	धारावी पट्टा धारित भूमि	3308	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	19-07-2016	अंतरण की प्रक्रिया में
अनुमति	नया नगर पट्टा धारित भूमि	3865	महाराष्ट्र सरकार	हाँ, महाराष्ट्र सरकार	15-09-2017	अंतरण की प्रक्रिया में

धारावी क्षेत्र में स्थित भूमि तथा नया नगर को नाममात्र मूल्य पर जारी रखा गया है। धारावी और नया नगर को क्रमशः 20 अक्टूबर 2023 और 22 दिसंबर 2023 के जीआर के अनुसार 30 साल के पट्टे पर स्थानांतरित किया गया है। पट्टे के किराये और पट्टे की अन्य शर्तों के निर्धारण के बाद, भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार लेखांकन उपचार किया जाएगा।

* चूंकि कुछ आंकड़े नाममात्र राशि के हैं, इसलिए पूर्ण आंकड़े बताए गए हैं

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 3(क) : प्रगति पर पूंजीगत कार्य

(रुपए लाख में)

कार्य का स्वरूप	31 मार्च, 2022 की स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	31 मार्च, 2023 की स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	31 मार्च, 2024 की स्थिति
सिविल	16,34,773.08	1,78,626.36	1813399.44	1,78,437.37	19,91,836.81
रोलिंग स्टॉक	17,667.86	20,249.00	37,916.86	91,415.57	1,29,332.43
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार	15,721.24	25,867.95	41,589.19	23,542.62	65,131.81
ट्रैक	27,352.83	10,444.63	37,797.46	15,898.99	53,696.45
सुरंग और वेंटिलेशन	10,997.15	20,686.48	31,683.63	24,878.04	56,561.67
ट्रैक्शन उपकरण	33,171.61	10,558.00	43,729.61	10,986.74	54,716.35
जीसी	1,14,403.79	13,064.11	1,27,467.90	13,730.37	1,41,198.27
एस्केलेटर और लिफ्ट	1,012.96	9,652.73	10,665.69	14,116.13	24,781.82
स्वचालित किराया संग्रह	185.80	987.88	1,173.68	3,494.99	4,668.67
प्लांट और मशीनरी	47.20	68.39	115.59	625.01	740.60
उधार लागत पूंजीकृत #	46,833.27	22,302.38	69,135.65	50,748.83	1,19,884.48
अन्य लागत आवंटित नहीं की गई	21,361.00	2,972.37	24333.37	4,981.66	29,315.03
पुनर्विकास और पुनर्वास	26,000.48	11,285.87	37,286.35	14,466.89	51,753.24
कर्मचारी से संबंधित व्यय	14,255.41	3,189.88	17,445.29	3,544.16	20,989.45
सकल योग	**19,63,783.68**	**3,29,956.03**	**22,93,739.71**	**4,50,867.37**	**27,44,607.08**

वर्ष के दौरान पूंजी ऋण लागतों के लिए 50,748.83 लाख रुपये (पिछले वर्ष 22,926.37 लाख रुपये) शामिल हैं [अस्थायी निवेशों पर ब्याज आय का निवल योग क्रमशः 191.78 लाख रुपये (पिछले वर्ष 326.57 लाख रुपये) है।

आयु निर्धारण- पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(रुपए लाख में)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2024 की स्थिति					
प्रगति पर परियोजनाएँ - मुंबई मेट्रो लाइन 3	4,50,867.37	3,29,956.03	3,61,131.64	16,02,652.04	27,44,607.08
कुल	**4,50,867.37**	**3,29,956.03**	**3,61,131.64**	**16,02,652.04**	**27,44,607.08**
31 मार्च 2023 की स्थिति					
प्रगति पर परियोजनाएँ - मुंबई मेट्रो लाइन 3	3,29,956.03	3,61,131.64	3,57,124.59	12,45,527.45	22,93,739.71
कुल	**3,29,956.03**	**3,61,131.64**	**3,57,124.59**	**12,45,527.45**	**22,93,739.71**

नोट-1: मुंबई मेट्रो लाइन-3 (कफ परेड से नेवी नगर तक) का दक्षिणी विस्तार के संबंध में उक्त संरेखण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है ।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

परियोजना के लिए प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की पूर्णता अनुसूची, जिसकी कार्य पूर्णता लागत बढ़ गई है अथवा विलंबित है।

(रुपए लाख में)

विवरण	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च 2024 की स्थिति				
प्रगति पर परियोजनाएँ - मुंबई मेट्रो लाइन 3	27,44,607.08	-	-	-
31 मार्च 2023 की स्थिति				
(रु लाख में) प्रगति पर परियोजनाएँ - मुंबई मेट्रो लाइन 3	8,04,965.05	14,88,774.66	-	-

नोट 3(ख) : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए लाख में)

स्वरूप	31 मार्च, 2023 की स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति
ओरेकल-ईआरपी	353.85	135.42	489.27	-
सामान्य संपत्ति प्रबंधन प्रणाली	580.72	74.16	-	654.88
कुल	**934.57**	**209.58**	**489.27**	**654.88**

(रुपए लाख में)

स्वरूप	31 मार्च, 2022 की स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2023 की स्थिति
ओरेकल-ईआरपी	353.85	-	-	353.85
सामान्य संपत्ति प्रबंधन प्रणाली	313.57	267.15	-	580.72
कुल	**667.42**	**267.15**	**-**	**934.57**

आयु निर्धारण अनुसूची - विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(रुपए लाख में)

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च 2024 की स्थिति					
सामान्य संपत्ति प्रबंधन प्रणाली	74.16	267.15	313.57		654.88
कुल	**74.16**	**267.15**	**313.57**		**654.88**
31 मार्च 2023 की स्थिति					
ईआरपी सिस्टम	-			353.85	353.85
सामान्य संपत्ति प्रबंधन प्रणाली	267.15	313.57	-	-	580.72
कुल	**267.15**	**313.57**	**-**	**353.85**	**934.57**

परियोजना के लिए प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की पूर्णता अनुसूची, जिसकी कार्य पूर्णता लागत बढ़ गई है अथवा विलंबित है।

(रुपए लाख में)

विवरण	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च 2024 की स्थिति				
समान परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली	654.88	-	-	-

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 4 : उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियाँ / पट्टा देयताएं

(क) उपयोग अधिकार परिसम्पत्तियों की वहन राशि में परिवर्तन:

(रुपए लाख में)

विवरण	परिसंपत्ति की श्रेणी		
	भूमि	भवन	कुल
1 अप्रैल, 2022 को शेष राशि	**1,014.15**	**3,547.02**	**4,561.17**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	2,007.85	2,007.85
विलोपन	-	-	-
घटाएँ: मूल्यह्रास/ परिशोधन व्यय	(36.42)	(1,467.14)	(1,503.56)
31 मार्च 2023 को शेष राशि	**977.73**	**4,087.73**	**5,065.46**
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	**977.73**	**4,087.73**	**5,065.46**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	-	-
विलोपन	-	-	-
घटाएँ: मूल्यह्रास/ परिशोधन व्यय	(36.40)	(1,224.52)	(1,260.92)
31 मार्च 2024 को शेष राशि	**941.33**	**2,863.21**	**3,804.54**

नोट:-फुटनोट बिंदु 2(ख) में संदर्भित संपत्ति को छोड़कर, ऐसी कोई अचल संपत्ति पट्टे पर नहीं है, जहां पट्टा विलेख कंपनी के नाम पर न हो।

(ख) पट्टा देयताओं में परिवर्तन

(रुपए लाख में)

विवरण	परिसंपत्ति की श्रेणी		
	भूमि	भवन	कुल
1 अप्रैल, 2022 को शेष राशि	**373.06**	**3,602.00**	**3,975.06**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	1,983.04	1,983.04
विलोपन	-	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान हुई वित्तीय लागत	4.86	267.44	272.30
घटाएँ: पट्टा देयताओं का भुगतान	(137.29)	(1,656.10)	(1,793.39)
31 मार्च 2023 को शेष राशि	**240.63**	**4,196.38**	**4,437.01**
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	**240.63**	**4,196.38**	**4,437.01**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	-	-
विलोपन	-	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान हुई वित्तीय लागत	4.80	258.80	263.60
घटाएँ: पट्टा देयताओं का भुगतान	(5.72)	(1,404.86)	(1,410.58)
31 मार्च 2024 को शेष राशि	**239.71**	**3,050.32**	**3,290.03**

(ग) 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार चालू और गैर-चालू पट्टा देनदारियों का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
गैर-चालू पट्टा देयताएं	1,904.86	3,111.59
चालू पट्टा देयताएं	1,385.17	1,325.42
कुल	**3,290.03**	**4,437.01**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

(घ) पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वताओं के बारे में विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
छूट		
एक वर्ष से कम	1,385.17	1,325.42
दो से पांच वर्ष	1,848.31	3,053.73
पांच वर्ष से अधिक	56.55	57.86
कुल	**3,290.03**	**4,437.01**
कोई छूट नहीं		
एक वर्ष से कम	1,564.07	1,588.54
दो से पांच वर्ष	1,986.20	3,366.10
पांच वर्ष से अधिक	108.67	114.39
कुल	**3,658.94**	**5,069.03**

(ङ) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	356.30	375.20
पट्टा देयताओं पर ब्याज	61.43	26.38
कम/अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय (कर्मचारी लाभ व्यय और अन्य व्यय में विभाजित)	41.73	72.74

(च) पूंजी कार्य प्रगति पर हेतु मान्यता प्राप्त राशियाँ

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	904.62	1,128.37
पट्टा देयताओं पर ब्याज	202.17	245.92
कम मूल्य/अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय	2,585.68	2,985.67

नोट 5 : ऋण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
अप्रतिभूत, अच्छा माना गया				
कर्मचारियों को ऋण	2.50	-	3.75	4.58
कुल	**2.50**	**-**	**3.75**	**4.58**

"(i) कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, के साथ, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:
(a) समूह (परम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या
(b) परम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।"

(ii) कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम नहीं दिए गए हैं, जिनका पुनर्भुगतान मांग पर अथवा पुनर्भुगतान की किन्हीं शर्तों अथवा भुगतान की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना किया जाना है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
अप्रतिभूत, अच्छा माना गया				
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियां*	22.50	87.50	-	82.50
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	118.79	10.65	8.32	11.56
विक्रेताओं एवं अन्य से प्राप्य**	3,918.32	-	9,059.18	-
प्रतिभूति जमा	1,341.11	284.69	1,071.10	316.55
कर्मचारियों से वसूली योग्य	0.23	-	0.58	-
कुल	**5,400.95**	**382.84**	**10,139.18**	**410.61**

*बैंक गारंटी (बीजी) के विरुद्ध ग्रहणाधिकार हेतु बैंक के पास जमा राशि से संबंधित है।

"** मेट्रो लाइन 3 के 3 भूमिगत स्टेशनों यानी टी1, टी2 और सहार स्टेशन की लागत साझा करने हेतु 77,700 लाख रुपये का अंशदान देने के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें से 76,164.28 लाख रुपये (पिछले साल 62,866 लाख रुपये) का हिसाब लगाया गया है और 31.03.2024 तक प्राप्त हो गया है। शेष राशि 1,535.72 लाख रुपये (77,700 लाख रुपये- 76,164.28 लाख रुपये) एमआईएएल द्वारा एमओयू के खंड 2.10 के अनुसार अवधारणा, योजनाओं, डिजाइन और निर्माण समन्वय की लागत के लिए काटी गई है। यह एमआईएएल के साथ चर्चा/समीक्षा के अधीन है और इसके निष्कर्ष पर, आवश्यक लेखांकन किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर कंपनी द्वारा कोविड मरीजों के इलाज तथा क्वारंटीन सुविधा के लिए दहिसर और कंदरपाड़ा में कोविड समर्पित अस्थायी अस्पताल स्थापित किया गया था, जिस पर कंपनी ने 3,776.52 लाख रुपये (जीएसटी सहित) खर्च किए हैं, जिसके लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) के पक्ष में कर बीजक जारी किया गया है। 18 अगस्त 2023 के जीओएम कार्यवृत्त में निर्दिष्ट किया गया है कि कंपनी द्वारा कोविड अस्पताल पर खर्च की गई राशि कंपनी को उपलब्ध कराई जानी है। राशि वसूलने के लिए मामले का अनुसरण किया जा रहा है।"

नोट 7 : अन्य गैर-चालू/ चालू परिसंपत्तियां

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत, अच्छा माना गया				
पूंजी अग्रिम				
सिस्टम ठेकेदारों को अग्रिम राशि	-	23,161.60	-	52,783.08
ट्रैक (सिविल ठेकेदार) को अग्रिम राशि	-	1,339.49	-	3,661.87
पुनर्वास एवं पुनर्वास ठेकेदारों को अग्रिम राशि	-	3,450.66	-	3,456.08
अन्य	-	-		
जीएसटी के लिए अग्रिम	-	25,195.88	26,700.11	-
अप्रतिभूत, अच्छा माना गया	-	-		
सिविल ठेकेदारों को सामग्री के लिए अग्रिम राशि	-	-	-	252.48
अन्य अग्रिम	-	-		
अप्रतिभूत, अच्छा माना गया	-	-		
आपत्ति के साथ भुगतान-रॉयल्टी (नोट- 23.1 देखें)	4,856.35	-	4,639.70	-
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष (नोट-7.1 और 7.2 देखें)	948.07	-	1,960.56	-
संचालन एवं रखरखाव के लिए अग्रिम	901.44	-		
अनुबंध परिसंपत्तियां (नोट 19 देखें)	1,453.54	-	513.72	-
पूर्व चुकता व्यय	109.54	1,333.74	64.56	1,280.33
कर्मचारियों को अग्रिम	22.07	-	13.58	-
कुल	**8,291.01**	**54,481.37**	**33,892.23**	**61,433.84**

नोट 7.1: जब कभी आईटीसी की मैचिंग के साथ देयता का संबंध होता है तो कंपनी द्वारा केवल आउटपुट कर देयता की सीमा के अनुसार ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया जा रहा है। इसमें उन विक्रेताओं के कर बीजकों पर आईटीसी दावे शामिल हैं, जिनके लिए कंपनी ने जुर्माना / परिसमापन क्षति आदि के कारण कुछ कर बीजक जारी किए थे।

नोट 7.2: निगम ने 173.75 लाख रुपए के अधिक जमा डब्ल्यूसीटी के प्रति धनवापसी का आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रबंधन संबंधित विभाग से धनवापसी के लिए लगातार अनुसरण कर रहा है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

8(क). नकदी और नकदी समतुल्य

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31मार्च, 2023 की स्थिति
बैंक में शेष		
चालू खातों में	64.33	86.02
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले जमा खातों में	16,886.00	4,090.00
	16,950.33	**4,176.02**

टिप्पणी: कंपनी ने वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

8(ख). अन्य बैंक शेष

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31मार्च, 2023 की स्थिति
निर्धारित बैंक शेष (नोट 8.1 देखें)	100.16	125.47
निर्धारित जमा- शेयर आवेदन राशि	35,883.00	-
3-12 महीने की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियां (नोट 8.2 देखें)	345.56	324.32
कुल	**36,328.72**	**449.79**

8.1 : आईसीआईसीआई बैंक के पास एस्क्रो में जमा शेष राशि को दर्शाता है जो बयाना राशि जमा (ईएमडी) के रूप में है।

"8.2: 3-12 महीने की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियों में शामिल हैं:-

(i) परियोजना से प्रभावित लोगों (पीएपी) के लिए आवंटित आवासों के रखरखाव आदि के लिए स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) से प्राप्त निर्धारित राशि 344.47 लाख रुपये (पिछले वर् 323.28 लाख रुपये)

(ii) बैंक गारंटी (बीजी) के प्रति सावधि जमा ग्रहणाधिकार राशि 1.09 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1.04 लाख रुपये)"

नोट 9 : इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31मार्च, 2023 की स्थिति
प्राधिकृत		
90,00,00,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये प्रति शेयर	9,00,000.00	5,00,000.00
(31 मार्च, 2023: 100 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	9,00,000.00	**5,00,000.00**
जारी, सब्सक्राइब्ड और पूर्णत: चुकता		
100 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 48,05,40,000 इक्विटी शेयर	4,80,540.00	4,80,540.00
(31 मार्च, 2023: 48,05,40,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये प्रति शेयर)		
कुल	**4,80,540.00**	**4,80,540.00**

(क) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में शेयरों की संख्या और बकाया राशि का मिलान:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
वर्ष की शुरुआत में	48,05,40,000	4,80,540.00	44,07,20,000	4,40,720.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी	-	-	3,98,20,000	39,820.00
वर्ष के अंत में बकाया	48,05,40,000	4,80,540.00	48,05,40,000	4,80,540.00

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास एक ही वर्ग के 100 रुपये प्रत्येक के समान मूल्यवाले शेयर हैं। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन होने की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक प्रत्येक वरीयता राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों की प्राप्ति के पात्र होंगे। वितरण प्रत्येक शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

ग) 5% से अधिक इक्विटी शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों का विवरण:

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	शेयर होल्डिंग का %	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का %	शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति	50.00%	24,02,70,000	50.00%	24,02,70,000
महाराष्ट्र के राज्यपाल	50.00%	24,02,70,000	50.00%	24,02,70,000
कुल	**100.00%**	**48,05,40,000**	**100.00%**	**48,05,40,000**

प्रमोटरों की शेयरधारिता का प्रकटीकरण

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयर		अवधि के दौरान % परिवर्तन
	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %	
भारत के राष्ट्रपति	24,02,70,000	50.00%	-
महाराष्ट्र के राज्यपाल	24,02,70,000	50.00%	-
कुल	**48,05,40,000**	**100.00%**	-

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार इक्विटी शेयर		अवधि के दौरान % परिवर्तन
	धारित शेयरों की संख्या	होल्डिंग का %	
भारत के राष्ट्रपति	24,02,70,000	50.00%	-
महाराष्ट्र के राज्यपाल	24,02,70,000	50.00%	-
कुल	**48,05,40,000**	**100.00%**	-

नोट 10 : अन्य इक्विटी

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31मार्च, 2023 की स्थिति
क) आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि		
वर्ष की शुरुआत में शेष	-	-
जोड़	35,883.00	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	**35,883.00**	-
ख) प्रमोटरों का योगदान (नोट-10.1 देखें)		
वर्ष की शुरुआत में शेष	3,03,887.88	2,74,965.71
जोड़	39,141.82	28,922.17
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3,43,029.70**	**3,03,887.88**
प्रतिधारित कमाई		
वर्ष की शुरुआत में शेष	(12,631.62)	(9,794.52)
वर्ष के लिए कुल व्यापक (हानि)	(3,507.00)	(2,837.10)
वर्ष के अंत में शेष	**(16,138.62)**	**1.62)**
कुल	**3,62,774.08**	**2,91,256.26**

10.1 : भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की 2 मई 2024 की राय के परिणामस्वरूप, निगम ने उप-ऋण के उचित मूल्यांकन के कारण प्रभाव को 'आस्थगित सरकारी अनुदान' से 'प्रवर्तक योगदान' में "अन्य इक्विटी" शीर्षक के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान जीओएम से प्राप्त अतिरिक्त फंडिंग योगदान को भी प्रवर्तक योगदान शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 11 : ऋण

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
सावधि ऋण				
-प्रतिभूत				
बैंक ऑफ इंडिया से ऋण (नोट 11.1 देखें)	8,999.30	-	-	3,000.00
-अप्रतिभूत				
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ऋण (नोट 11.2 देखें)	39,104.52	-	-	1,59,977.05
भारत सरकार से ऋण (गौण) (नोट 11.3 देखें)		16,287.17	-	13,573.88
महाराष्ट्र सरकार से ऋण (गौण-ऋण) (नोट 11.3 देखें)		34,581.66	-	35,590.07
पीटीए के माध्यम से जेआईसीए ऋण (नोट 11.4 देखें)	20,299.33	12,87,950.86	21,382.65	13,01,072.49
केनरा बैंक से ऋण (नोट 11.6 देखें)	1,37,485.57	-		
मांग पर ऋण चुकौती योग्य				
-अप्रतिभूत				
बैंक ओवरड्राफ्ट (नोट 11.5 देखें)	6,252.72	-	3,505.41	-
कुल	**2,12,141.44**	**13,38,819.69**	**24,888.06**	**15,13,213.49**

"11.1:- निगम को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंक ऑफ इंडिया से 20,000 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ है। यह ऋण गिरगांव और कालबादेवी, मुंबई में स्थित भूमि के टुकड़े तथा उस पर प्रस्तावित बिक्री योग्य क्षेत्र पर प्रथम चार्ज के साथ प्रतिभूत किया गया है। यह ऋण उक्त भूमि पर प्रस्तावित निर्माण के माध्यम से परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए लिया गया है।

ऋण पर 3एम एमसीएलआर की ब्याज दर है और यह जून 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही से शुरू होकर 7 त्रैमासिक किस्तों में देय है। ऋण की कुल स्वीकृत राशि 20,000 लाख रुपये में से, 8999.30 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,000 लाख रुपये) का उपयोग 31 मार्च 2024 तक किया गया है।

संपूर्ण ऋण राशि को 'चालू' के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि कंपनी को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर ऋण का निपटान करने की उम्मीद है। यह समय से पहले/बुलेट पुनर्भुगतान के लिए ऋण समझौते की शर्तों और शर्तों के अनुरूप है।"

11.2 : निगम को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,20,000 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। उस ऋण पर ब्याज दर पीएफसी द्वारा अधिसूचित की गई है जिसका पुनर्भुगतान वाणिज्यिक संचालन (डीसीसीओ) शुरू होने की निर्धारित तिथि के 12 महीने बाद 24 समान किश्तों में या जेआईसीए ऋण के प्रति निधि प्राप्त होने पर में किया जाना है। महाराष्ट्र सरकार से लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करके ऋण प्रतिभूत है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएफसी द्वारा 1,00,000 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसका कंपनी द्वारा उपयोग नहीं किया गया। तत्पश्चात 26 मार्च 2024 को भारत सरकार के माध्यम से जेआईसीए के साथ 3,30,000 लाख रुपये की राशि के ऋण समझौते की चौथी किश्त के लिए पास-थ्रू सहायता प्राप्त होने पर, 27 मार्च 2024 को 1,82,500 लाख रुपये तक के पीएफसी ऋण का पुनर्भुगतान किया गया है। ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार पुनर्भुगतान से 30 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है। कंपनी ने 22 मार्च 2024 को भुगतान की सूचना दी है, जब एमओएचयूए से संवितरण सूचना प्राप्त हुई थी। पीएफसी ने ऋण चुकौती राशि 1,82,500 लाख से 1604.52 लाख रुपये की शेष नोटिस अवधि के लिए ऋण पर ब्याज आबंटित किया है। तदनुसार 31 मार्च 2024 को पीएफसी से ऋण 39,104.52 लाख रुपये दिखाया गया है। कंपनी नोटिस अवधि की छूट और केवल शेष ऋण राशि पर ब्याज वसूलने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। संपूर्ण ऋण राशि को 'चालू' के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि कंपनी को रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर ऋण का निपटान करने की उम्मीद है। यह समय से पहले/बुलेट पुनर्भुगतान के लिए ऋण समझौते की शर्तों और शर्तों के अनुरूप है।

11.3 : केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने कंपनी को ब्याज मुक्त उप ऋण दिया है जिनका पुनर्भुगतान जेआईसीए (पीटीए के माध्यम से) से प्राथमिक ऋण के पुनर्भुगतान के पश्चात किया जाना है। चूंकि सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण) ब्याज मुक्त है, इसलिए इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार परिशोधित लागत पर रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है, जिसके तहत वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाना आवश्यक है। तदनुसार, ब्याज मुक्त उधार को परिशोधित लागत पर मापा गया है। (नोट 10.1 देखें)

11.4 : जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ने कंपनी को भारत सरकार के माध्यम से पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए) के रूप में चार किस्तों में जापानी येन 269.873 बिलियन का कुल ऋण प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। जेआईसीए ऋण 10 वर्ष की छूट अवधि के बाद 20 वर्ष की अवधि में चुकाया जाना है। ऋण राशि को शासन की शर्तों के अनुसार समकक्ष भारतीय रुपये में प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार को वितरित किया जाता है।

31 मार्च 2024 तक स्वीकृत जेआईसीए ऋण/अग्रिम का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

विवरण	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
प्रथम भाग (आईडी-पी233)	5,00,000.00
द्वितीय भाग (आईडी-पी268)	5,81,300.00
तृतीय भाग (आईडी-पी281)	2,77,200.00
उप-योग (क)	**13,58,500.00**
चौथी खेप (आईडी-पी313) पास-थ्रू सहायता (नोट-12.4 देखें)	3,30,000.00
उप-योग (ख)	**3,30,000.00**
कुल योग (क+ख)	**16,88,500.00**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

निर्माण कार्यों और वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति के लिए वितरित ऋण की मूल राशि पर लागू ब्याज दर 1.8% ((किश्त 4 के लिए), 1.15% (किश्त 3 के लिए), 1.5% (किश्त 2 के लिए) और 1.4% (किश्त 1 के लिए) है और सामान्य परामर्शदाता सेवाओं के लिए वितरित ऋण की मूल राशि पर 0.01% (किश्त 1 से 3 के लिए) और किश्त-4 के लिए 0.20% है।

ऊपर दर्शाई गई राशि 13,58,500 लाख रुपये ऋण स्वीकृत होने की तिथि पर येन की प्रचलित रूपांतरण दर पर प्राप्त की गई है, क्योंकि ऋण येन में स्वीकृत किया गया था। इसके अलावा, मूल डीपीआर को 2013 में मंजूरी दी गई थी और मूल डीपीआर के अनुसार पीटीए के माध्यम से 13,23,500 लाख रुपये के वित्तपोषण पर विचार किया गया था। इसके अलावा, जेआईसीए द्वारा सीएएए को पहले तीन चरणों के लिए ऋण का वास्तविक वितरण वास्तविक संवितरण पर विनिमय दर पर 13,29,613.20 लाख रुपये था।

11.5: निगम ने एचडीएफसी बैंक के साथ 10,000 लाख रुपये की असुरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधा स्वीकृत की है, जिसमें से 31 मार्च 2024 तक 6,252.72 लाख रुपये का उपयोग किया गया है (पिछले वर्ष 3,505.41 लाख रुपये) 3एम-टी-बिल्स ब्याज दर और 1.44% स्प्रेड के साथ।

11.6: निगम ने केनरा बैंक के साथ 2,00,000 लाख रुपये (प्रत्येक 1,00,000 लाख रुपये) के लिए निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ असुरक्षित अल्पकालिक कॉर्पोरेट ऋण सुविधा की व्यवस्था की है:

(क) 1,00,000 लाख रुपये की पहली ऋण सुविधा 23 नवंबर 2023 को छह महीने की एमसीएलआर और पहली संवितरण तिथि से 6 महीने बाद ऑटो रिसेट के साथ सितंबर 2024 के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान या जेआईसीए से टर्म लोन प्राप्त करने के साथ स्वीकृत की गई थी।

(ख) 1,00,000 लाख रुपये की दूसरी ऋण सुविधा 14 फरवरी 2024 को छह महीने की एमसीएलआर और पहली संवितरण तिथि से 6 महीने बाद ऑटो रिसेट के साथ दिसंबर 2024 के अंत में बुलेट पुनर्भुगतान या जेआईसीए से टर्म लोन प्राप्त करने के साथ स्वीकृत की गई थी।

2,00,000 लाख रुपये के ऋण में से 1,37,485.57 लाख रुपये का उपयोग 31 मार्च 2024 तक किया गया है।

11.7: कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधि देने वाली पार्टी) शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि देने वाली पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देगी या निवेश करेगी या

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगी।

11.8: दीर्घावधि ऋण के अंतर्गत उल्लिखित विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सावधि ऋण और उधार के संबंध में, कंपनी ने निधियों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

11.9: कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए जानबूझकर चूक करने वालों के दिशानिर्देशों के तहत जानबूझकर चूक करने वाली नहीं है।

11.10: कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण या उधार नहीं लिया है।

11.11: निगम को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक से 1,00,000 लाख रुपये का असुरक्षित अल्पावधि ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसका उपयोग और पुनर्भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 12 : अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
क) पूंजी ऋणदाता				
सिविल ठेकेदारों को देय	35,813.37	-	27,595.34	-
सिस्टम ठेकेदारों को देय	6,144.22	-	15,498.08	-
सामान्य परामर्शदाताओं को देय	2,945.25	-	4,613.90	-
ट्रैक (सिविल ठेकेदारों) को देय	91.34	-	1,429.69	-
सलाहकारों, ठेकेदारों/विक्रेताओं और अन्य को देय	6,443.31	-	3,662.92	-
धारित धन		-	-	
- सिविल अनुबंधों पर (नोट 12.7 देखें)	894.35	-	481.24	-
सिस्टम अनुबंधों पर	11,164.99	-	3,846.35	-
ट्रैक अनुबंधों पर	4,111.87	-	3,180.67	-
अन्य अनुबंधों पर	4,730.42	-	3,620.87	-
संबंधित पक्षकार (एमएमआरडीए) को देय (नोट-12.8 देखें)	2,177.91	-	2,164.87	-
ख) देय ईएमडी (नोट-12.8 देखें)	169.83	-	173.32	
ग) प्रतिभूति जमा (नोट 12.1 देखें)	429.47	410.91	436.48	381.69
घ) जेआईसीए पीटीए पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	564.39	-	512.93	-
ङ) जेआईसीए ऋण के लिए अन्य देय (नोट-12.6 देखें)	829.47	-	-	-
च) जीओआई-जेआईसीए के लिए उधार लेने पर देय ब्याज और फ्रंट एंड शुल्क	-	-	68,684.50	
छ) पीएफसी ऋण पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	159.36	-	587.47	-
ज) बैंक ऑफ इंडिया ऋण पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	2.07	-	0.66	-
झ) ब्याज केनरा बैंक पर उपार्जित लेकिन देय नहीं	32.31	-	-	-
ञ) जीओएम से अग्रिम (नोट-12.4 देखें)	1,10,488.29	-	-	-
ट) जीओआई से पीटीए अग्रिम	-	3,23,886.80	-	-
ठ) व्यय और अन्य देय	602.46	-	224.49	-
ड) लेखा परीक्षकों को देय	9.73	-	12.88	-
ढ) कर्मचारी से संबंधित देय	109.69	-	62.31	-
कुल	**1,87,914.10**	**3,24,297.71**	**1,36,788.97**	**381.69**

12.1: इसमें स्लम पुनर्वास प्राधिकरण से प्राप्त 343.65 लाख रुपये की प्रतिभूत जमा (पिछले वर्ष 336.97 लाख रुपये) और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है।

12.2: कंपनी के पास लाइन 3 मेट्रो परियोजना पर कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए एक श्रमिक कल्याण ट्रस्ट है।

12.3: संविदात्मक दायित्वों के अंतर्गत देय राशियां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकता के अनुरूप व्यापार देयतायें नहीं हैं। तदनुसार, व्यापार देयताओं के लिए कालक्रम के प्रकटीकरण की आवश्यकता इन संविदात्मक दायित्वों पर लागू नहीं होती है।

12.4: इसमें शामिल हैं-

(क) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 जून 2023 के अपने पत्र के माध्यम से पीओए सचिवालय को सीएएस नागपुर, आरबीआई को आवश्यक सलाह जारी करने का निर्देश दिया है ताकि एमएमआरसी द्वारा जेआईसीए से ऋण पर बकाया ब्याज और फ्रंटएंड शुल्क के लिए 74,395.29 लाख रुपये को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) को आवंटित बजट से वसूला जा सके और राशि समायोजित की गई है। तदनुसार राशि को जीओएम से अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। इसे जीओएम द्वारा परियोजना के लिए दिए जाने वाले योगदान के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, जब यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचित किया जाएगा।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

एमएमआरसीएल के अनुसार ब्याज और फ्रंटएंड शुल्क में अंतर यानी 69,197.43 लाख रुपये और एमओयूएचए यानी 74395.29 लाख रुपये का समाधान वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान और इसका लेखांकन प्रगति पर पूंजीगत कार्य का हिस्सा बनने वाली परियोजना में किया गया है। यह अंतर सहायता खातों के नियंत्रक और लेखा परीक्षा प्रभाग (सीएएए) (विदेश मंत्रालय का विभाग) की गणना के अनुसार जेआईसीए द्वारा सीएएए को दिए गए ऋण की राशि और एमओयूएचए द्वारा एमएमआरसीएल को वितरित राशि के अंतर के कारण था। 31 मार्च 2023 तक, एमएमआरसीएल ने एमओयूएचए से निधि प्राप्त करने की तारीख के लिए ब्याज देयता का हिसाब लगाया था, जिसे समझौते की शर्तों के अनुरूप जेआईसीए द्वारा सीएएए को निधि प्राप्त करने की तारीख के अनुसार हिसाब से लिया जाना था।

(ख) जेआईसीए ऋण चुकौती और ब्याज दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी के अनुरोध के जवाब में महाराष्ट्र सरकार से 36,093 लाख रुपये प्राप्त हुए, जिसे सरकार से सूचना के अभाव में सरकार से अग्रिम के रूप में 36,093 लाख रुपये दिखाया गया है।"

12.5: वित्त वर्ष 2023-24 से, कंपनी ने JICA द्वारा CAAA को प्राप्त धनराशि की तिथि के अनुसार 'PTA के माध्यम से JICA ऋण' का लेखा-जोखा रखना शुरू कर दिया है। तदनुसार, PTA के रूप में प्राप्त राशि को 'भारत सरकार से PTA अग्रिम' के रूप में प्रकट किया जाता है। JICA द्वारा CAAA को धनराशि प्राप्त होने पर राशि को ऋण के रूप में मान्यता दी जाएगी।

12.6: भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार और एमएमआरसीएल के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, जेआईसीए ऋण पर विदेशी मुद्रा विनिमय दर में होने वाले अंतर को भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच बराबर-बराबर साझा किया जाना है। तदनुसार, इस खाते पर 829.47 लाख रुपए का विदेशी मुद्रा लाभ देय दिखाया गया है।

12.7: इसमें ठेकेदारों के साथ जीएसटी संबंधी विवाद के लिए 237.65 लाख रुपये शामिल हैं, जो एड-हॉक जीएसटी अग्रिम पर ब्याज के संबंध में है, जहां कंपनी ने एमओयू के अनुसार ब्याज एकत्र किया है। हालांकि, एक ठेकेदार मध्यस्थता में चला गया है, इसलिए एड-हॉक जीएसटी अग्रिम पर ब्याज को मान्यता नहीं दी गई है और इसे देयता के रूप में दिखाया गया है।

12.8 : संबंधित पक्ष (एमएमआरडीए) को देय ईएमडी 2.00 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 2.00 लाख रुपये)। संबंधित पक्ष को देय राशि किराया, सुरक्षा सेवाएं, कर आदि है। तदनुसार, संबंधित पक्ष (एमएमआरडीए) को देय कुल राशि 2179.91 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 2166.87 लाख रुपये)।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 13 : अन्य चालू/गैर चालू देयताएं

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
वैधानिक एवं अन्य कटौती	3,210.16	-	3,233.68	-
अनुबंध दायित्व (नोट 19 देखें)	5,511.87	-	2,500.00	-
आस्थगित सरकारी अनुदान	-	9.11	-	9.16
प्रतिभूति जमा (उचित मूल्य घटक)	31.18	81.33	31.19	112.50
अन्य दायित्व	4.51	-	13.05	-
कुल	**8,757.72**	**90.44**	**5,777.92**	**121.66**

नोट 14 : प्रावधान

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति		31 मार्च, 2023 की स्थिति	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान				
उपदान	174.07	-	158.53	14.71
अनुपस्थिति, प्रतिपूर्ति	107.81	610.63	171.54	493.29
विदेश सेवा योगदान	178.79	-	170.81	-
कुल	**460.67**	**610.63**	**500.88**	**508.00**

नोट 15 : अन्य आय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
- सावधि जमा से	147.86	319.13
- कर वापसी से	5.68	8.99
- कर्मचारी ऋण से	0.53	0.77
- परिशोधित लागत पर मापे गए उपकरणों से	7.41	9.11
विविध आय	4.53	47.60
कुल	**166.01**	**385.60**

नोट 16 : कर्मचारी हितलाभ व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी (नोट-16.1 देखें)	4,342.10	3,897.87
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	275.99	234.03
कर्मचारी कल्याण पर व्यय	101.16	62.23
योग कर्मचारी हितलाभ व्यय	4,719.25	4,194.13
घटाएँ: पूंजी कार्य प्रगति पर में अंतरण	(3,428.45)	(3,049.76)
कुल	**1,290.80**	**1,144.37**

नोट 16.1: कर्मचारियों को सरकारी राष्ट्रीय पेंशन योजना-एनपीएस (अर्थात पेंशन की सेवानिवृत्ति निधि का निर्माण) का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, इस योजना को चुनने वाले कर्मचारियों के मामले में कर्मचारियों को देय भत्ते की टोकरी में से मूल वेतन + महंगाई भत्ते का अधिकतम 10% अंशदान पुनर्गठित किया गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 17 : वित्तीय लागत

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज पर व्यय	49,866.30	23,279.32
अन्य वित्त लागतें	1,135.74	-
कुल वित्तीय लागत	51,002.04	23,279.32
घटाएँ: अस्थायी निवेश से ब्याज आय	(191.78)	(326.57)
घटाएँ: पूंजी कार्य प्रगति पर में अंतरण [नोट-3(क) देखें]	(50,748.83)	(22,926.37)
कुल	**61.43**	**26.38**

नोट 18 : अन्य व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन पर व्यय	7.60	13.75
बैंक प्रभार	13.10	9.90
शुल्क एवं अंशदान	3.15	0.96
बीमा पर व्यय	1.12	1.29
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (नोट 18.1 देखें)	11.18	11.16
विधिक एवं व्यावसायिक शुल्क	127.99	172.35
कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय	145.07	90.43
मरम्मत एवं अनुरक्षण - भवन	61.80	16.42
मरम्मत एवं अनुरक्षण - अन्य	251.84	217.73
उप अनुबंध प्रभार	271.20	272.13
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	52.01	54.24
दरें एवं कर	465.33	40.01
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव- हानि	22.06	229.56
पट्टा व्यय	2.56	0.41
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान/बट्टे खाते में डालने पर हानि	1.02	1.01
दूरसंचार व्यय	8.91	13.39
यात्रा एवं परिवहन व्यय	171.37	121.61
बिजली एवं जल प्रभार	52.47	34.69
विविध व्यय	2.36	6.55
कुल	**1672.14**	**1,307.59**

18.1 : लेखा परीक्षकों को भुगतान

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक लेखा परीक्षक शुल्क	9.75	9.75
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.89	0.89
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.54	0.52
कुल	**11.18**	**11.16**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 19: भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस-115) के अंतर्गत "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" पर प्रकटीकरण

(क) कंपनी ने "डिपॉजिट वर्क" अवधि के आधार पर पीडब्ल्यूडी (जीओएम) के साथ विधान भवन में सब-वे के निर्माण के लिए अनुबंध किया है। पीडब्ल्यूडी के लिए अनुबंध लागत आकस्मिकता सहित करों को छोड़कर 9,980 लाख रुपये है। इसके अलावा, कंपनी ने राजस्व प्रभारित करने के लिए अनुबंध के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां अभी तक प्राप्त नहीं की हैं।

(ख) एमसीजीएम ने एमएमआरसी को उपयोगिताओं की बहाली के अपने मास्टर प्लान का पालन करने का निर्देश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त कार्य हुए हैं। तदनुसार, लागत अनुमान तैयार किया गया और एमसीजीएम को प्रस्तुत किया गया। उपयोगिताओं की बहाली की अनुमानित लागत 4,168.58 लाख रुपये है। इसके अलावा, कंपनी राजस्व दर्ज करने के लिए महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक नहीं पहुँच पाई है।

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अनुबंध परिसंपत्तियां	1,453.54	513.72
अनुबंध दायित्व	5,511.87	2,500.00

(i) अनुबंध देयता पीडब्ल्यूडी (जीओएम) से प्राप्त 2,500 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,500 लाख रुपये) और एमसीजीएम से 3,011.87 लाख रुपये (पिछले वर्ष : शून्य) को दर्शाती है, जो सबवे के निर्माण और उपयोगिताओं की बहाली के लिए है। ग्राहक को बीजक बनाते समय प्राप्त अग्रिम राशि निर्माण अवधि में समायोजित हो जाती है।

(ii) पीडब्ल्यूडी और एमसीजीएम अनुबंध पर किया गया व्यय क्रमशः 1,174.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 513.72 लाख रुपये) और 279.47 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) है। इसका खुलासा अनुबंध परिसंपत्तियों के शीर्षक के तहत किया गया है।

प्रबंधन को निम्नानुसार भविष्य में राजस्व की स्वीकृत की उम्मीद है:-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
एक वर्ष या उससे कम समय में	11,753.38	3,713.72
एक वर्ष से अधिक से तीन वर्ष तक	2,395.20	6,266.28
कुल	**14,148.58**	**9,980.00**

नोट 20 : प्रति शेयर आय

विवरण	इकाइयां	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों को देय वर्ष के लिए कर के बाद लाभ	लाख रूपये में	(3,539.79)	(2,813.63)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या (लाखों में)	4,805.40	4,686.11
इक्विटी शेयर का सामान्य मूल्य	रुपये	100.00	100.00
प्रति इक्विटी शेयर मूल और डायलुटिड आय	रुपये	(0.74)	(0.60)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 21 : चालू एवं आस्थगित कर

क) आस्थगित कर शेष में परिवर्तन

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के दौरान गतिविधियाँ		31 मार्च, 2024 तक
		लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	317.09	2.98	-	320.07
कर्मचारी हितलाभ	262.31	27.75	(11.52)	278.54
पट्टा देयता (शुद्ध)	(3.72)	5.71	-	1.99
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	56.46	-	-	56.46
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**632.14**	**36.44**	**(11.52)**	**657.06**

आस्थगित कर का आकलन निम्नलिखित पर नहीं किया गया है:-

(रुपए लाख में)

विवरण (वित्तीय वर्ष)	राशि	को समाप्ति पर
2017-18- व्यापार घाटा	16.42	31-Mar-26
2018-19-व्यापार घाटा	579.23	31-Mar-27
2019-20-व्यापार घाटा	1,821.52	31-Mar-28
2020-21-व्यापार घाटा	882.99	31-Mar-29
2021-22-व्यापार घाटा	1,616.76	31-Mar-30
2022-23-व्यापार घाटा	1,861.24	31-Mar-31
अनवशोषित मूल्यह्रास	1,791.40	

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	वर्ष के दौरान गतिविधियाँ		31 मार्च, 2023 तक
		लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	235.42	81.67	-	317.09
कर्मचारी हितलाभ	235.06	19.01	8.24	262.31
पट्टा देयता (शुद्ध)	(152.39)	148.67	-	(3.72)
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	56.46	-	-	56.46
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	374.55	249.35	8.24	632.14

निम्नलिखित पर आस्थगित कर की गणना नहीं की गई है:-

(रुपए लाख में)

विवरण (वित्तीय वर्ष)	राशि	को समाप्ति पर
2017-18- व्यापार घाटा	16.42	31-Mar-26
2018-19-व्यापार घाटा	579.23	31-Mar-27
2019-20-व्यापार घाटा	1,821.52	31-Mar-28
2020-21-व्यापार घाटा	882.99	31-Mar-29
2021-22-व्यापार घाटा	1,616.76	31-Mar-30
अनवशोषित मूल्यह्रास	1,510.92	

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

ख) आयकर व्यय

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर	-	-
चालू वर्ष के संबंध में	-	-
पिछले वर्ष के संबंध में	-	-
आस्थगित कर	(36.44)	(249.35)
अस्थायी भिन्नताओं पर कर की उत्पत्ति एवं रिवर्सल	(36.44)	(249.35)
वर्ष के लिए कर व्यय	**(36.44)**	**(249.35)**

ग) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत कर

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वे मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(11.52)	8.24
वर्ष के दौरान कर व्यय	**(11.52)**	**8.24**

घ) प्रभावी कर दर का पुन: समाधान

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व लाभ	(3,576.23)	(3,062.98)
आयकर आधार दर	25.00%	25.00%
अधिभार	0.00%	0.00%
उपकर	1.00%	1.00%
वैधानिक आयकर दर	26.00%	26.00%
अपेक्षित आयकर व्यय		
कर प्रभाव:		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां	0.08%	2.67%
कर्मचारी हितलाभ	0.78%	0.62%
पट्टा देयता	0.16%	4.85%
कुल आयकर व्यय	**1.02%**	8.14%

ङ) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	530.59	1226.51
जोड़ें: टीडीएस (रिफंड का शुद्ध)	281.70	(695.92)
जमा शेष	812.29	530.59

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 22 : संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप

(रुपए लाख में)

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध का विवरण
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	
श्री मनोज जोशी (बीएन 04.03.2024 तक) BN	अध्यक्ष / नामित निदेशक
श्री अनुराग जैन (एएन 04.03.2024 से) AN	अध्यक्ष / नामित निदेशक
श्री दीपक अग्रवाल	नामित निदेशक
श्री जयदीप	नामित निदेशक
श्री राकेश चौधरी	नामित निदेशक
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	नामित निदेशक
श्री मनोज सौनिक (01.05.2023 तक)	नामित निदेशक
डॉ नितिन करीर (02.05.2023 से)	नामित निदेशक
श्री ओ पी गुप्ता (23.02.2024 से)	नामित निदेशक
श्री आई एस चहल (22.03.2024 तक)	नामित निदेशक
डॉ भूषण गगरानी (23.03.2024 से)	नामित निदेशक
डॉ भूषण गगरानी (07.06.2023 तक)	नामित निदेशक
श्री असीम कुमार गुप्ता (08.06.2023 से)	नामित निदेशक
श्री एस वी आर श्रीनिवास (02.06.2023 तक)	नामित निदेशक
डॉ संजय मुखर्जी (03.06.2023 से)	नामित निदेशक
श्रीमती अश्विनी भिड़े	प्रबंध निदेशक / नामित निदेशक
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	निदेशक (परियोजना)
श्री राजीव (02.06.2023 से)	निदेशक (प्रणाली)
श्री अबोध खंडेलवाल (30.09.2023 तक)	निदेशक (वित्त)
श्री योगेन्द्र प्रकाश सक्सेना (01.10.2023 से)	निदेशक (वित्त)
श्री आर रमाना (05.06.2023 से)	निदेशक (योजना)
सुश्री रितु देब	कंपनी सचिव
ऐसी संस्थाएं जहां प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों या उनके करीबी परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव हो	महानगर आयुक्त एमएमआरडीए
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)	
एमएमआरसीएल कर्मचारी कल्याण निधि समिति (अध्यक्ष)	श्री अबोध खंडेलवाल (30.09.2023 तक) (निदेशक वित्त, एमएमआरसीएल) श्री योगेंद्र प्रकाश सक्सेना (01.10.2023 से) (निदेशक वित्त, एमएमआरसीएल)
एमएमआरसीएल श्रम कल्याण निधि ट्रस्ट (अध्यक्ष)	श्री रवि रंजन कुमार (कार्यकारी निदेशक सिविल), एमएमआरसीएल
एमएमआरसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना ट्रस्ट (अध्यक्ष)	श्री रवींद्र पाठक (महाप्रबंधक-वित्त), एमएमआरसीएल

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक मुआवजा

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) अल्पकालिक लाभ	257.03	215.72
ख) रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ	23.40	26.88
ग) अन्य दीर्घकालिक लाभ	4.86	15.13

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

ग) ऐसी संस्थाओं के साथ लेन-देन जिन पर केएमपी या उनके करीबी परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव हो

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
खरीद और व्यय		
किराये, सुरक्षा सेवाओं आदि के लिए प्रतिपूर्ति (एमएमआरडीए)।	129.79	126.93
कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना ट्रस्ट (एमएमआरसीएल) में अंशदान	50.63	70.21
कर्मचारी कल्याण निधि (एमएमआरसीएल) में अंशदान	23.17	19.86

घ) वर्ष के अंत तक बकाया शेष

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ		
अग्रिम और किराया जमा के लिए प्राप्य	22.86	0.86
वेतन और प्रतिपूर्ति के लिए देय राशि	2.88	2.15
ऐसी संस्थाओं के साथ जिन पर केएमपी या उनके करीबी परिवार के सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है		
किराया, सुरक्षा सेवाएं, कर, ईएमडी आदि के लिए देय (एमएमआरडीए)।	2,179.91	2,166.87
एमएमआरडीए से प्राप्त होने वाली सुरक्षा जमा	0.75	0.75
एमएमआरसीएल कर्मचारी कल्याण निधि (देय)	5.21	2.21
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ		
रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ	114.59	140.71

नोट: निगम एक सरकारी संस्था है, जो मुंबई में आरे से कोलाबा तक मेट्रो रेल सेवा के व्यवसाय में लगी हुई है। निगम नियमित तौर पर उन संस्थाओं के साथ आधार पर व्यवहार करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उनके सरकारी प्राधिकरणों, एजेंसियों, संबद्धताओं और अन्य संगठनों (सामूहिक रूप से ""सरकारी संस्थाएँ""), जिनके साथ निगम इन तक सीमित नहीं होकर लेन-देन कर सकता है:

- सेवाएँ प्रदान करना और प्राप्त करना;
- परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना;
- धन जमा करना और उधार लेना; और
- सार्वजनिक उपयोगिताओं का उपयोग

ये लेन-देन निगम के व्यवसाय के सामान्य क्रम में अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ तुलनीय शर्तों पर किए जाते हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 23 : आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

नोट 23.1 : आकस्मिक देयताएं

राशि सहित देयता/न्यायिक मामले की प्रकृति (जहां तक उपलब्ध हो)

ठेकेदारों द्वारा उद्धृत अनुबंध मूल्य में सभी कर शामिल हैं। बाद में जीएसटी के लागू होने से उत्पाद शुल्क, चुंगी, सेवा कर, वैट आदि सभी अन्य अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल हो गए। इसलिए कर कानूनों में बदलाव के कारण अनुबंध मूल्य पर प्रभाव का आकलन करने के लिए कंपनी ने ठेकेदारों से अनुबंध मूल्य पर जीएसटी से पहले और बाद के प्रभाव का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि कंपनी द्वारा देय या वसूली योग्य कर राशि का पता लगाया जा सके जो अभी भी प्रक्रिया में है। कंपनी ने विवाद के तहत तदर्थ आधार पर 26,700.11 लाख रुपये का भुगतान किया है जो कि कंपनी के पक्ष में होने पर ब्याज सहित वसूल किया जाएगा। वर्ष के दौरान ठेकेदारों से 1,504.23 लाख रुपये वसूल किए गए। जीएसटी सलाहकार ने सिविल ठेकेदारों के मामले में जीएसटी पर प्रभाव आकलन को अंतिम रूप दिया है I मूल्यांकन रिपोर्ट सभी सिविल ठेकेदारों को भेज दी गई है I ठेकेदारों में से एक (एल एंड टी एसईटीसी जेवी) ने न्याय निर्णय बोर्ड (डीएबी) में विवाद उठाया I डी.ए.बी. ने ठेकेदार के पक्ष में निर्णय दिया। मूल्यांकन रिपोर्ट सभी सिविल ठेकेदारों को भेज दी गई है I हालाँकि, ठेकेदार ने मामले को मध्यस्थता में भेज दिया है और ठेकेदार के दावे की राशि 9,709 लाख रुपये है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण के परिणाम की प्रतीक्षा है। सिस्टम ठेकेदार (एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के जीएसटी मामले में डी.ए.बी. में मामलों को संदर्भित किया गया था, जिसमें से एक मामले में डी.ए.बी. ने कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया और ठेकेदार मध्यस्थता के अधिकार क्षेत्र का निपटान न होने पर मध्यस्थता का रुख कर रहा है, ठेकेदार ने उच्च न्यायालय, मुंबई में रिट याचिका प्रस्तुत की है। ठेकेदार के दावे की राशि 272.06 लाख रुपये है। डी.ए.बी. में एक और मामला लंबित है। एल.एंड.टी. और एस.टी.ई.सी. जे.वी. ने भी डी.ए.बी. में एक स्ट्रट विफलता मुद्दे में विवाद प्रस्तुत किया। मामले का निर्णय डी.ए.बी. में हुआ। एल.एंड.टी. एस.टी.ई.सी. जे.वी. ने मामले को मध्यस्थता में भेज दिया है और ठेकेदार के दावे की राशि 2017.50 लाख रुपये है। इसके अलावा, एलएंडटी और एसटीईसी जेवी ने भी डीएबी में 4 मामलों में विवाद प्रस्तुत किया है और ठेकेदार के दावे की राशि 910.26 लाख रुपये है। विवाद न्याय निर्णय बोर्ड के परिणाम की प्रतीक्षा है।

ठेकेदारों द्वारा उद्धृत अनुबंध मूल्य में सभी कर (रॉयल्टी सहित) शामिल थे। बाद में देय रॉयल्टी राशि को संशोधित किया गया और इसलिए कुछ ठेकेदारों ने कानून में बदलाव के कारण उनके द्वारा भुगतान की गई बढ़ी हुई राशि की प्रतिपूर्ति का दावा किया है। हालांकि, ठेकेदारों में से एक ने नगर निगम प्राधिकरण द्वारा रॉयल्टी लगाने को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की जो अभी भी न्यायिक विचाराधीन है। 31 मार्च 2024 तक, रॉयल्टी राशि 4,856.35 लाख रुपये (पिछले साल 4,639.70 लाख रुपये) विवाद के तहत है, और इसे विक्रेता को तदर्थ आधार पर भुगतान किया जाता है। राशि को नोट- 7 (बी) 'अन्य चालू संपत्ति' में विरोध के तहत भुगतान के रूप में दर्शाया गया है।

ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुसार, कुछ ठेकेदारों ने कुछ विवाद, विवाद न्यायनिर्णयन बोर्ड (डीएबी) को भेजे हैं। इस स्तर पर इसका परिणाम पता नहीं चल पाया है।

कंपनी को सिस्टम ठेकेदारों में से एक से क्षति दावा, निष्क्रियता दावा और प्रतिपूर्ति के लिए 302.62 लाख रुपये का दावा प्राप्त हुआ है। ठेकेदार के दावे का मूल्यांकन निगम द्वारा समीक्षाधीन है।

"नगर निगम प्राधिकरण ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा ज्ञानेश्वर नगर, बीकेसी में आवंटित भूमि के टुकड़ों के संबंध में 4,353.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,587.42 लाख रुपये) का संपत्ति कर मांग नोटिस जारी किया है। कंपनी को अन्य सरकारी भूमि के लिए संपत्ति कर के संबंध में नगर निगम प्राधिकरण (उपर्युक्त मामले को छोड़कर) से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी ने सहायक निर्धारक और कलेक्टर (एचई वार्ड) को इस तरह की मांग को रद्द करने/माफ करने के लिए एक पत्र लिखा है क्योंकि भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता है और जवाब अभी भी प्रतीक्षित है। पुष्टिकरण छूट के अभाव में, अत्यधिक सावधानी के माध्यम से, उन्हें आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है।

इसके अलावा, कोलाबा-सीप्ज़ (लाइन-3) का निर्माण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या K-14011/36/2009- मेट्रो/एमआरटीएस-II (वॉल्यूम III) दिनांक 18/07/2013 की मंजूरी के तहत किया जा रहा है। मंजूरी के अनुसार, लाइन-3 के लिए कानूनी ढांचा मेट्रो रेलवे (निर्माण और रखरखाव) अधिनियम, 1978, रेलवे अधिनियम, 1989 और मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 है, जिसे रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2009 के माध्यम से संशोधित किया गया है। कानून के तहत, लाइन-3 परियोजना एक रेलवे परियोजना है,

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

एमएमआरसीएल एक मेट्रो रेलवे प्रशासन है और इसे सभी उद्देश्यों के लिए 'रेलवे' के रूप में माना जाता है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 184 (1) के अनुसार, रेलवे प्रशासन किसी भी स्थानीय प्राधिकरण को कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उपरोक्त कानूनी ढांचे के मद्देनजर, एमएमआरसीएल अपने स्वामित्व वाली और उसके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर संपत्ति कर के लिए उत्तरदायी नहीं है।"

मुंबई बंदरगाह और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यासी बोर्ड के साथ किए गए समझौते के अनुसार, एमएमआरसीएल संपत्ति कर, ब्याज शुल्क और अन्य विविध शुल्कों की लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, उपरोक्त के संबंध में, देनदारियां ज्ञात नहीं हैं, और यह पता लगाने की प्रक्रिया में है।

निगम की ओर से बैंक द्वारा जारी की गई 111.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी (पिछले वर्ष 83.50 लाख रुपये) प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एनओसी आदि के लिए है।
स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) ने परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के पुनर्वास के लिए 1937 मकान आवंटित किए थे, जिनमें से 65 मकान एसआरए को वापस सौंप दिए गए हैं, इसलिए शेष 1872 मकान हैं, कंपनी द्वारा देय राशि का पता नहीं लगाया जा सका है और साथ ही कोई मांग भी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए वित्तीय विवरणों में इसे प्रभारित नहीं किया गया है।
कंपनी ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए कुछ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के साथ समझौता ज्ञापन/अनंतिम समझौता किया है, तथापि वर्तमान में उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लागत का पता नहीं लगाया जा सका है।

कंपनी के विरुद्ध 55 कानूनी मामले हैं (भूमि और पुनर्वास के संबंध में 32 मामले, विभिन्न सिविल मामलों के संबंध में 13 मामले, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में 9 मामले तथा वस्तु की हानि से संबंधित 1 मामला), जहां इस स्तर पर देयता का आकलन नहीं किया जा सकता है।

नोट 23.2 : पूंजी प्रतिबद्धताएं

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंधित लेकिन देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं पूंजीगत व्यय निम्नानुसार है: (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
निष्पादित किये जाने हेतु शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:	6,84,606.73	8,26,000.31

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 24 : कर्मचारी लाभ दायित्व

उपदान:

प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 या कंपनी योजना जो भी लाभकारी हो, के अनुसार सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अपने अंतिम आहरित के समान पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर की प्राप्ति का हकदार है। यह कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है।

(रुपए लाख में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	शुद्ध राशि
31 मार्च 2022 तक	**429.18**	306.78	122.40
वर्तमान सेवा लागत	80.34	-	80.34
ब्याज व्यय|(आय)	30.69	21.70	8.99
लाभ और हानि में स्वीकृत कुल राशि	**111.03**	**21.70**	**89.33**
पुनर्मापन			
वित्तीय विवरणों के पूर्वानुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	42.47	-	42.47
जनसांख्यिकी पूर्वानुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(13.22)	-	(13.22)
अनुभव (लाभ)|हानि	3.28	-	3.28
ब्याज के अलावा योजना परिसंपत्तियों से लाभ	-	0.82	(0.82)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कुल राशि	**32.53**	**0.82**	**31.71**
नियोक्ता का अंशदान	-	70.20	(70.20)
हितलाभ भुगतान	14.78	14.78	-
31 मार्च 2023 तक	**557.96**	**384.72**	**173.24**
वर्तमान सेवा लागत	82.94	-	82.94
ब्याज व्यय|(आय)	39.17	26.44	12.73
लाभ और हानि में स्वीकृत कुल राशि	**122.11**	**26.44**	**95.67**
पुनार्मापन			
वित्तीय विवरणों के पूर्वानुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	(58.01)	-	(58.01)
जनसांख्यिकी पूर्वानुमानों में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	15.90	-	15.90
अनुभव (लाभ)|हानि	(0.55)	-	(0.55)
ब्याज को छोड़कर नियोजित परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	1.65	(1.65)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कुल राशि	**(42.66)**	**1.65**	**(44.31)**
नियोक्ता का योगदान	-	50.53	(50.53)
हितलाभ भुगतान	55.09	55.09	-
31 मार्च 2024 तक	**582.32**	**408.25**	**174.07**

ऊपर बताई गई शुद्ध देयता वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित योजनाओं से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
दायित्वों का वर्तमान मूल्य	582.32	557.96
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	408.25	384.72
ग्रेच्युटी घाटा योजना	**174.07**	**173.24**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

दायित्व पर एक्चुरियल (लाभ)/हानि

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
जनसांख्यिकीय धारणा के कारण	15.90	(13.22)
वित्तीय धारणा के कारण	(58.01)	42.47
अनुभव के कारण	(0.55)	3.28
ब्याज को छोड़कर नियोजित परिसंपत्ति पर प्रतिफल	(1.65)	(0.82)
कुल एक्चुअरियल (लाभ)/हानि	**(44.31)**	**31.71**

महत्वपूर्ण अनुमान: बीमांकिक पूर्वानुमान तथा संवेदी

महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नानुसार हैं :

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
छूट की दर	7.21%	7.35%
संघर्षण दर	9.00%	13.00%
योजना परिसंपत्तियों से लाभ की दर	7.21%	7.35%
वेतन वृद्धि दर	8.00%	10.00%
मृत्यु दर	IALM (2012-14) Urban	IALM (2012-14) Urban

संवेदी विश्लेषण

भारित सिद्धांत पूर्वानुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	582.32	557.96
छूट दर में 0.50% परिवर्तन से हुई वृद्धि का प्रभाव	(19.63)	(14.46)
छूट दर में 0.50% परिवर्तन से हुई कमी का प्रभाव	20.99	15.34
छूट दर में 0.50% परिवर्तन से हुई वृद्धि का वेतन वृद्धि पर प्रभाव	16.37	12.03
छूट दर में 0.50% परिवर्तन से हुई कमी का वेतन वृद्धि पर प्रभाव	(16.43)	(12.02)
कर्मचारी टर्नओवर में 0.50% परिवर्तन से हुई वृद्धि का प्रभाव	(0.65)	(2.06)
कर्मचारी टर्नओवर में 0.50% परिवर्तन से हुई वृद्धि का प्रभाव	0.61	2.10

उपरोक्त संवेदी विश्लेषण अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखकर पूर्वानुमानों में हुए परिवर्तन पर आधारित है। व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना नहीं है, और कुछ पूर्वानुमानों के परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय उसी विधि (रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि के साथ गणना की गई परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) को लागू किया गया है, जैसा कि बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ देयता की गणना करते समय किया गया था।

संवेदी विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त पद्धतियों और प्रकार में पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व का परिपक्वता प्रोफ़ाइल

उपदान का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार है:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
पहला अनुवर्ती वर्ष	65.11	110.67
दूसरा अनुवर्ती वर्ष	60.88	52.90
तीसरा अनुवर्ती वर्ष	55.48	62.63
चौथा अनुवर्ती वर्ष	53.62	56.57
पांचवा अनुवर्ती वर्ष	50.99	53.29
6 से 10 वर्षों के दौरान	233.49	217.79
11 वर्ष और उससे अधिक का योग	589.84	373.24

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 25 : सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशि का प्रकटीकरण:

एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार लेखा पुस्तकों के आधार पर खुलासे निम्नानुसार हैं:-

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
(क) चुकता न की गई मूल राशि	95.01	23.88
(ख) चुकता न की गई राशि पर देय ब्याज	Nil	Nil
(ग) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार ब्याज कसाथ नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	Nil	Nil
(घ) वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय तथा चुकता वह ब्याज, जो एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना चुकता किया गया है।	Nil	Nil
(ई) अर्जित और बकाया ब्याज	Nil	Nil
(च) आगामी वर्ष में भी बकाया और देय शेष ब्याज, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	Nil	Nil
कुल	**95.01**	**23.88**

नोट 26 : घटक रिपोर्टिंग

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट करने योग्य परिचालनात्मक घटक है, जो मुंबई में मेट्रो रेल प्रणालियों का विकास, संचालन और रखरखाव है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियाँ कंपनी के एकल व्यवसाय घटक से संबंधित हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 27 : उचित मूल्य माप

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति			31 मार्च 2023 की स्थिति		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
गैर-चालू						
कर्मचारियों को ऋण	-	-	-	-	-	4.58
अन्य वित्तीय परिसमाप्तियाँ	-	-	382.84	-	-	410.61
चालू						
नकद और नकदी समतुल्य	-	-	16,950.33	-	-	4,176.02
उपरोक्त शामिल किये गए के अलावा बैंक शेष	-	-	36,328.72	-	-	449.79
कर्मचारियों को ऋण	-	-	2.50	-	-	3.75
अन्य वित्तीय परिसमाप्तियाँ	-	-	5,400.95	-	-	10,139.18
कुल वित्तीय परिसमाप्तियाँ	-	-	59,065.34	-	-	15,183.93
वित्तीय देनदारियां						
गैर-चालू						
ऋण	-	-	13,38,819.69	-	-	15,13,213.49
पट्टा देयताएं	-	-	1,904.86	-	-	3,111.59
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	3,24,297.71	-	-	381.69
चालू						
ऋण	-	-	2,12,141.44	-	-	24,888.06
पट्टा देयता	-	-	1,385.17	-	-	1,325.42
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	1,87,914.10	-	-	1,36,788.97
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	20,66,462.97	-	-	16,79,709.22

क) उचित मूल्य तारतम्यता

इस भाग में वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए निर्णय और अनुमानों का स्पष्टीकरण दिया गया है, जो (क) उचित मूल्य पर स्वीकृत और मापे गए हैं और (ख) परिशोधित लागत पर मापे गए हैं और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया गया है। उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

ख) ऐसी कोई वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां नहीं हैं जिनका मापन उचित मूल्य पर किया गया है, तथा जिनके संबंध में उचित मूल्य तारतम्यता का प्रकटीकरण अपेक्षित है

वर्ष के दौरान किसी भी स्तर के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ।

स्तर 1: तारतम्यता में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय लिखतें शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी लिखतें और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी एक उद्धृत कीमत है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी लिखतों का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के समापन मूल्य का उपयोग करके निर्धारित किया गया है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन समापन शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके किया गया है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय लिखतों (उदाहरण के लिए ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो लिखत को स्तर 2 में शामिल किया गया है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 28 : पूंजी प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी द्वारा निवल ऋण-इक्विटी अनुपात के उपयोग से पूंजी संरचना की निगरानी की जाती है।

तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल इक्विटी में धारित आय, शेयर पूंजी, आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि शामिल है। कुल ऋण में चालू ऋण और गैर-चालू ऋण शामिल हैं।

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
कुल ऋण	15,50,961.13	15,38,101.55
कुल इक्विटी	8,43,314.08	7,71,796.26
ऋण इक्विटी अनुपात	**1.84**	**1.99**

नोट 29 : वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम के कारक

कंपनी के सम्मुख वित्तीय लिखतों के संबंध में विभिन्न जोखिम व्याप्त हैं । कंपनी की वित्तीय परिसंपत्ति और देनदारियों को श्रेणी के अनुसार नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। जोखिमों के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं रोकड़ जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों के जोखिम को कम करके कंपनी के अल्प से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है। कंपनी के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है।

(क) बाजार जोखिम

कंपनी के पास बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है। विदेशी मुद्रा ऋण पर विदेशी मुद्रा जोखिम भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूरी आदेश के अनुसार वहन किया जाना है। विनिमय में उतार-चढ़ाव का जोखिम सामान्य सलाहकारों और ठेकेदारों को विदेशी मुद्रा भुगतान के कारण होता है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम को कवर करने के लिए कोई हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि विदेशी मुद्रा भुगतान का समय और राशि भी पूर्व-निर्धारित नहीं है।

निम्नलिखित तालिका वित्तीय साधनों से विदेशी मुद्रा जोखिम का विश्लेषण करती है:

विवरण	अमरीकी डॉलर	यूरो
31 मार्च 2024 की स्थिति		
वित्तीय परिसंपत्तियां		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
कुल	-	-
वित्तीय देयताएं		
अन्य वित्तीय देयताएं	70,43,311.71	23,18,236.44
कुल	70,43,311.71	23,18,236.44
विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति शुद्ध जोखिम	**(70,43,311.71)**	**(23,18,236.44)**
31 मार्च 2023 की स्थिति		
वित्तीय परिसंपत्तियां		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
कुल	-	-
वित्तीय देयताएं		
अन्य वित्तीय देयताएं	1,19,96,020.00	31,45,033.60
कुल	1,19,96,020.00	31,45,033.60
विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति शुद्ध जोखिम	**(1,19,96,020.00)**	**(31,45,033.60)**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

निम्नलिखित महत्वपूर्ण विनिमय दरों का उपयोग किया गया है

(रुपए लाख में)

मुद्रा	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
अमरीकी डॉलर	83.37	82.22
यूरो	90.22	89.61

संवेदनशीलता का विश्लेषण

31 मार्च 2024 को उपरोक्त मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये में यथोचित रूप से मजबूती (कमजोरी) आने से विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वित्तीय साधनों की माप प्रभावित होगी तथा राशियों से प्रभावित लाभ अथवा हानि नीचे दर्शाई गई है। यह विश्लेषण मानता है कि अन्य सभी चर, विशेष रूप से ब्याज दरें, स्थिर रहती हैं।

(रुपए लाख में)

विवरण	कर से पहले लाभ या हानि	
	भारतीय रुपये का सुदृढ़ीकरण	भारतीय रुपये का कमजोर होना
31 मार्च, 2024		
अमरीकी डॉलर (10% उतार-चढ़ाव)	587.23	(587.23)
यूरो (10% उतार-चढ़ाव)	209.15	(209.15)
31 मार्च, 2023		
अमरीकी डॉलर (10% उतार-चढ़ाव)	986.28	(986.28)
यूरो (10% उतार-चढ़ाव)	281.82	(281.82)

(ख) ब्याज दर जोखिम

कंपनी को अपने दीर्घकालिक ऋण पर कोई ब्याज दर जोखिम नहीं है क्योंकि दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज दर तय है। निगम को मामूली ब्याज दर जोखिम इसकी अस्थिर दर अल्पकालिक ऋण के कारण है। रिपोर्टिंग तिथि पर अल्पकालिक उधार पर ब्याज दर में 100 आधार अंकों का संभावित परिवर्तन नकदी प्रवाह को प्रभावित करेगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यह बदलाव दिशात्मक है और ब्याज दर में बदलाव पर प्रबंधन के पूर्वानुमान को नहीं दर्शाता है।

(रुपए लाख में)

विवरण	नकदी प्रवाह पर प्रभाव	
	100 बीपीएस की वृद्धि	100 बीपीएस की कमी
31 मार्च, 2024	1,918.42	(1,918.42)
31 मार्च, 2023	1,664.82	(1,664.82)

(ग) ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। कंपनी के विभिन्न वित्तीय साधन इस जोखिम से थोड़े-बहुत प्रभावित होते हैं, उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम राशि प्रदान करना, ग्राहकों से प्राप्तियां, सुरक्षा जमा आदि।

निगम का वाणिज्यिक परिचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कंपनी अन्य प्रतिपक्षों, जिनकी पहचान व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा की जाती है, के चूकों पर निरंतर निगरानी रखती है, तथा इस सूचना को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नगद और नगद समान

नकदी और नकदी समतुल्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में धन रखकर किया जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन होते हैं, और इन बैंकिंग संबंधों की निरंतर समीक्षा की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति जिसमें कर्मचारियों और अन्य को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

(ग) नकदी जोखिम

हमारी नकदी आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के नकदी के मुख्य स्रोत नकदी और नकदी समकक्ष, गैर परिचालन राजस्व, दीर्घकालिक ऋण, ब्याज-मुक्त गौण ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं।

नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी और पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखकर नकदी की ज़रूरतों का प्रबंधन किया जाता है। किसी भी कमी का पता लगाने के लिए शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पावधि नकदी आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी बकाया, अल्पावधि ऋण और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रतिधारण और जमा शामिल हैं। अल्पावधि नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकद समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखा जाता है।

दीर्घकालिक नकदी आवश्यकताओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें आंतरिक स्रोतों तथा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से सहायता के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। हमारी गैर-चालू देनदारियों में जेआईसीए ऋण, ब्याज-मुक्त गौण ऋण, बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण, प्रतिधारण और जमा और कर्मचारी लाभ के लिए देनदारियाँ शामिल हैं।

नीचे दी गई तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है। तालिका वित्तीय देनदारियों के नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है, जो कि कंपनी को भुगतान करने के लिए आवश्यक निकटतम तिथि पर आधारित है। तालिका में मूलधन और ब्याज दोनों के नकदी प्रवाह शामिल हैं।

(रुपए लाख में)

विवरण	1 वर्ष तक	1 -3 वर्ष	3- 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 की स्थिति					
ऋण (नोट 11 देखें)	2,12,141.44	40,598.67	88,032.61	15,27,478.59	18,68,251.30
अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 12 देखें)	1,87,914.10	154.41	332.45	3,23,934.74	5,12,335.70
कुल	**4,00,055.54**	**40,753.08**	**88,365.06**	**18,51,413.33**	**23,80,587.00**
31 मार्च 2023 की स्थिति					
ऋण (नोट 11 देखें)	24,888.06	1,42,750.64	1,05,756.36	15,60,101.53	18,33,496.59
अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 12 देखें)	1,36,718.80	55.41	431.45	47.94	1,37,253.60
कुल	**1,61,606.86**	**1,42,806.05**	**1,06,187.81**	**15,60,149.47**	**19,70,750.19**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

नोट 30: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक सूचना

आवश्यकता(i):- कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्ति के हक़ विलेख
उत्तर:- यह जानकारी वित्तीय विवरण के नोट संख्या 2 में प्रकट की गई है।

आवश्यकता (ii):- कंपनी यह खुलासा करेगी कि क्या निवेश संपत्ति का उचित मूल्य (जैसा कि वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए मापा गया है) कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।
उत्तर:- कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है। इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं होता।

आवश्यकता (iii) - जहां कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) का पुनर्मूल्यांकन किया है, कंपनी यह खुलासा करेगी कि क्या पुनर्मूल्यांकन कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।
उत्तर:- कंपनी बाद के माप के लिए लागत मॉडल का पालन करती है। इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं है।

आवश्यकता (iv):- जहां कंपनी ने अपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है, कंपनी को यह खुलासा करना होगा कि क्या पुनर्मूल्यांकन कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।
उत्तर:- कंपनी बाद के माप के लिए लागत मॉडल का पालन करती है। इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं है।

आवश्यकता(v):- निर्धारित# प्रकटीकरण तब किया जाएगा जब ऋण या अग्रिम राशि प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से दी जाती है, जो कि:
(क) मांग पर चुकाने योग्य है या
(ख) बिना किसी शर्त या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किए।
उत्तर:- कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके। इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं होता है।

आवश्यकता (vi) और (vii) :-
(क) पूंजी-कार्य-प्रगति (CWIP) / विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों (ITAUD) के लिए कालक्रम निर्धारण अनुसूची
उत्तर:- यह सूचना वित्तीय विवरण के नोट संख्या 3(क) एवं 3(ख) में प्रकट की गई है।

(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य/विकासाधीन अमूर्त आस्तियों (आईटीएयूडी) के लिए, जिनके पूरा होने में देरी हो चुकी है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है, निर्धारित प्रकटीकरण दिया जाएगा।
उत्तर:- यह सूचना वित्तीय विवरण के नोट संख्या 3(क) एवं 3(ख) में प्रकट की गई है।

आवश्यकता (viii):- जहां बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है, वहां निर्धारित प्रकटीकरण दिया जाएगा।
उत्तर:- कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है। इसके अलावा, बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी परिसंपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। इसलिए इस पैरा की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

आवश्यकता(ix) - क्या कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है।
उत्तर:- कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

आवश्यकता(x):- जहां किसी कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया जाता है, वहां निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे:
(क) जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषणा की तिथि,
(ख) चूक का विवरण (चूक की राशि और प्रकृति)
उत्तर:- कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है, इसलिए इस पैरा की आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

आवश्यकता(xi) :- बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध
जहां कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत बंद कंपनियों के साथ कोई लेन-देन है, वहां निर्धारित प्रकटीकरण दिया जाएगा।
उत्तर:- कंपनी का बंद की गई कंपनियों के साथ कोई संबंध या लेन-देन नहीं है।

आवश्यकता(xii):- रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण
जहां कोई शुल्क या संतुष्टि वैधानिक अवधि के बाद भी आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं की गई है, उसका विवरण और कारण प्रकट किया जाएगा।
उत्तर:- कंपनी ने वैधानिक समयावधि के भीतर प्रभार पंजीकृत कर लिया है।

आवश्यकता(xiii):- कंपनियों की स्तर की संख्या से संबंधित अनुपालन
जहां कंपनी ने कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित स्तरों की संख्या का अनुपालन नहीं किया है, वहां निर्दिष्ट स्तरों से परे कंपनियों का नाम और सीआईएन तथा ऐसी डाउनस्ट्रीम कंपनियों में कंपनी की हिस्सेदारी का संबंध या सीमा का खुलासा किया जाएगा।
उत्तर:- कंपनी की कोई प्रत्यक्ष या स्टेप-डाउन सहायक कंपनी या सहायक कंपनियां नहीं हैं। इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं होता है।

आवश्यकता(xiv):- अनुपात विश्लेषण:

क) चालू अनुपात = चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित किया गया

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
चालू परिसंपत्तियां	66,973.51	48,660.97
चालू देनदारियां	4,10,659.10	1,69,281.25
अनुपात	0.16	0.29
पिछले वर्ष से % परिवर्तन	**-44.83%**	

25% से अधिक परिवर्तन का कारण: यह परिवर्तन मुख्य रूप से चालू देयता में वृद्धि के कारण हुआ है, जो कि कुछ गैर चालू ऋण को चालू ऋण में पुनर्वर्गीकृत करने के कारण है, क्योंकि कंपनी रिपोर्टिंग तिथि से अगले 12 महीनों के भीतर इन ऋण को चुकाने का इरादा रखती है (नोट 11 देखें)।

ख) ऋण इक्विटी अनुपात = कुल ऋण को कुल इक्विटी से विभाजित किया जाता है, जहां कुल ऋण चालू और गैर-चालू ऋण के योग को संदर्भित करता है

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
कुल ऋण	15,50,961.13	15,38,101.55
कुल शेयरधारकों की इक्विटी	8,43,314.08	7,71,796.26
अनुपात	1.84	1.99
पिछले वर्ष से % परिवर्तन25% से अधिक परिवर्तन का कारण: N/A	**-7.54%**	

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात = ऋण सेवाओं के लिए उपलब्ध आय को कुल ब्याज और मूलधन चुकौती से विभाजित किया जाता है।

निगम ने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है और निगम की परिचालन आय अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसलिए, अनुपात का पता लगाना संभव नहीं है।

घ) इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल = कर के बाद लाभ/(हानि) को औसत शेयरधारक इक्विटी से विभाजित किया जाता है।

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	(3,539.79)	(2,813.63)
औसत शेयरधारक इक्विटी	8,07,555.17	7,38,843.73
अनुपात	-0.44%	-0.38%
पिछले वर्ष से % परिवर्तन	15.79%	-

ङ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न = ब्याज और करों से पहले की कमाई (ईबीआईटी) को नियोजित पूंजी से विभाजित किया गया

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति	31 मार्च, 2023 की स्थिति
कर के बाद शुद्ध लाभ(क)	(3,539.79)	(2,813.63)
वित्तीय लागत (ख)	61.43	26.38
कुल कर व्यय (ग)	(36.44)	(249.35)
ईबीआईटी (घ) = (क)+(ख)+(ग)	(3,514.80)	(3,036.60)
कुल इक्विटी (ङ)	8,43,314.08	7,71,796.26
कुल ऋण (च)	15,50,961.13	15,38,101.55
नियोजित पूंजी (छ)=(ङ)+(च)	23,94,275.21	23,09,897.81
अनुपात (घ)/(छ)	-0.15%	-0.13%
पिछले वर्ष से % परिवर्तन	15.38%	-

25% से अधिक परिवर्तन का कारण: लागू नहीं

च) निगम ने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है। इसलिए, निम्नलिखित अनुपात ज्ञात नहीं हैं:

-इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात = बेचे गए माल की लागत को औसत इन्वेंटरी से विभाजित किया गया

- व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध ऋण बिक्री को औसत व्यापार प्राप्य से विभाजित किया गया

- व्यापार देयता कारोबार अनुपात = शुद्ध ऋण खरीद को औसत व्यापार देयताओं से विभाजित किया गया

- शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री को औसत कार्यशील पूंजी से विभाजित किया जाता है जबकि शुद्ध कार्यशील पूंजी = चालू परिसंपत्तियां - चालू देनदारियां

- शुद्ध लाभ अनुपात = कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) को शुद्ध बिक्री से विभाजित किया गया

-निवेश पर प्रतिफल = निवेश से आय को निवेश के समापन शेष से विभाजित किया गया

प्रस्तुत किए गए उपरोक्त गैर-जीएएपी उपाय अन्य कंपनियों द्वारा बताए गए समान शीर्षक वाले उपायों से तुलनीय नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों द्वारा परिभाषित परिचालन प्रदर्शन या नकदी के उपाय नहीं हैं और अन्य कंपनियों द्वारा प्रस्तुत समान शीर्षक वाले उपायों से तुलनीय नहीं हो सकते हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

आवश्यकता(xv):- व्यवस्था की अनुमोदित योजना का अनुपालन
जहां व्यवस्था की योजना को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, कंपनी यह खुलासा करेगी कि ऐसी व्यवस्था की योजना के प्रभाव को कंपनी की खाता पुस्तकों में योजना के अनुसार और लेखांकन मानकों के अनुसार दर्ज किया गया है और इस संबंध में किसी भी विचलन को स्पष्ट किया जाएगा।
उत्तर:- कंपनी ने कोई व्यवस्था योजना नहीं बनाई है। इसलिए यह पैरा कंपनी पर लागू नहीं है।

आवश्यकता(xvi):- ऋण के रूप में ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग:

(क) जहां कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित में दर्ज हो या अन्यथा) अग्रिम या ऋण दिया हो या निवेश किया हो (या तो ऋण ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) कि मध्यस्थ,

(i) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करना (अंतिम लाभार्थी) या
(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की कोई चीज प्रदान करना; कंपनी निम्नलिखित का खुलासा करेगी:-

(I) मध्यस्थों को अग्रिम, उधार या निवेशित धन की तारीख और राशि, प्रत्येक मध्यस्थ के पूर्ण विवरण के साथ।

(II) ऐसे मध्यस्थों द्वारा अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों को अग्रिम या उधार दी गई या निवेश की गई धनराशि की तारीख और राशि, साथ ही अंतिम लाभार्थियों का पूर्ण विवरण।
(III) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से प्रदान की गई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की राशि के साथ तारीख और राशि

(IV) यह घोषणा कि ऐसे लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और ये लेनदेन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

उत्तर:- (क) कंपनी ने ऊपर बताए गए उद्देश्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को अग्रिम, ऋण या निवेशित धन (या तो उधार लिया गया धन या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार का धन) नहीं दिया है। इसलिए इस पैरा की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(ख) जहां किसी कंपनी ने किसी व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्ष) शामिल हैं, कोई निधि इस समझ के साथ प्राप्त की है (चाहे लिखित में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी

(i) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना, या
(ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान करने के लिए, कंपनी निम्नलिखित का खुलासा करेगी:-

(I) वित्तपोषण पक्षों से प्राप्त धनराशि की तारीख और राशि, प्रत्येक वित्तपोषण पक्ष के पूर्ण विवरण के साथ।

(II) अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों द्वारा अग्रिम या ऋण के रूप में दी गई या निवेशित निधि की तारीख और राशि तथा अन्य मध्यस्थों या अंतिम लाभार्थियों का पूर्ण विवरण।

(III) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से प्रदान की गई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की राशि की तारीख और राशि के साथ

(IV) यह घोषणा कि ऐसे लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और ये लेनदेन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

उत्तर:- (ख) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्ष) भी शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा), इसलिए इस पैरा की प्रकटीकरण आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के भाग II के शीर्षक "एल. अतिरिक्त विनियामक सूचना" में निर्धारित है।

नोट 31 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं आदि के कुछ शेष, पुष्टि, समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, की शर्त पर है ।

नोट 32: निगम की 37,27,550 लाख रुपये की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में और भारत सरकार द्वारा मार्च 2024 में अनुमोदित किया गया था। परियोजना वित्तपोषण का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

स्रोत	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2013	संशोधित डीपीआर 2024	31.03.2024 तक वास्तविक प्राप्ति
केंद्र द्वारा हिस्सेदारी	2,40,270.00	3,56,600.00	2,40,270.00
राज्य द्वारा हिस्सेदारी	2,40,270.00	3,56,600.00	2,40,270.00
केन्द्र सरकार द्वारा उप ऋण	1,02,450.00	1,57,150.00	1,26,050.00
राज्य सरकार द्वारा उप ऋण	1,61,510.00	4,83,555.00	2,42,110.00
परिसंपत्ति का विकास	1,00,000.00	1,00,000.00	-
हितधारक योगदान (एमआईएएल)	77,700.00	77,700.00	76,164.00
एएसआईडीई फंडिंग/एमएमआरडीए	67,900.00	67,900.00	15,000.00
जेआईसीए ऋण	13,23,500.00	21,28,045.00	16,50,200.00
भारत सरकार से पीटीए अग्रिम			3,300.00
कुल	**23,13,600.00**	**37,27,550.00**	**25,93,364.00**

फुट नोट:- मार्च 2024 में इक्विटी योगदान के लिए भारत सरकार से 35,883 लाख रुपये प्राप्त हुए, आवंटन लंबित है

"नोट 33: कोविड-19 महामारी के कारण प्रभाव:-

हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण कार्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव अब समाप्त हो गया है, लेकिन अंतिम ईओटी आवेदन स्वीकृत होने पर संबंधित अनुबंधों पर समग्र प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा।

नोट 34 : मेट्रो निर्माण अनुबंधों पर लागू जीएसटी की दर 18 जुलाई 2022 से 12% से संशोधित कर 18% कर दी गई है। इस खाते पर प्रभाव का पता लगाया जा रहा है।

टिप्पणी 35 : पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुन: समूहीकृत/पुन: प्रस्तुत किया गया है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

ऋतु देब
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. F6754

योगेन्द्र प्रकाश सक्सेना
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन:10364557

अश्विनी भिडे
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:02861008

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22 जुलाई 2024

MMRC

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(JV of Govt.of India and Govt.of Maharashtra)

"TRANSIT OFFICE", E- Block, North Side of City Park,

Behind Income Tax Office, "A"- wing, Bandra E, Bandra Kurla Complex,